



Chandra Shekhar Azad Govt. P.G. Lead College, Sehore (M.P.)

Affiliated to Barkatullah University, Bhopal

NAAC Accredited "B" Grade

Website: - <http://csapgcollegesehore.com/>, E-mail:- hecsaglcseh@mp.gov.in,

Ph. No. - 07562-224156, 224240

1.3.1: Institution integrates crosscutting issues relevant to Professional Ethics, Gender, Human Values, Environment and Sustainability into the Curriculum



**Office of Principal, Chandra Shekhar Azad
Govt. P.G. Lead College Sehore**

Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240

E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in

Website :- <https://csapgcollegesehore.com/>



Crosscutting Issues


Subject	Course	Topic	CROSS-CUTTING ISSUES
Botany	Environmental Pollution	Environmental Problem	Environmental and Sustainability
Applied Botany	Relation of Plants with Man and Other Services	Definition and types of Pollution and Pollutants	Environmental and Sustainability
	Pollution and Pollutants	Definition and Types	Environmental and Sustainability
	Phytoremediation	A Plant Based Eco-Friendly Technology	Environmental and Sustainability
Sociology	Sociological Essay	Participation of Women in Indian Politics	Gender Equalization
	Industrial Sociology	Methods of Industrial Sociology, Social Survey, Interview, Investigation	Professional Ethics
		Foundation of Industrial Sociology– Psychological Foundation, Economic Foundation, Social Foundation	Professional Ethics
		Welfare of Child and Women Labourers	Gender Equalization
	Indian Society : Issues and Problems	structure Issues and Problems in Indian Society : Inequality of Gender in India	Gender Equalization
		Familial Issues and Problems in Indian Society : Problem of Dowry in India, Domestic Violence in India	Gender Equalization
Political Sociology	Democratic System, Law	Human Values	
Geography	Human Geography	Definition Nature, Objectives and Scope of Human Geography	Scope, Environmental Relation Determinism, Possibilism and Neo-Determinism
		Biodiversity importance and Conversation	Human Values
	Geomorphology	Applied Geomorphology	Professional Ethics

F.O.
13/10/21
PRINCIPAL
C. S. A. G. T. G. Nodal College
SEHORE (M. P.)

		Anthropogenic Geomorphology	Environmental Issues and Effects
		Man and Pedagogical Process	Professional Ethics
		Global Warming	Environmental Awareness
Commerce	Business Management	Written Business Communication	Professional Ethics
		Modern Forms of Communication	Professional Ethics
	Business Organisation and Communication	Modern Forms of Communication	Professional Ethics
Urdu	Urdu Nazam Nigia	Naya Shivala (Mohd. Iqbal)	Moral Values
		Chakbast ki (Scene from Ramayan a Letter to Mother Hubbay Watan)	Moral Values
		Firak	Moral Values
Economics	Development and Environment Economics	Economic Development and Gender Equality	Professional Ethics
		Environment Economy	Environmental Awareness
Political Science	Rajnaya Avam Manavadhikar	Human Rights	Human Values, Women, Children and General Rights
		Economics, Social and Cultural Rights	Human Values, Women, Children and General Rights
English Literature	Wings of Fire	Orientation	Professional and Human Ethics
	An Anthology of English Literature II Year	Jane Austen- Pride and Prejudice, All The Authors in the Syllabus have all the Features of Moral Values, Human Values, Environmental Issues and Professional Ethics	Professional and Human Ethics
	An Anthology of English Literature I Year	Francis Bacon, Joseph Addison, Charles Lamb, E.V. Lucas, H.G. Gardiner and H.G. Wells	Professional Ethics and Human Values
		John Milton, William Wordsworth	Moral Values Environmental Issues
Foundation Course	English Language	Part-III Robert Frost, Ruskin Bond, R.K. Narayan, Basic Language Skills	Moral, Human Values, Environmental Awareness and Professional Ethics
	Environmental Studies II Year	Air, Water, Noise, Temperature, Pollution	Environment and Human Health, Professional Ethics
	Entrepreneurship Skill Development	Socio-Economic Environment Entrepreneur	Professional Ethics

FOD
 PRINCIPAL
 C. S. A. G. J. J. Nodal College
 BEHQAE (M. P.)
 13.10.22

	Entrepreneurship Development	Types and Importance of Entrepreneurship	Professional Ethics and Human Values
	Hindi Languages	Dimagi Gulami, Sapno ki Udaan Evam Cicago Vyakhyan	Human Values
Yoga Science	I Year Syllabus	Overall Development of Human Beings, Various Breathing Exercises and Asanas helps in Developments of Human Beings	Human Values
Sanskrit	BA. I Year	Yajurveda, Arthaveda (This Mantras Depict National Feeling and Human Values	Professional Ethics

For

 13.10.22
 PRINCIPAL
 G. S. A. G. P. U. Nodal College
 BHOPAL (M. P.)

			585
	574	गिरनार पहाड़ी प्रदेश	586
निचली सोन घाटी	576	पश्चिमी तटीय मैदान	589
निचली चम्बल घाटी	578	महत्वपूर्ण परिभाषायें	
भाण्डेर पठार	581		591-602
धार मरुस्थल
अध्याय 29 : व्यावहारिक भूआकारिकी	597
परिभाषा तथा विषय क्षेत्र	591	भूआकृति विज्ञान एवं इंजीनियरी कार्य	600
व्यावहारिक भूआकृति विज्ञान : भारतीय परिवेश	593	भूआकृति विज्ञान एवं जलविज्ञान (hydrology)	600
भूआकृति विज्ञान एवं प्रादेशिक नियोजन	594	भूआकृति विज्ञान एवं खनिज संसाधन	602
• भूआकृति विज्ञान एवं प्रकोप प्रबन्धन	595	महत्वपूर्ण परिभाषायें	603-628
भूआकृति विज्ञान एवं नगरीकरण	596		...
अध्याय 30 : मानवजनिक भूआकारिकी	614
मानवजनिक भूआकारिकी : अवधारणा तथा परिभाषा	603	मनुष्य तथा नदी प्रक्रम	616
मानवजनिक भूआकारिकी : ऐतिहासिक परिवेश	604	मनुष्य तथा परिहिमानी प्रक्रम	618
• पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभाव	605	मनुष्य तथा भूमिगत जल प्रक्रम	620
मनुष्य तथा जलीय प्रक्रम	606	• मनुष्य तथा मृदीय प्रक्रम (pedological processes)	623
• मनुष्य तथा अपक्षय एवं द्रव्यमान संचलन (mass movement)	608	मनुष्य तथा भूमण्डलीय ऊष्मन तथा हिमनदों का पिघलना	(man and global warming and melting of glaciers)
मनुष्य तथा तटीय प्रक्रम	609	महत्वपूर्ण परिभाषायें	628
अध्याय 31 : जलवायु परिवर्तन तथा क्वाटरनरी भूआकारिकी	629-652
जलवायु, भ्वाकृतिक प्रक्रम तथा स्थलाकृतियां	629	उत्तर-हिमकाल में जलवायु	638
जलवायु परिवर्तन के संकेतक	629	क्रिश्चियन काल में जलवायु परिवर्तन	639
भौमिकीय संकेतक	629	सन् 1860 के बाद तापमान की प्रवृत्ति	640
क्रायोजनिक (हिमीय) संकेतक	630	क्वाटरनरी जलवायु परिवर्तन तथा स्थलरूप	641
विवर्तनिक संकेतक	632	सागर तल में उतार-चढ़ाव	642
भ्वाकृतिक संकेतक	633	हिम के आकर्षण द्वारा सागर तल में परिवर्तन	643
सागर तल में उतार-चढ़ाव	634	स्थलखण्ड में अवतलन तथा उत्थान	643
ऐतिहासिक अभिलेख के संकेतक	635	वर्तमान स्थलाकृतियों पर प्रभाव	644
क्वाटरनरी जलवायु परिवर्तन	636	उत्तरी अमेरिका का हिमानीकरण तथा ग्रेट लेक्स का आविर्भाव एवं विकास	645
उत्तरी अमेरिका का हिमानीकरण	636	बृहद् झीलों के विकास की अवस्थायें	645
युरोप का हिमानीकरण	638	होलोसीन स्थलाकृति	652
• शब्दानुक्रमणिका	653-668
• सन्दर्भ पुस्तकें	669-672

में बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। इन समस्याओं के कारण प्रादेशिक नियोजन के लिए उचित एवं आदर्श स्थानिक इकाई के लिए भूआकारिक इकाई (geomorphic unit) की तलाश प्रारम्भ हो गयी।

1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन तथा विकास के लिए टेनेसी घाटी परियोजना के कार्यान्वयन से गतिक भूआकारिकी की ओर नियोजकों का ध्यान आकर्षित हुआ है और प्रादेशिक नियोजन के लिए आदर्श इकाई के रूप में नदी अपवाह बेसिन (drainage basin) का चयन किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। संयुक्त राज्य में टेनेसी घाटी परियोजना की सफलता के बाद मिसौरी घाटी परियोजना तथा भारत में दामोदर घाटी परियोजना आदि का कार्यान्वयन इस बात के प्रमाण हैं। वास्तव में अपवाह बेसिन एक भूआकारिक इकाई (geomorphic unit) को प्रदर्शित करती है जिसमें उच्चावच, जलीय प्रक्रम तथा मानव के बीच सीधा सम्बन्ध होता है। भूआकारिक समरूपता के कारण उस क्षेत्र में समस्याएँ भी समान ही होती हैं। उदाहरण के लिए चम्बल अपवाह बेसिन में बीहड़ों (ravines) का निर्माण तथा चम्बल की भयानक बाढ़ के कारण अनेक ऐसे सामाजिक दुर्गुण उत्पन्न हो गये हैं कि वे राष्ट्र के लिए सिर दर्द बन गये हैं। बीहड़ के कारण अधिकांश क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गये हैं। वर्षा-काल में बाढ़ के कारण कृषि तो नष्ट होती ही है, बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इस तरह भरण-पोषण के लिए आवश्यक सामग्री न मिल पाने के कारण अधिकांश लोग चोरी तथा डकैती जैसे जघन्य अपराधों के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित बीहड़ उनको छिपने के लिये आमन्त्रण देते हैं। अब यदि बीहड़ निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाओं की सम्यक जानकारी प्राप्त करके उनकी रोकथाम तथा नियोजन के लिये प्रयास किये जा सकते हैं तथा समस्त घाटी क्षेत्र का विधिवत विकास किया जा सकता है।

उत्तरी भारत की गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी आदि नदियों में तीव्र तथा व्यापक बाढ़ के कारण प्रकोप (hazard) तथा पर्यावरण अवनयन (environmental degradation) होता जा रहा है। अपवाह बेसिन के जलीय अध्ययन (hydrological study) द्वारा क्षेत्र विशेष के जल संसाधन का विधिवत विवरण प्राप्त हो जाता है जिससे प्रादेशिक नियोजन में सहायता मिलती है।

यदि प्रादेशिक नियोजन के लिए प्रशासनिक इकाइयों को ही नियोजन इकाई के रूप में चयनित किया जाता है तो भी धरातलीय आकृतियों, मिट्टियों, प्राकृतिक संसाधनों आदि की विशद जानकारी इस क्षेत्र में उपयोगी हो सकती है। धरातल के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण, अपवाह बेसिन की विशेषतायें (जलधारा प्रवाह, जल विसर्जन, जलधारा आकारिकी, वाही जल-runoff आदि), भूमिगत जल की दशाएँ आदि नियोजनकों एवं नीति-निर्धारकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

29.4 भूआकृति विज्ञान एवं प्रकोप प्रबन्धन

उन समस्त घटनाओं या दुर्घटनाओं को, जो या तो प्राकृतिक कारकों या मानवजनित कारकों से घटित होती हैं, चरम घटना (extreme events) कहते हैं जो कभी-कभी घटित होती हैं तथा प्राकृतिक प्रक्रमों को इतना अधिक त्वरित कर देती हैं कि उनका मानव समाज पर इतना अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यथा—अचानक विवर्तनिक संचलन (tectonic movements) के कारण भूकम्प तथा ज्वालामुखी का आविर्भाव, लम्बी अवधि तक सूखे की स्थिति, बाढ़, वायुमण्डलीय तूफान (टाइफून, हरिकेन, टारनेडो आदि), सुनामी आदि। प्राकृतिक या मानवजनित चरम घटनाओं को, जिनके द्वारा प्रलय एवं विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, धन-जन की अपार क्षति होती है, पर्यावरण प्रकोप (environmental hazards) कहते हैं। पर्यावरण प्रकोप को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

‘प्राकृतिक या मानव जनित उन चरम घटनाओं को पर्यावरण प्रकोप कहते हैं जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक संघटकों की सहनशक्ति से बहुत अधिक हो जाती है, उनके द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समायोजन कठिन हो जाता है, प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, धन-जन की अपार क्षति होती है तथा ये चरम घटनायें विश्व स्तर पर विभिन्न समाचार माध्यमों (समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि) की प्रमुख सुर्खियाँ बन जाती हैं?’

सामान्यतया प्रकोप (hazard) को प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रम (process) के रूप में लिया जाता है जबकि विनाश (disaster) त्वरित दुर्भाग्यपूर्ण चरम घटना (extreme events) को कहते हैं जिसके द्वारा सामान्य रूप में समस्त जीवधारियों एवं मुख्य रूप से मानव समुदाय के लिए क्षति होती है। विनाश त्वरित, तात्कालिक एवं अंधाधुंध (indiscriminately) रूप में घटित होता है। इस तरह स्पष्ट है कि प्रकोप प्रक्रम हैं तथा विनाश उनके परिणाम हैं (सविन्द्र सिंह, 1991)।

प्रकोपों की गहनता का आकलन उनके द्वारा गयी धन-जन की क्षति की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि चरम घटनायें सदा प्रकोप नहीं होती हैं। ये उसी समय प्रकोप होती हैं जब उनसे मानव समाज को भारी क्षति होती है। उदाहरण के लिए जब किसी भी उष्ण कटिबन्धी चक्रवात (हरिकेन) का निर्माण एवं अवसान महासागरीय भाग में ही हो जाता है तो वह मात्र चरम घटना का रूप होता है परन्तु जब वह सागर तटीय भागों में पहुँच कर अपार धन-जन की क्षति करता है तो वह प्रकोप (आपदा) हो जाता है। इसी तरह मानवरहित क्षेत्रों में ज्वालामुखी का उद्भेदन कभी भी प्रकोप नहीं होता है परन्तु जब कभी भी उसका उद्भेदन घनी आबादी वाले भाग में होता है तो वह प्रलयकारी प्रकोप हो जाता है। सामान्यतया अधिकांश

> विभिन्न क्षेत्रों में अपरदन की दरों का आकलन करना तथा उनके तुलनात्मक रूप का प्रदर्शन। एस० जडसन (1968) ने रोम (इटली) के निकट अपरदन की वर्तमान दर का आकलन किया। इनके अनुसार अपरदन की वर्तमान दर 100 मी०³ से 1000 मी०³ प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष है। इन्होंने यह भी अनुमानित किया कि मनुष्य द्वारा पर्यावरणीय प्रक्रमों पर प्रभाव के पहले अपरदन की दर 20 मी०³ - 30 मी०³ प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष थी। मनुष्य के कार्यों का (i) द० प० संयुक्त राज्य अमेरिका में अवनलिका अपरदन पर प्रभाव (W. M. Denevan, 1967), (ii) कनाडा के अलबर्टा प्रान्त की बो घाटी में वनाग्नि तथा बाढ़ पर प्रभाव (J. G. Nelson तथा A. B. Byrne, 1966), (iii) लन्दन की नगरीय जलवायु पर प्रभाव (T. J. Gandler, 1965), (iv) भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन (S. Gilwerka, 1964) पर प्रभाव आदि के अध्ययन के उदाहरण मानव-पर्यावरणीय प्रक्रमों के बीच सम्बन्धों के अध्ययन हेतु किये जाने वाले प्रयासों को उजागर करने के लिये पर्याप्त हैं।

> प्राकृतिक या पर्यावरणीय आपदाओं (hazards) का अनुसंधान (investigation),

> प्रकृति तथा प्राकृतिक प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभावों के अध्ययन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का श्रीगणेश। उदाहरण के लिये I. H. D. (International Hydrological Decade, 1965-74), M. B. P. (Man and Biosphere Programme, 1970) आदि प्रमुख हैं।

> पर्यावरण की चिन्ता का आत्मबोध तथा प्रत्यक्षीकरण। यह भावना इस दशक (1960-70 दशक) में प्रकाशित पुस्तकों में पूर्णतया प्रतिबिम्बित होती है यथा—'Silent Springs' (R. Carson, 1962), 'Man and Environment' (R. Arvill, 1967), 'The Environmental Revolution' (M. Nicholson, 1972) आदि।

ग्रेगरी तथा वालिंग (1989) ने 1960-70 दशक में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मनुष्य की क्रियाओं के प्रभावों से सम्बन्धित अध्ययनों की प्रमुख प्रवृत्तियों के विश्लेषण के आधार पर यह सारांश प्रस्तुत किया है कि—उक्त दशक में किसी खास पर्यावरणीय प्रक्रम तथा पर्यावरण के खास पक्षों पर मनुष्य के प्रभावों के विशिष्ट अध्ययन का दौर शुरू हुआ, साथ ही साथ मनुष्य की क्रियाओं के प्रति संकल्पनात्मक दृष्टिकोण का प्रचलन हुआ। इनका परिणाम यह हुआ कि विद्वत् समाज में पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों के प्रति चिन्ता का जागरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रमों का शुभारम्भ हुआ।

पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों से उत्पन्न हुए तथा भविष्य में होने वाले दूरगामी दुष्परिणाम के प्रति विज्ञानियों के समुदाय में व्याप्त चिन्ता तथा इन प्रभावों के अध्ययन में बढ़े उत्साह तथा

दिलचस्पी का यह परिणाम हुआ कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस विषय से सम्बन्धित कई अध्ययन किये गये, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया तथा कई शोध लेखों, शोध मोनोग्राफ तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। उदाहरण के लिये—'Environmental Problems' (I. R. Manners तथा M. W. Mikessell, 1974), 'Man's Impact on Environment' (T. R. Detwyler, 1971), Environmental Geomorphology and Landscape Conservation (दो खण्डों में, D. R. Coates, 1972 तथा 1973), Urbanisation and Environment (D. R. Detwyler तथा M. G. Marcus, 1972), Urban Geomorphology (D. R. Coates, 1976), Geography and Man's Environment (A. N. Strahler and A. H. Strahler, 1976), Applied Climatology (J. E. Hobbs, 1980), Man and Environmental Processes (K. J. Gregory and D. E. Walling, 1981), Environmental Change and Tropical Geomorphology (Ian Douglas and T. Spencer, 1985), Environmental Management (L. R. Singh, Savindra Singh, R. C. Tiwari and R. P. Srivastava, 1983), Geomorphology and Environment (Savindra Singh and R. C. Tiwari, 1989) आदि प्रमुख पुस्तकें मानव-पर्यावरण तथा मानव-पर्यावरणीय प्रक्रमों के बीच सम्बन्धों पर किये गये शोध कार्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

30.3 पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभाव

बहिर्जात पर्यावरणीय प्रक्रम वायुमण्डल की दशाओं के प्रतिफल होते हैं। चूँकि वायुमण्डलीय दशाएँ तथा प्रक्रम सौर्यिक ऊर्जा से सम्बन्धित होते हैं, अतः बहिर्जात पर्यावरणीय प्रक्रम भी सौर्यिक ऊर्जा से सम्बन्धित होते हैं। इस तरह प्रमुख पर्यावरणीय प्रक्रम यथा जलीय, हिमनदीय, परिहिमानी तथा वायु आदि सौर्यिक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होते हैं। परन्तु पर्यावरणीय प्रक्रमों की कार्य क्षमता स्थलमण्डल के उच्चावचों (reliefs) की स्थितिज ऊर्जा (potential energy) से निर्धारित तथा नियंत्रित होती है। मनुष्य, सौर्यिक विकिरण तथा ऊष्मा की ऊर्जा को प्रभावित करके, वर्षण की प्रक्रियाओं तथा वायु-संचार को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के प्रभाव बदले में पर्यावरणीय प्रक्रमों में परिवर्तन कर सकते हैं। मानव जनित मौसम रूपान्तर तथा जलवायु परिवर्तन के द्वारा पर्यावरणीय प्रक्रमों के स्वाभाविक रूप एवं प्रकृति में परिवर्तन तथा रूपान्तर हो जाता है। नीचे कुछ प्रमुख पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभावों तथा उसके द्वारा किये गये एवं किये जा सकने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया जा रहा है।

जाता है। इन स्थलीय नालियों का अपवाह बेसिन की जलीय विशेषताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न अध्ययनों से विदित हुआ है कि जल के निकास के लिए निर्मित नालियों के कारण बाढ़ के परिमाण में वृद्धि होती है। इसके अलावा स्थलीय नालियों के कारण भूमिगत जलस्तर में गिरावट होती है (वर्षा का जल इन नालियों से शीघ्र ही नदियों तक पहुँच जाता है, अतः जल का अन्तः संचरण घट जाता है), वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन (evapo-transpiration) कम हो जाता है तथा औसत वार्षिक धरातलीय वाही जल बढ़ जाता है।

उल्लेखनीय है कि मनुष्य के क्रियाकलाप अपवाह बेसिन के जलीय चक्र के विभिन्न परस्पर आबद्ध संघटकों से होकर प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा को प्रभावित तथा परिवर्तित तो करते ही हैं, साथ ही साथ रासायनिक एवं भौतिक गुणों के सन्दर्भ में जल की गुणवत्ता (quality) को भी प्रभावित करते हैं। मानव द्वारा जल की गुणवत्ता में किये गये परिवर्तन सदैव प्रदूषण विषयक ही नहीं होते हैं, यद्यपि नगरों तथा कारखानों से निकला गंदा जल जब नदियों तथा झीलों में पहुँचता है तो वह प्रदूषण अवश्य करता है।

सरिता प्रवाह के गुणों में वनस्पति के विनाश तथा मिट्टियों की प्राकृतिक दशाओं में छेड़-छाड़ एवं हेर-फेर द्वारा परिवर्तन से सम्बन्धित विश्व के विभिन्न भागों में अनेक अध्ययन किये गये हैं। इन अध्ययनों से यह विदित हुआ है कि वनस्पति-विनाश तथा मृदाओं की मौलिक स्थिति में मानव द्वारा किये गये परिवर्तनों का सरिता प्रवाह की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नदियों में पोषक तत्वों एवं खनिजों की स्थिति, नदियों के अवसाद भार तथा अवसाद बजट, वनस्पतियों के विनाश, खनन कार्यों (खनिजों का उत्खनन), रचनात्मक कार्यों (बाँधों एवं जलाशयों का निर्माण) आदि द्वारा बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। इन पक्षों का विवेचन अगले अनुभाग (मनुष्य तथा सरिता प्रक्रम) में किया जायेगा। नहरों से सिंचित क्षेत्रों, खासकर अर्द्ध शुष्क प्रदेशों में क्षारीकरण (salinization) एक चिरस्थायी समस्या है। NES (National Eutrophication Survey, U.S.A.) द्वारा सरिताओं में पोषक तत्वों के भार तथा अपवाह बेसिन में भूमि उपयोग के मध्य सम्बन्धों के मापन एवं आकलन के लिए मिंसीपीसी नदी के पूर्व में स्थित 473 लघु अपवाह बेसिनों में किये गये अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि भूमि उपयोग नदियों में पोषक तत्वों के भार को बढ़े पैमाने पर प्रभावित करता है। उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह विदित हुआ है कि जिन अपवाह बेसिनों में कृषि क्षेत्र अधिक है उनमें फासफोरस का सान्द्रण (प्रति लीटर पानी में 0.15 मिलीग्राम) वानस्पतिक आवरण से युक्त अपवाह बेसिनों (प्रति लीटर जल में 0.014 मिलीग्राम) की तुलना में दस गुना से अधिक है। इस तरह कृषित (cultivated) अपवाह बेसिनों में नाइट्रोजन का सान्द्रण (प्रति लीटर जल में 4.17 मिलीग्राम) वानस्पतिक आवरण से युक्त अपवाह बेसिनों (प्रति लीटर जल में 0.85 मिलीग्राम) की

तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। इस अन्तर का प्रमुख कारण कृषित अपवाह बेसिनों में कृषि के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग है।

30.5 मनुष्य तथा अपक्षय एवं द्रव्यमान संचलन

अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ (आवरण प्रस्तर) के विघटन तथा वियोजन को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय एक प्राकृतिक भौमिकीय (geological) प्रक्रिया है जो सूर्यातप, जल, तुषार, वायु, दबाव, आक्सीजन, कार्बन डाइ आक्साइड, हाइड्रोजन, पौधों तथा जन्तुओं के विभिन्न संयोगों (combinations) के तहत सम्पादित होती है। मनुष्य एक जैविक प्राणी के रूप में अपक्षय को दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। खनिजों की प्राप्ति के लिए उत्खनन कार्य, बाँधों के निर्माण तथा खनिजों की प्राप्ति के लिए पहाड़ियों तथा पर्वत श्रेणियों को डायनामाइट से उड़ाना, औद्योगिक पदार्थों (यथा सीमेण्ट उद्योग के लिए लाइमस्टोन) तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इमारती सामान की प्राप्ति के लिए पत्थरों एवं अन्य पदार्थों के उत्खनन आदि द्वारा भूपदार्थों (geomaterials) में विघटन इतनी तीव्र गति से अल्प काल में सम्पादित होता है कि उतनी मात्रा में प्राकृतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं द्वारा विघटन हजारों-लाखों वर्षों में ही सम्भव हो पायेगा। मनुष्य निर्वनीकरण (deforestation) द्वारा भूसतह को परिवर्तित करके पहाड़ी ढालों पर अपक्षय की दर को तेज कर देता है। वनस्पतियाँ, मुख्य रूप से सघन वृक्ष, पहाड़ी ढाल को स्थिरता प्रदान करती हैं क्योंकि पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की जड़ों का जाल रिगोलिथ तथा शैलों को यांत्रिक बलवर्द्धन (mechanical reinforcement) प्रदान करता है तथा भूपदार्थों की संलग्नता (cohesion, आपस में चिपटना) को बढ़ाता है। इसके विपरीत निर्वनीकरण (deforestation) पहाड़ी ढालों पर असंगठित भूपदार्थों के यांत्रिक बलवर्द्धन एवं उनकी (भूपदार्थों) की संलग्नता को कम करता है जिस कारण ढाल विनाश (slope failure) तथा पदार्थों का निचले ढाल की ओर सामूहिक संचलन (massmovement) प्रारम्भ हो जाता है। इसके अन्तर्गत भूमिस्खलन, अवपात (slumping), मलवापात एवं स्खलन (debris fall and slide) आदि को सम्मिलित करते हैं। हिमालय के निचले ढालों पर मनुष्य द्वारा जनित भूमिस्खलन आम बात है।

पंकवाह (mudflow) तथा भूमिवाह (earthflow) के लिए जिम्मेदार मनुष्य की क्रियाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है :

> उत्खनन कार्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यर्थ मिट्टियों (waste soils) तथा शैलों के छोटे-बड़े टुकड़ों को बड़े-बड़े ढेरों के रूप में एकत्रित करना। इस तरह मलवा का ढेर शीघ्र ही बाहर की तरफ फैलने लगता है तथा आस-पास के क्षेत्रों को आच्छादित करके अपने चपेट में ले लेता है।

होने लगता है।

(4) भूमिगत जल एवं पेट्रोलियम का विदोहन

सतह के नीचे से जल तथा खनिज तेल के निष्कासन एवं निर्माण कार्य के लिये आवश्यक ठोस पदार्थों के खनन के कारण भूमिगत पदार्थों के ऊपर स्थित भार एवं दबाव में कमी हो जाती है जिस कारण भूमिगत पर्यावरण में अनेक प्रकार के फेर-बदल होते हैं। यदि भूमिगत जल का पम्प सेटों तथा ट्यूबवेल्स के माध्यम से विदोहन, वर्षा के जल द्वारा भूमिगत जल के पुनः पूरण (recharge) को दर से कहीं अधिक दर से किया जाता है तो भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आ जाती है। एक तरफ इसका परिणाम यह होता है कि भूमिगत जल संसाधन का लगातार क्षय होता जाता है तो दूसरी तरफ सतह के नीचे कोटर (cavities) बनते जाते हैं। इन कोटरों के आकार तथा गहराई में निरन्तर वृद्धि होती जाती है और अन्ततः ऊपरी सतह नीचे की ओर ध्वस्त हो जाती है। भूमिगत जल के विदोहन के कारण धरातलीय सतह में अवतलन के कतिपय उदाहरण अध्याय 3 (मानव-पर्यावरण सम्बन्ध) में दिये जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 'भूमिगत जल खनन' (groundwater mining) — भूमिगत जल के विदोहन को भूमिगत जल का खनन भी कहते हैं) के कारण धरातलीय सतह का अवतलन मुख्यतया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर सतह के नीचे के पदार्थ ढीले तथा असंगठित होते हैं। सतह के नीचे स्थित ठोस तथा संगठित संरचनाओं से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के विदोहन के कारण शैलों में स्थानीय स्तर पर चटकन, विदर तथा फटन, भ्रंशन एवं अवतलन की घटनाएँ होती हैं।

(5) खनन कार्य

भूमिगत खनन (underground mining) द्वारा ठोस पदार्थों, यथा : कोयला, सोना, तांबा, चूनाप्रस्तर आदि, के खनन तथा विदोहन के कारण ऊपर स्थित सतह नीचे की ओर ध्वस्त हो जाती है। कभी-कभी भूमिगत खनन इतनी गहराई तक पहुँच जाता है कि खदानों की गहराई भूमिगत जलस्तर तक पहुँच जाती है। इस परिस्थिति में खनन कार्य को और अधिक गहराई तक सम्भव बनाने के लिये नीचे से पानी को बाहर निकालना पड़ता है। यदि यह स्थिति चूनाप्रस्तर या डोलोमाइट के क्षेत्रों में होती है तो सतह पर मानव जनित विलयन छिद्र (sink holes) बन जाते हैं। इन मानव जनित विलयन छिद्रों से होकर धरातलीय वर्षा का जल नीचे जाता है जिस कारण ऊपरी सतह ध्वस्त होने लगती है। खदानों से जल को बाहर निकालने से (खदानों को शुष्क रखने के लिये) भूमिगत जल का तल नीचे चला जाता है, जिस कारण सतह पर स्थित जलस्रोत (water spring) तथा चरमे सूख जाते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संघ में जोहान्सबर्ग के पास 'फार वेस्ट रेण्ड माइनिंग डिस्ट्रिक्ट' में सोने

की खदानों से जल के निष्कासन के कारण (1962-1966) सतह पर दर्जनों विलयन रंध्रों का निर्माण हो गया। इनमें से सबसे बड़े छिद्र की व्यास 125 मीटर तथा गहराई 50 मीटर थी। कभी-कभी जब कोयले की खदानें काफी गहरी हो जाती हैं और कोयले का खनन अनार्थिक हो जाता है तो इन खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है (ऐसा होना नहीं चाहिए, परन्तु धन के लोलुप ठीकेदार या लापरवाह सरकारी अधिकारी ऐसा कर बैठते हैं) तथा पुरानी खदान के पास ही नयी खदान प्रारम्भ की जाती है। ऐसी हालत में खुली पुरानी तथा परित्यक्त खदान में वर्षा का जल एकत्रित होता रहता है। इस जलप्लावित खदान से जल नयी एवं पुरानी खदानों के मध्य स्थित दीवालियों से रिस कर नयी खदान में जाने लगता है। धीरे-धीरे जल का मार्ग बड़ा हो जाता है तथा पुरानी खदान से जल तेजी से नयी खदान में पहुँचता है, जिस कारण नयी खदान में काम करने वाले व्यक्ति अचानक कालकवलित हो जाते हैं (ऐसी स्थिति में कोई राहत कार्य भी सम्भव नहीं हो पाता है)। झारखण्ड की चसनाला त्रासदी मनुष्य के मूर्खतापूर्ण कार्यों का जीता-जागता उदाहरण है। चसनाला की पुरानी खुली कोयले की खदान से जल का पास ही स्थित सक्रिय खदान में शीघ्रता से अचानक प्रवेश हो जाने के कारण खदान में कार्यरत सैकड़ों श्रमिकों को जान से हाथ धोना पड़ा।

भूमिगत खनन के कारण भूमिगत जल के प्रवाह में दिशा परिवर्तन हो जाता है, जलप्रवाह की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, हानिकारक गैसों मुक्त होकर सतह के बाहर निकल आती हैं, शैल प्रस्फोट (rockburst) तथा भूपदार्थों में प्रस्फोट होते हैं, अवतलन के कारण धरातलीय सतह में चटकन (cracks) आ जाते हैं तथा धरातलीय सतह में तोड़-फोड़ होने से असमानता उत्पन्न हो जाती है। स्थानिक (स्थान विशेष में सीमित) किन्तु अत्यधिक शक्तिशाली मानव क्रियाएँ, यथा सड़कों के निर्माण के लिये पहाड़ियों को डायनामाइट से उड़ाना, बांधों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान बनाने के लिये चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाना आदि, धरातल को अल्पकाल में परन्तु व्यापाक स्तर पर विरूपित कर देती हैं। नाभिकीय विस्फोट (nuclear explosions) मनुष्य की क्रियाओं में सर्वाधिक घातक, संहारक तथा शक्तिशाली होते हैं। इनके द्वारा न केवल धरातल में क्षणभर में उलट-फेर हो जाता है वरन् शक्तिशाली भूकम्प भी आते हैं। परिहिमानी क्षेत्रों में धरातलीय सतह में परिवर्तन मानव समाज के लिये संहारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं (देखिये पिछला उपसेक्शन)।

30.10 मनुष्य तथा मृदीय प्रक्रम

(Man and Pedological Process)

मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह मनुष्य के लिये वांछित सभी प्रकार का आहार प्रदान करती है, साथ ही

का प्रयोग न केवल वांछनीय है वरन् आवश्यक भी है परन्तु इनका प्रयोग स्थान विशेष की मिट्टियों के गुणों तथा विशेषताओं और इन खादों को आत्मसात करने की मिट्टियों की क्षमता की परख एवं जानकारी के पश्चात काफी सूझ-बूझ के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पौधों की वृद्धि के लिये नाइट्रेट अति आवश्यक होती है परन्तु चूँकि नाइट्रोजन घुलनशील होती है तथा अपक्षालन (leaching) द्वारा आसानी से नीचे चली जाती है, अतः मिट्टियों में इसका कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए, इसका निर्धारण मिट्टियों की संरचना के अनुसार किया जाना चाहिए। ढीली, बड़े कणों वाली तथा सुप्रवाहित (well drained) मिट्टियों (यथा — रेतीली मिट्टी) में यदि नाइट्रोजन का प्रयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है तो नाइट्रोजन के अधिक भाग का क्षय हो जाता है (तथा पौधों के लिए स्वल्प मात्रा में ही सुलभ हो पाती है) क्योंकि यह जल में शीघ्र ही घुल जाती है तथा जल के साथ अन्यत्र गमन कर जाती है। इसके विपरीत फासफेट मिट्टियों में आत्मसात हो जाता है तथा उसका सान्द्रण बढ़ता जाता है परन्तु यह पौधों के लिए कम मात्रा में ही सुलभ हो पाता है। लोहा, एलुमिनियम या मैंगनीज तत्वों से युक्त अम्लीय मिट्टी फासफेट के स्थिरीकरण (fixation) को बढ़ावा देती है जबकि क्षारीय मिट्टी कैल्सियम फासफेट के घुलन को कम करती है। इन प्रक्रियाओं के कारण मृदा की परिच्छेदिकाओं के ऊपरी स्तर में फासफेट का सान्द्रण (concentration) होता है परन्तु इसका मिट्टियों की उत्पादकता पर कम ही असर होता है। इसके विपरीत नाइट्रेट्स का अपक्षालन (leaching) तथा उनका नदियों एवं झीलों में गमन अति हानिकारक होता है क्योंकि इनके द्वारा अवांछित पौधों में आशातीत वृद्धि होती है जिस कारण जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यदि धरातल पर वनस्पति के आवरण में पौधों की प्रजातियों (species) में परिवर्तन द्वारा परिवर्तन होता है तो मृदा परिच्छेदिकाओं के रासायनिक गुणों में रूपान्तर हो जाता है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के क्रियाकलापों के मृदा की परिच्छेदिकाओं के प्रक्रमों एवं मिट्टियों के गुणों तथा विशेषताओं पर दुष्प्रभाव के बावजूद मानव समाज के लिए आधारभूत संसाधन के रूप में मिट्टियों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मानव समाज के लिये मिट्टियों को अधिक उपयोगी संसाधन बनाने के लिये यह वांछनीय ही नहीं अपितु आवश्यक है कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं, मृदा के निर्माणक प्रक्रमों की कार्यविधियों, मृदा की परिच्छेदिकाओं के प्रक्रमों की क्रियाविधियों, मिट्टियों के गुणों तथा विशेषताओं, मनुष्य द्वारा मिट्टियों में वाह्य पदार्थों के निवेश के मिट्टियों पर विभिन्न प्रभावों को विधिवत रूप से समझा जाय तथा इनका विशद रूप में क्षेत्र एवं प्रयोगशालाओं में अध्ययन किया जाय ताकि मिट्टियों से, बिना उसे दूषित तथा अवनयित किये, अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिये बेहतर मृदा संरक्षण की योजनायें बनायी जा सकें।

30.11 मनुष्य तथा भूमण्डलीय ऊष्मन, एवं हिमनदों का पिघलना

प्रमुख भूमण्डलीय समस्यायें

वर्तमान समय में विश्व के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या भूमण्डलीय ऊष्मन (वैश्विक गर्मी, global warming) तथा उससे जनित भूमण्डलीय पर्यावरण परिवर्तन (GEC, global environmental change) से सम्बन्धित है। इन समस्याओं के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, यथा : वायुमण्डल की रासायनिक संरचना (गैसीय संरचना, विभिन्न गैसों के प्राकृतिक अनुपात में परिवर्तन) में परिवर्तन, ओजोन क्षरण, तीव्र गति से हरितगृह गैसों (green house gases, यथा : कार्बन डाइ आक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन आक्साइड) का उत्सर्जन, औद्योगीकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, खासकर वन विनाश आदि। इनमें से अधिकांश या यों कहें सभी कारक मानव जनित हैं। ज्ञातव्य है कि वायुमण्डल की प्राकृतिक रासायनिक संरचना, अर्थात् गैसीय संघटन में यदि प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो प्रकृति उसे आत्मसात कर लेती है परन्तु यदि मानव जनित कारकों से कोई इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह प्रकृति की सहनशक्ति से अधिक हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान समय में मानव जनित स्रोतों से वायुमण्डल में हरितगृह गैसों का इतनी तेजी से सान्द्रण बढ़ रहा है कि भूमण्डलीय स्तर पर तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। भूमण्डलीय ऊष्मन तथा वायुमण्डल की रासायनिकी (chemistry) में परिवर्तन का सम्भावित नेट परिणाम होगा जलवायु में परिवर्तन, यह परिवर्तन स्थानिक मापक की दृष्टि से स्थानीय, प्रादेशिक या भूमण्डलीय स्तर पर हो सकता है, तथा कालिक मापक पर मौसम एवं जलवायु में अल्पकालिक (short-term) या दीर्घकालिक (long-term) परिवर्तन हो सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भविष्य में होने वाले सम्भावित जलवायु परिवर्तनों के मनुष्य तथा प्रकृति पर दूरगामी प्रतिकूल दुष्प्रभावों को लेकर चिन्तित एवं भयभीत है। यदि जलवायु में भारी परिवर्तन होता है तो कई समस्यायें उठ खड़ी होंगी : विहिमानीकरण (deglaciation) एवं सागर तल में धनात्मक परिवर्तन (सागर तल में उभार), सागर द्वीपीय राष्ट्रों एवं सागर तटीय भागों का जलप्लावन से निमज्जन (submergence), वाष्पीकरण एवं वर्षण सहित वायुमण्डलीय गतिकी (atmospheric dynamics) में परिवर्तन, भूमण्डलीय विकिरण (ऊष्मा) सन्तुलन में अव्यवस्था, प्रकाश संश्लेषण एवं पारिस्थितिकीय उत्पादकता में परिवर्तन, पादप एवं वनस्पति समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव, मनुष्य के स्वास्थ्य एवं क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव आदि। भूमण्डलीय ऊष्मन एवं पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण वायुमण्डल की रासायनिक संरचना में वायुप्रदूषण (गैसीय, एवं ठोस कणिकीय प्रदूषण) द्वारा परिवर्तन

राजनैतिक समाजशास्त्र

डॉ० डी.एस. बघेल

डॉ० टी.पी. सिंह कर्चुली

U. G. C.

२२०३५

विषय-सूची

अध्याय	अध्याय का विवरण	पृष्ठ सं.
□ 1.	राजनैतिक समाजशास्त्र : परिचय, विषय-सामग्री एवं क्षेत्र <ul style="list-style-type: none"> • राजनैतिक समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताएँ • राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय-सामग्री एवं क्षेत्र • क्या राजनैतिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है? • राजनैतिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध 	1
□ 2.	राजनैतिक समाजशास्त्र का विशिष्ट उपागम <ul style="list-style-type: none"> • राजनैतिक समाजशास्त्र का उद्भव और विकास • राजनैतिक समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • राजनैतिक समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व 	21
□ 3.	राजनैतिक व्यवस्था एवं समाज में अंतःसंबंध <ul style="list-style-type: none"> • राजनैतिक व्यवस्था : परिभाषा तथा विशेषताएँ • राजनैतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण • राजनैतिक व्यवस्था व समाज में अंतःसंबंध 	31
✓ □ 4.	प्रजातांत्रिक व्यवस्था <ul style="list-style-type: none"> • प्रजातंत्र : परिभाषाएँ तथा विशेषताएँ • प्रजातंत्र : प्रकार, मूल सिद्धान्त, गुण व दोष • भारत में प्रजातंत्र 	39
□ 5.	सर्वाधिकारवादी व्यवस्था <ul style="list-style-type: none"> • सर्वाधिकारवाद के स्वरूप, लक्षण व दोष 	56
□ 6.	प्रजातांत्रिक एवं सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के आविर्भाव तथा स्थायित्व की सहायक सामाजिक-आर्थिक दशाएँ <ul style="list-style-type: none"> • प्रजातांत्रिक व्यवस्था : आविर्भाव तथा स्थायित्व • सर्वाधिकारवादी व्यवस्था : आविर्भाव तथा स्थायित्व 	62
□ 7.	राजनैतिक संस्कृति <ul style="list-style-type: none"> • राजनैतिक संस्कृति की परिभाषाएँ, लक्षण एवं संगठक • राजनैतिक संस्कृति के प्रकार, आधार एवं आयाम 	72

- 21. चुनाव तथा मतदान व्यवहार 285
- पहली, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोकसभा के चुनाव
 - चौदहवीं लोकसभा चुनाव की दलीय स्थिति (2004)
- 22. ग्रामीण भारत में नेतृत्व तथा गुट 330
- नेतृत्व की परिभाषा, विशेषताएँ, लक्षण एवं वर्गीकरण
 - ग्रामीण नेतृत्व के आधार तथा बदलते प्रतिमान
 - ग्रामीण गुट
- 23. प्रचार 343
- प्रचार की परिभाषा एवं तत्व
 - प्रचार का मनोविज्ञान एवं विधि
 - प्रचार के साधन एवं सामाजिक नियंत्रण में प्रचार का महत्व
- 24. कानून 353
- कानून : परिभाषा, विशेषताएँ, प्रकार एवं स्रोत
 - सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका
- 25. ग्रामीण भारत में पंचायतें 361
- ग्राम पंचायत : उद्देश्य एवं भूमिका
 - पंचायतों के महत्व के सरकारी प्रयास
- 26. शक्ति की अवधारणा 381
- शक्ति : अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ
 - शक्ति के स्रोत एवं माप
- 27. प्रभाव 395
- प्रभाव : अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ एवं उद्देश्य
 - प्रभाव के मापन एवं स्रोत
- 28. सत्ता की अवधारणा 406
- सत्ता : अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ
 - सत्ता के कार्य एवं सीमाएँ
- 29. मध्य प्रदेश में लोकायुक्त 417

4

प्रजातांत्रिक व्यवस्था

(Democratic System)

प्रत्येक सामाजिक प्राणी को जीवन में सुखी रहने की ललक होती है। व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य उसकी सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए समाज में संस्थागत व्यवस्थाएँ प्रचलित रही हैं। ये सामाजिक अथवा राजनैतिक संस्थाएँ चाहे जिस रूप में हों, वे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करती हैं। परिणामस्वरूप नागरिकों का जीवन सुखी व सुरक्षित रहता है। प्रजातांत्रिक एवं सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएँ राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विषयों की महत्वपूर्ण संस्थाओं व संकल्पनाओं में से प्रमुख हैं। ये दोनों व्यवस्थाएँ परस्पर विरोधी हैं। यद्यपि दोनों अवधारणाएँ विश्व के राजनैतिक पटल पर देखी जाती रही हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की आस्था तथा सरकार का विश्वास आज के परिवेश में अधिक लोकप्रिय है। पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ देशों में सर्वाधिकारवादी (Totalitarian) व्यवस्था भी विद्यमान रहीं। इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का हम पृथक-पृथक अध्याय में अध्ययन करेंगे।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि राजनीति व सरकार में सभी जाति, धर्म, भाषा व लिंग के लोगों को समान रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता के साथ उन्हें समान रूप से सामाजिक न्याय का अवसर मिले। इस प्रकार के मूल्यों व नियमों के संदर्भ में जो व्यवस्था परिलक्षित होती है उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जानने हेतु हम प्रजातंत्र की अवधारणा को समझेंगे।

प्रजातंत्र क्या है?

(What is Democracy)

वर्तमान में प्रजातंत्र एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक-सामाजिक आदर्श व मूल्य के रूप में जाना जाता है। इसीलिए आज लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोकतंत्र इतना व्यापक हो चुका है कि इसके आदर्शों की सराहना हर व्यक्ति करता है। प्रजातंत्र ने शासन सत्ताओं का स्वरूप बदला है और बड़े-बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त किया है। प्रजातंत्र का इतिहास बहुत पुराना है। प्रजातंत्र को आज सम्पूर्ण मानवता ने आत्मसात किया है।

24

कानून

(Law)

समाज का उद्विकास हुआ है। इस उद्विकास की मौलिक विशेषता—हरबर्ट स्पेन्सर के शब्दों में—सरल से जटिल की ओर रही है। साथ ही, सामाजिक उद्विकास के कारण समाज निरन्तर जटिल से जटिलतर होता जाएगा। प्रत्येक समाज में एक निश्चित व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक शान्ति की स्थापना और समाज को प्रगति की ओर ले जाना होता है। मानव प्रकृति भिन्नताओं से परिपूर्ण है। इसमें यदि ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को संगठित करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो समाज को विघटित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था के टूटने का परिणाम यह होता है कि सामाजिक शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। साथ ही, सामाजिक प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि समाज की व्यवस्था को स्थायी रखा जाए। किन्तु मौलिक प्रश्न यह है कि समाज व्यवस्था को कैसे स्थायित्व प्रदान किया जाए?

समाज में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आदिकाल से 'सामाजिक दबाव' (Social Pressure) के महत्त्व को स्वीकार किया जाता रहा है। समाज अपने व्यक्तियों को सामाजिक शक्ति की सहायता से नियन्त्रित करता है। इन्हीं दबावों को सामाजिक नियन्त्रण के नाम से जाना जाता है। सामाजिक दबाव के ये साधन दो प्रकार के होते हैं—

- (i) अनौपचारिक (Informal), तथा
- (ii) औपचारिक (Formal)।

कानून सामाजिक नियन्त्रण का औपचारिक साधन है। आदिम समाजों में अनौपचारिक सामाजिक नियन्त्रण के साधनों में प्रथा, रीति-रिवाज, धर्म, परम्पराएँ आदि सम्मिलित रहते हैं। औपचारिक सामाजिक नियन्त्रण आधुनिक समाज की देन है। इसके अन्तर्गत कानून को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार कानून औपचारिक सामाजिक नियन्त्रण का साधन है।

कानून की परिभाषा

(Definition of Law)

विभिन्न विद्वानों ने कानून की जो परिभाषाएँ दी हैं, वे निम्नलिखित हैं—

- दुर्खीम—“सामाजिक संगठन का प्रत्यक्ष प्रतीक कानून है।”

आरपी यूनीफाइड

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
पाठ्यक्रमानुसार

भूगोल

GEOGRAPHY

प्रथम वर्ष

डॉ. शिवानन्द गौतम | डॉ. आशुतोष सिंह गौर



राम प्रसाद एण्ड संस

भाग अ - परिचय

कार्यक्रम : प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट कोर्स)	कक्षा : बी.ए. प्रथम वर्ष	वर्ष : 2021	सत्र : 2021-2022
विषय - भूगोल			

1. पाठ्यक्रम का कोड	AI-GEOGIT
2. पाठ्यक्रम का शीर्षक	मानव भूगोल: वातावरण एवं संस्कृति (प्रश्न-पत्र 1)
3. पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/....)	कोर कोर्स
4. पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	छात्र 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए।
5. पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियाँ (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात् छात्र— i. मानव भूगोल की मुख्य संकल्पनाओं और मूल सिद्धांतों जैसे— स्थान, क्षेत्र, मापन और भूदृश्य का वर्णन एवं विवेचन कर सकेंगे। ii. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विविधताओं और स्थानों को समझ पायेंगे। iii. स्थान की महत्ता की समझ के द्वारा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समस्या के समाधान तक पहुंच सकेंगे।
6. क्रेडिट मान	सैद्धांतिक— 4
7. कुल अंक	अधिकतम अंक 25+75 न्यूनतम उत्तीर्ण अंक : 33

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु

व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में) : 2 घंटे प्रति सप्ताह (कुल व्याख्यान 60 घंटे)

इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	मानव भूगोल का परिचय:	12
	1. परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य एवं विषय-क्षेत्र	
	2. मानव भूगोल का विकास	
	3. अन्य विज्ञानों से मानव भूगोल का अंतर्संबंध	
	4. क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना	
	5. भारतीय आचार-विचार एवं मूल्य	
II	मानव, वातावरण एवं संस्कृति:	12
	1. मानव एवं वातावरण संबंध	
	1.1 निश्चयवाद, संभववाद एवं नव-निश्चयवाद	
	2. क्षेत्रवाद एवं संस्कृतिवाद	
	3. भूगोल में द्वैतवाद	
	3.1 क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक	
	3.2 भौतिक बनाम मानव	
	3.3 सैद्धांतिक बनाम प्रायोगिक	

इकाई	विषय	व्याख्या की संख्या
	4. परिवर्तनवाद एवं व्यावहारवाद की संकल्पना	
	5. मानव संस्कृति के बदलते प्रतिरूप	
III	वातावरण एवं मानवीय अनुकूलन:	12
	1. विश्व के वृहद् पर्यावरणीय प्रदेश	
	2. मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, भारत के विशेष संदर्भ में	
	3. मानव वातावरण अनुकूलन	
	3.1 एस्किमो - शीतप्रदेश	
	3.2 बुशमैन - उष्णप्रदेश	
	3.3 भारतीय जगवा जनजाति - भूमध्यरेखीय प्रदेश	
	3.4 मध्यप्रदेश की भील, गोंड एवं सहारिया जनजाति	
IV	जनसंख्या एवं मानव विकास:	12
	1. विश्व जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व और वितरण	
	2. जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारक	
	3. जनसंख्या स्थानान्तरण एवं अप्रवास के कारण	
	4. जनसंख्या विस्फोट एवं अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना	
	5. मानव विकास की संकल्पना	
5.	मानव अधिवास एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ:	12
	1. ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप	
	2. ग्रामीण अधिवास की पर्यावरणीय समस्याएँ	
	3. नगरीय अधिवास का पदानुक्रम	
	4. भारतीय नगरों एवं शहरों की विशिष्ट विशेषताएँ	
	5. सांस्कृतिक प्रक्रिया: मानव समूहों की अन्तर क्रिया	
	6. भारत में मानव अधिवास की समस्याएँ	
	सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: क्षेत्रीय विभिन्नता, भारतीय आचार-विचार, वातावरण, संस्कृति, परिवर्तनवाद, मानव प्रजाति, मानव विकास, पदानुक्रम	

भाग द - अनुशासित मूल्यांकन विधियाँ

अनुशासित सतत मूल्यांकन विधियाँ		
अधिकतम अंक	: 100	
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE)	: 25 अंक	विश्वविद्यालय परीक्षा (UE) : 75 अंक
आंतरिक मूल्यांकन		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): 25	क्लास टेस्ट	15
	असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रजेन्टेशन)	10
आकलन :		कुल अंक : 25
विश्वविद्यालयीन परीक्षा	अनुभाग (अ) : तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 × 03 = 09
समय : 02.00 घंटे	अनुभाग (ब) : चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	04 × 09 = 36
	अनुभाग (स) : दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 × 15 = 30
		कुल अंक : 75

विषय सूची

अध्याय

भौतिक भूगोल-स्थलमण्डल (भू-आकृति विज्ञान)

पृष्ठ

1.	भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय-वस्तु	1
2.	ब्रह्माण्ड और सौर-मण्डल	9
3.	पृथ्वी की उत्पत्ति सम्बन्धी परिकल्पनाएँ	24
4.	पृथ्वी की आयु	38
5.	भू-गर्भिक समय सारणी	42
6.	पृथ्वी की आंतरिक संरचना	52
7.	चट्टान : उत्पत्ति, प्रकार एवं संघटन	62
8.	स्थल एवं जल का निर्माण	76
9.	समस्थितिकी सिद्धान्त	79
10.	वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त	86
11.	प्लेट विवर्तनिकी	95
12.	पर्वतनिर्माण के सिद्धान्त	103
13.	अन्तर्जात बल एवं बहिर्जात बल	111
14.	भूकम्प, ज्वालामुखी एवं सुनामी	123
15.	भू-आकृतिक प्रक्रम : अपक्षय	155
16.	वृहद क्षरण	163
17.	अपरदन-चक्र की संकल्पना	168
18.	ढाल विकास की संकल्पना	177
19.	स्थलरूपों का विकास: अपरदन, परिवहन, निक्षेपणकार्य एवं नदी	184
20.	वायु निर्मित भू-आकृतियाँ	203
21.	कास्ट एवं हिमानी निर्मित भू-आकृतियाँ	213
22.	सागरीय भू-आकृतियाँ	234
23.	भूआकृति विज्ञान का अनुप्रयोग	248

प्रायोगिक भूगोल : सामान्य मानचित्रकला

1.	मानचित्रकला की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	मापनी	13
3.	मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण	27
4.	मानचित्र	38
5.	सर्वेक्षण के आधारभूत सिद्धान्त	50
6.	चेन एवं टेप सर्वेक्षण	54

मानव-पर्यावरण सम्बन्ध :
निश्चयवाद, सम्भववाद एवं नव-निश्चयवाद
[MEAN ENVIRONMENT RELATIONS :
DETERMINISM, POSSIBILISM AND NEO-DETERMINISM]

मानव वातावरण एवं संस्कृति

मानव पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, जिसने अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में परिवर्तन कर अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों को पैदा किया है। साथ ही उसने समाज के लिये विभिन्न प्रकार के विश्वासों, मान्यताओं एवं आचरण के लक्षणों को भी स्थापित किया है। यही कारण है कि मानव को संस्कृति का जन्मदाता कहा जाता है। संस्कृति मानव समाज की अनुपम धरोहर है, इससे ही मानव समाज अन्य जीव समाज से बिल्कुल अनूठा है।

मानव द्वारा वातावरण से क्रिया कर संस्कृति को जन्म देने के लिये जिम्मेदार सबसे प्रभावशाली उसकी (मानव की) वातावरण की विभिन्न घटनाओं/क्रियाओं को समझने एवं इसके कार्य-कारण सम्बन्धों की व्याख्या करने की क्षमता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भूगोलवेत्ताओं के लिए संस्कृति वस्तुतः मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण का एक पहलू है जो उसके जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है।

भूगोल में मानव और वातावरण के सम्बन्धों का विचार तो प्राचीन काल से होता रहा है, परन्तु 19 शताब्दी में जर्मन में इस पक्ष पर गहन अध्ययन तथा चिन्तन हुआ, जिसमें वातावरण को सर्व-प्रमुख माना गया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 35 वर्षों में इस विचारधारा में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव को प्रधानता दे दी। उसके बाद अमेरिका तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने दोनों पक्षों का समन्वय का प्रयत्न किया है। इस प्रकार मानव-वातावरण सम्बन्ध पर निर्मांकित तीन विचारधाराओं या संकल्पनाओं का प्रयत्न हुआ है—

- (1) निश्चयवाद या नियतिवाद (Determinism)—जर्मन विचारकों द्वारा,
- (2) सम्भववाद (Possibilism)—फ्रांसीसी विचारकों द्वारा, एवं
- (3) नव-नियतिवाद (Neo-determinism)—अमेरिकन तथा ब्रिटिश विचारकों द्वारा।

निश्चयवाद

(Determinism)

निश्चयवादी संकल्पना के अनुसार प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव मानव को किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है। इस विचारधारा में मानव को भूतल माना गया है।¹

¹ "Man is the product of earth."

मानव का पर्यावरण से अनुकूलन

[HUMAN ADAPTATION TO THE ENVIRONMENT]

मानव भूगोल के अध्ययन में पर्यावरण या वातावरण एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते और अनिवार्य रूप से उनका अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन में वातावरण का तात्पर्य उन सभी तथ्यों, स्थितियों और दशाओं से है जो किसी वस्तु अथवा क्षेत्र के चारों ओर विद्यमान होती हैं और चारों ओर रहकर वस्तु को प्रभावित करती हैं। वातावरण के अन्तर्गत प्राकृतिक व मानवीय दोनों तत्व शामिल हैं जो मानव के कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक तत्वों में स्थिति, स्थलाकृत, जलवायु, जलराशियाँ, मिट्टी, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जन्तु सम्मिलित हैं। ये सभी तत्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों द्वारा मानव का शारीरिक गठन, खानपान, वेश-भूषा, रहन-सहन, आचार-विचार आदि सभी प्रभावित होते हैं। वातावरण का दूसरा पहलू सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक तत्वों के अन्तर्गत वे सभी वस्तुएँ आती हैं जिनका निर्माण मानव के मन, मस्तिष्क और शारीरिक श्रम के परिणामस्वरूप होता है। इनमें मानव अधिवास, परिवहन के साधन, सिंचाई के साधन, व्यापार, भाषा, धर्म और सामाजिक चेतना आदि सम्मिलित हैं। ये सभी तत्व प्राकृतिक तत्वों की भाँति ही मानव को प्रभावित करते हैं।

मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने क्रियाकलापों को बदलने की क्रिया ही अनुकूलन कहलाती है। प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मानव की गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। परन्तु कहीं-कहीं मानव ने प्राकृतिक एवं भौतिक वातावरण के कठोर प्रभावों में संशोधन कर उसे अपने अनुकूल बनाया है। टुण्ड्रा प्रदेश के एस्किमो बर्फ के मकान (इग्लू) और जानवर की खाल के वस्त्र पहनकर जीवन-यापन करते हैं। उष्ण मरुस्थलों के लोग धूप, धूल व गर्मी से बचने के लिए लम्बे ढीले-ढाले वस्त्र पहनते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊबड़खाबड़ धरातल पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है।

इस अध्याय में पाठ्यक्रमानुसार विश्व के कुछ प्रमुख प्रदेशों में मानव तथा वातावरण की अन्योन्य क्रिया-प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है।

परिचय

'प्रजाति' एक जैविक संकल्पना (Biological Concept) है, जिसका तात्पर्य किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक वर्ग से नहीं, बल्कि वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता से है। 'प्रजाति' का सम्बन्ध प्राकृतिक नस्ल से है। किसी भी मानव-जाति के शारीरिक लक्षण (traits) वंशानुक्रम (heredity) द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य में चलते रहते हैं।

ग्रिफिथ टेलर¹ के अनुसार, 'प्रजाति' नस्ल (breed) को प्रकट करती है न कि संस्कृति (culture) को' (Race denotes breed, not culture)। विडाल डि ला ब्लाश² ने स्पष्ट किया है कि "प्रजाति से हमारा अर्थ ऐसे वर्गीकरण से है जोकि मानव-शरीर की आकृतिकी तथा भौतिकी को प्रभावित करने वाली शारीरिक लक्षणों की विशेषताओं पर आधारित है।" (We understand race to mean classification

1. Taylor, Griffith : Environment Race and Migration; 1949.

2. Vidal de La Blache : Human Geography.



नवबोध

यूनीफाइड

वनस्पति विज्ञान

बी.एस.सी.
द्वितीय वर्ष



द्वितीय प्रश्न-प्रश्न

451 - 872

इकाई 1

1. पारिस्थितिक विज्ञान—परिभाषा एवं विषय क्षेत्र 451-458
2. पारिस्थितिक तंत्र 459-485
3. जैव-भू-रासायनिक चक्र 486-496

इकाई 2

4. जल एवं लवणता के प्रति पादप अनुकूलन 497-519
5. तापमान एवं प्रकाश के प्रति पादप अनुक्रियाएँ 520-542
6. पादप अनुक्रमण 543-553

इकाई 3

7. समष्टि पारिस्थितिकी 554-564
8. सामुदायिक पारिस्थितिकी 565-585
9. जैव-विविधता एवं उनका संरक्षण 586-608

इकाई 4

10. मृदा 609-624
11. पर्यावरण प्रदूषण 625-652
12. पर्यावरणीय समस्याएँ 653-668
13. पादप सूचक 669-677
14. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कृषक एवं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार 678-692

इकाई 5

15. भारतवर्ष के जैव-भौगोलिक क्षेत्र 693-719
16. मध्य प्रदेश के वनस्पतिक प्रकार 720-725
17. प्राकृतिक संसाधन एवं उनका प्रबन्धन 726-750
18. आर्थिक वनस्पति विज्ञान—एक परिचय 751-755
19. धान्य, शर्करा एवं तेल उत्पादक पौधे 756-775
20. मसाला उत्पादक पौधे 776-794
21. औषधीय पौधे 795-835
22. पेय पदार्थ एवं रबर उत्पादक पौधे 836-850
23. रेशे एवं काष्ठ उत्पादक पौधे 851-866
24. लोकवानस्पतिकी 867-872

पर्यावरण प्रदूषण [ENVIRONMENTAL POLLUTION]

सामान्य परिचय (General Introduction)

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवधारियों का प्रादुर्भाव हुआ है और जीवधारी विद्यमान हैं। इसका प्रमुख कारण पृथ्वी पर एक विशिष्ट प्रकार के पर्यावरण (Environment) का पाया जाना है। पृथ्वी के इस पर्यावरण में सभी घटक (Components) एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित होते हैं।

शहरीकरण (Urbanization), औद्योगीकरण (Industrialization), पीड़कनाशकों (Pesticides), वाहनों (Vehicles) तथा परमाणु ऊर्जा (Atomic energy) के उपयोग ने पर्यावरण (जल, भूमि और वायु) के विभिन्न घटकों को पूरी तरह से प्रभावित करके इसकी संरचना को परिवर्तित कर दिया है, जिसका प्रभाव स्वयं मनुष्य तथा जीवमण्डल (Biosphere) के दूसरे जीवों पर पड़ता है। पर्यावरण के ये परिवर्तन या तो पर्यावरणीय घटकों (Environmental components) के उपयोग या नये घटकों के जुड़ जाने के कारण हुए हैं। पर्यावरण में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों को, जो कि जीवमण्डल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण (Pollution) कहते हैं।

अतः पर्यावरण या भूमि, जल और वायु के विभिन्न घटकों के भौतिक (Physical), रासायनिक (Chemical) या जैविक (Biological) गुणों में होने वाले वे अवांछनीय परिवर्तन, जो जैवमण्डल को किसी-न-किसी रूप में दुष्प्रभावित (Effects) करते हैं, संयुक्त रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण या प्रदूषण (Pollution) कहलाते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक या कृत्रिम (Natural or Artificial) दोनों हो सकता है।

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् ई. पी. ओडम (E. P. Odum) के अनुसार, प्रदूषण पर्यावरण (वायु, जल एवं मृदा) के भौतिक (Physical), रासायनिक (Chemical) एवं जैविक (Biological) लक्षणों में होने वाले अवांछित परिवर्तन (Undesirable changes) होते हैं, जो कि मनुष्य एवं अन्य सजीवों, औद्योगिक क्रियाओं (Industrial processes), जैविक दशाओं (Living conditions) तथा सांस्कृतिक धरोहरों (Cultural assets) के लिये हानिकारक होते हैं।

एक सुव्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों या पर्यावरण में एक प्रकार का सन्तुलन पाया जाता है। पर्यावरण के किसी भी घटक में परिवर्तन होने पर पारिस्थितिक तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः पारिस्थितिक तंत्रों के सन्तुलन को बनाये रखने के लिये पर्यावरण का संरक्षण अतिआवश्यक होता है।

प्रदूषक

(POLLUTANTS)

वे पदार्थ या कारक जिनके कारण प्रदूषण होता है, प्रदूषक कहलाते हैं। स्मिथ (Smith, 1977) के अनुसार, प्रदूषक विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा बनाये गये, प्रयोग में लाये गये अथवा फेंके गये अनेक पदार्थों के वे अवशेष या सह-उत्पाद (Co-products) हैं, जो कि जैवमण्डल (Biosphere) में अत्यधिक मात्रा में प्रवेश करने के पश्चात् पारिस्थितिक तंत्रों (Ecosystems) की सामान्य क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं तथा पौधों (Plants) एवं जन्तुओं (Animals) पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, सम्मिलित रूप से प्रदूषक (Pollutants) कहलाते हैं।

प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक (Atmospheric pollutants) निम्नलिखित हैं—

1. अवक्षेपित या जमा हुआ पदार्थ (Deposited matter)—उदाहरण—चिमनियों की कालिख (Soot), धुआँ (Smoke), टार (Tar), धूल (Dust) एवं ग्रिट (Grit) आदि।

पर्यावरणीय समस्याएँ [ENVIRONMENTAL PROBLEMS]

सामान्य परिचय (General Introduction)

वर्तमान स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इन पर्यावरणीय समस्याओं में से निम्नलिखित समस्याएँ प्रमुख हैं—

1. वैश्विक तापन, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन,
2. अम्ल वर्षा,
3. ओजोन परत अपक्षय।

वैश्विक तापन, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन

(GLOBAL WARMING, GREENHOUSE EFFECT AND CLIMATE CHANGE)

सामान्य परिस्थितियों में (जब वातावरण में CO_2 की सान्द्रता सामान्य होती है) पृथ्वी की सतह का तापमान उस पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा एवं पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, परन्तु जब वातावरण में CO_2 की सान्द्रता में वृद्धि होती है, तो इसकी मोटी परत परावर्तित होने वाली ऊष्मा (Heat) या ऊर्जा को वायुमण्डल से बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण वातावरण का तापमान ठीक उसी प्रकार बढ़ जाता है, जिस प्रकार हरित गृह (Greenhouse) में तापमान में वृद्धि हो जाती है। हरित गृह एक ऐसी संरचना है, जिसकी दीवारें एवं छत काँच की बनी होती हैं जिससे सूर्य से आने वाली विकिरण इस हरित गृह के अन्दर आती हैं, परन्तु उत्सर्जित होकर निकल नहीं पाती हैं, जिसके कारण हरित गृह के अन्दर का तापमान बढ़ जाता है। डी. बी. बोटकन एवं ई. ए. केलर (D.B. Botkin and E.A. Keller, 1982) के अनुसार, हरित गृह में दृश्य प्रकाश (Visible light) काँच को पार करके अन्दर उपस्थित मृदा (Soil) एवं पौधों को गर्म कर देती है। गर्म मृदा द्वारा अवरक्त (Infrared) जैसी लम्बी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें उत्सर्जित की जाती हैं। चूँकि काँच अवरक्त जैसी लम्बी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों के लिये अपारदर्शी (Opaque) होती है। अतः यह कुछ अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेता है तथा कुछ विकिरणों को परावर्तित कर देता है। इस क्रिया के कारण हरित गृह (Greenhouse) का तापमान बाह्य वातावरण से अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है।





Fig. 12-1. Greenhouse effect (Artificial).



12-2. Greenhouse effect (Natural).

यूनीफाइट वनस्पति विज्ञान

◀ प्रथम वर्ष ▶

प्रथम प्रश्न-पत्र
अनुप्रयुक्त वनस्पतिशास्त्र

एस. वी. अग्रवाल
वी. के. अग्रवाल
अमित अग्रवाल



शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा
स्नातक—प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न-पत्र के लिए जारी नवीन पाठ्यक्रम

वनस्पति विज्ञान

स्नातक—प्रथम वर्ष

प्रथम प्रश्न-पत्र

अनुप्रयुक्त वनस्पतिशास्त्र

[M.M. : 25 (CCE) + 75 = 100]

इकाई	व्याख्यान
इकाई I : 1.1 परिचय, उद्देश्य और महत्व अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान	12
1.2 वनस्पति विज्ञान का इतिहास और विकास	
1.3 पादप का मनुष्य और अन्य सेवाओं के साथ सम्बन्ध	
1.4 वनस्पति विज्ञान के विभिन्न विषय और उनके मानव कल्याण के लिए आवेदन	
इकाई II : 1.1 प्रदूषण और प्रदूषक : परिभाषा और प्रकार	12
1.2 फाइटोरेमेडिएशन : वायु, जल, मिट्टी, शोर और थर्मल प्रदूषक (कोई भी 5 पौधे— वानस्पतिक नाम और कुल) और प्रदूषण नियन्त्रण में उनकी भूमिका।	
1.3 बायोरेमेडिएशन : परिभाषा और प्रकार	
इकाई III : 1.1 प्राचीन कृषि पद्धतियाँ	12
1.2 आधुनिक कृषि पद्धतियाँ : पॉलीहाउस, ड्रिप सिंचाई, हाइड्रोपोनिक्स, कम्प्यूटर आधारित कृषि, टेरेस गार्डन	
1.3 जैविक खेती : परिचय, उद्देश्य और संक्षिप्त तकनीक	
1.4 बागवानी : परिभाषा और भूमिका	
1.5 वानिकी : परिभाषा, शाखाएँ और मानव कल्याण में भूमिका	
1.6 सिल्वीकल्चर : परिभाषा और प्रबन्धन कार्य-प्रणाली	
इकाई IV : 1.1 ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका	12
1.2 मानव वनस्पति विज्ञान (एथनोबोटनी) : परिचय और महत्व	
1.3 एथनोमेडिसिन : परिभाषा और उदाहरण (नीम, ऐलो, लॉग, अदरक, तुलसी, हल्दी, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, अरंडी (स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व)	
1.4 एथनो-फाइबर : परिभाषा और उदाहरण सुपारी, नारियल, हाथी घास, कपास (स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व)	

प्रदूषण और प्रदूषक : परिभाषा और प्रकार

5

अध्याय

[Pollution and Pollutants : Definition and Types]

वातावरण जल, वायु तथा मिट्टी में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं (Biological activities) के असन्तुलित एवं अवांछनीय परिवर्तनों द्वारा जो हानिकारक प्रभाव जीवधारियों एवं मनुष्य पर पड़ता है, उसे प्रदूषण कहते हैं।

अतः प्रदूषण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बायोस्फीयर के किसी भी घटक में परिवर्तन करता है, जो जैविक घटकों के लिए हानिकारक होता है।

आज लाखों मनुष्यों के सामने रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजी कमाने की समस्या है। इन सभी समस्याओं का कारण बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ वातावरणीय असन्तुलन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मनुष्य द्वारा जल, धूल तथा वायुमण्डल में विषाक्त पदार्थों की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। जंगलों, उर्वरा मिट्टी वाले खेतों को नष्ट करके औद्योगीकरण किया जा रहा है। आधुनिक युग में मनुष्य रेलगाड़ियों, मोटरों, स्कूटरों, हवाई जहाज, विषैली औषधियों, कीटनाशी यौगिकों व आण्विक प्रयोगों द्वारा वातावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। बड़े-बड़े देशों में मनुष्य ने प्राकृतिक स्रोतों का अनियमित ढंग से उपयोग करके अपने जीवन को विलासी बनाया है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को अपने समीप ही स्थल, जल एवं वायुमण्डल में बड़ी लापरवाही के साथ त्यागा है और इनके प्रति अज्ञानता भी दिखाई है, जिसका फल विकराल रूप धारण कर प्रदूषण के रूप में दिखाई देता है।

पर्यावरणीय प्रदूषण (Environmental pollution) आज संसार के सामने बड़ी समस्या है। महानगरों में स्थान-स्थान पर पोस्टरों पर पढ़ने को मिलता है कि "साँस लेने के लिए यहाँ की हवा का प्रयोग न करें", "पानी पीने के वास्ते नहीं है", "यहाँ से पकड़ी गई मछली न खाएँ" आदि। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य प्रदूषण पर नियन्त्रण नहीं कर पा रहा है।

प्रदूषक (Pollutants)

प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कोई भी पदार्थ प्रदूषक (pollutant) कहलाता है। प्रदूषकों के अन्तर्गत रासायनिक पदार्थ, धूल, अवसाद (sediment) तथा ग्रिट (grit) पदार्थ, जैविक घटक तथा उनके उत्पाद, भौतिक कारक, जैसे ताप आदि सम्मिलित हैं जो पर्यावरण पर कुप्रभाव डालते हैं। अतः प्रदूषक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है—

"कोई ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो इतनी अधिक सान्द्रता (concentration) में उपस्थित हो कि पर्यावरण के लिए क्षतिपूर्ण (injurious) हो, प्रदूषक कहलाता है।" जिन वस्तुओं का हम निर्माण, उपयोग करते हैं और बाद में इनका अवशेष (residue) फेंक देते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं।

प्रदूषकों के प्रकार (Kinds of Pollutants)

ओडम (Odum) ने प्राकृतिक विघटन के आधार पर प्रदूषकों को निम्नलिखित दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है—

(1) **जैव-निम्नीकरणीय प्रदूषक (Biodegradable pollutants)**—ऐसे प्रदूषक जिनका विघटन प्रकृति में आसानी से हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं; जैसे गन्दी नालियों द्वारा निकले कार्बनिक

(C),

पादप उपचार : एक पादप-आधारित पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी

[Phytoremediation : A Plant Based Eco-Friendly Technology]

6 अध्याय

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने "पादप उपचार (फाइटोरेमिडिएशन) को पर्यावरणीय प्रदूषकों को हटाने, डिटॉक्सीफाई (detoxify) या स्थिर करने के लिए पौधों के कुशल उपयोग [यू. एन. ई. पी. (UNEP), 2019] के रूप में परिभाषित किया।" पादप उपचार दूषित वातावरण की सफाई के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल और लाभप्रद तकनीक है। इस क्रियाविधि में जड़ों के माध्यम से प्रदूषकों का अवशोषण, शरीर के ऊतकों में संचय, प्रदूषकों को कम हानिकारक रूपों में विघटित और परिवर्तित करना शामिल है। पर्यावरणीय उपचार के लिए यह लागत-प्रभावी पादप-आधारित दृष्टिकोण पर्यावरण से तत्वों और यौगिकों को केन्द्रित करने और उनके ऊतकों में विभिन्न अणुओं को चयापचय करने के लिए पौधों की उल्लेखनीय क्षमता का लाभ उठाता है। जहरीले भारी धातु और कार्बनिक प्रदूषक पादप उपचार के प्रमुख लक्ष्य हैं।

पादप उपचार अनुप्रयोगों को भाग लेने वाली क्रियाविधि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरह की क्रियाविधि में मृदा या भूजल से दूषित पदार्थों का निष्कर्षण, पौधे के ऊतकों में संदूषकों की सान्द्रता, विभिन्न जैविक या अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा दूषित पदार्थों का क्षरण, पौधों से हवा में वाष्पशील संदूषकों का वाष्पोत्सर्जन; जड़ क्षेत्र में दूषित पदार्थों का स्थिरीकरण; हाइड्रोलिक दूषित भूजल का नियन्त्रण तथा वानस्पतिक आवरणों (Vegetation covers) द्वारा अपवाह (runoff), अपरदन (erosion) और अन्तःस्पंदन (infiltration) का नियन्त्रण शामिल है। अधिक स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ इन अनुप्रयोग श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

पादप निष्कर्षण या फाइटोएक्स्ट्रैक्शन (Phytoextraction)

इस प्रक्रिया में, प्रदूषक संचय करने वाले पौधों का उपयोग मृदा से धातुओं या कार्बनिक पदार्थों को निकालने योग्य (harvestable) भागों में केन्द्रित करके निकालने के लिए किया जाता है।

सहिष्णु पौधों की खेती मृदा से दूषित पदार्थों को लेने के लिए की जाती है और उन्हें जमीन के ऊपर के ऊतकों में जमा किया जाता है, जिन्हें समय-समय पर काटा जाता है, जिससे उन्हें मृदा या जल से हटाया जा सके। जड़ें मृदा या पानी से पदार्थ लेती हैं और इसे पौधे के बायोमास में जमीन के ऊपर केन्द्रित करती हैं। ऐसे जीव जो उच्च मात्रा में दूषित पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं, हाइपरएक्यूमुलेटर्स (hyperaccumulators) कहलाते हैं। पादप निष्कर्षण पौधों [जैसे पॉपुलस (*Populus*) और सेलिक्स (*Salix*)] द्वारा भी किया जा सकता है जो प्रदूषकों के निचले स्तर को लेते हैं, लेकिन उनकी उच्च विकास दर और बायोमास उत्पादन के कारण मृदा से काफी मात्रा में दूषित पदार्थों को हटा सकते हैं। आमतौर पर, पादप निष्कर्षण का उपयोग भारी धातुओं या अन्य अकार्बनिकों के लिए किया जाता है। निपटान के समय, संदूषक आमतौर पर शुरू में दूषित मृदा या तलछट की तुलना में पौधे के पदार्थ की बहुत कम मात्रा में केन्द्रित होते हैं। कटाई के बाद, संदूषक का मृदा में निचला स्तर बना रहेगा, इसलिए एक महत्वपूर्ण सफाई प्राप्त करने के लिए वृद्धि/फसल चक्र को कई फसलों के माध्यम से दोहराया जाना चाहिए। प्रक्रिया के बाद, मृदा का उपचार किया जाता है। बेशक कई प्रदूषक पौधे को मारते हैं, इसलिए पादप उपचार रामबाण नहीं है। उदाहरण के लिए, क्रोमियम 100 $\mu\text{M}\cdot\text{kg}^{-1}$ सूखे भार से अधिक सान्द्रता वाले अधिकांश उच्च पौधों के लिए विषैला होता है। धातुओं का पता लगाने के लिए धातु समृद्ध

र्णन

3

अध्याय

पादपों का मनुष्य और अन्य सेवाओं के साथ सम्बन्ध [Relation of Plants with Man and Other Services]

मनुष्यों और पौधों के बीच सम्बन्धों की शुरुआत का पता प्रागैतिहासिक काल (Prehistoric age) से लगाया जा सकता है। सिन्धु घाटी के लोग गाँव, कस्बों और शहरों में रहते थे, कपड़े पहनते थे, गेहूँ, जौ, बाजरा, खजूर, सब्जियाँ, तरबूज और अन्य फल और कपास की खेती करते थे। वे पौधों और पौधों के उत्पादों के वाणिज्यिक मूल्य को भी जानते थे। इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि वैदिक काल के दौरान कृषि, चिकित्सा, बागवानी का काफी हद तक विकास हुआ। वैदिक साहित्य में हमें पौधों और पौधों के भागों, बाहरी विशेषताओं और आन्तरिक संरचनाओं दोनों के वर्णन में बड़ी संख्या में शब्द (terms) मिलते हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि वैदिक कालीन भारतीयों को भोजन निर्माण, पौधों के शरीर में ऊर्जा की प्रक्रिया और भण्डारण पर प्रकाश की क्रिया के बारे में कुछ ज्ञान था।

पादप जीवन में विविधता हमारे अधिकांश स्थलीय पारिस्थितिक तन्त्रों का एक आवश्यक पहलू है। मनुष्य एवं अधिकांश जन्तु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा स्रोत के लिए पौधों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। पौधों में यह क्षमता होती है कि वे सूर्य के प्रकाश को प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित कर सकते हैं। विश्व में पाये जाने वाले उच्च श्रेणी के लगभग 10 प्रतिशत पौधे एवं हजारों निम्न जाति के पौधे वर्तमान में मनुष्य द्वारा विभिन्न उद्देश्यों; जैसे— भोजन, तेल, रेशे, मसाले, ईंधन के रूप में एवं पालतू जन्तुओं के चारे के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। हेवुड (Heywood, 1992) के अनुसार केवल उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में ही लगभग 25,000 से 30,000 पादप जातियाँ मनुष्यों द्वारा अपने लाभ के लिए उपयोग की जाती हैं एवं लगभग 25,000 पादप जातियाँ परम्परागत औषधियों में प्रयोग की जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों जातियाँ शोभाकारी पौधों के रूप में उद्यानों, पार्कों, सड़क के किनारे छाया एवं आश्रय हेतु वृक्षों के रूप में उगायी जाती हैं।

पादपों का मनुष्य के साथ सम्बन्ध [RELATION OF PLANTS WITH MAN]

1. मनुष्य और उसका भोजन (Man and His Food)

पौधे हमारे आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे न केवल हमारे भोजन का एक आवश्यक भाग हैं, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी प्रदान करते हैं, बल्कि वे सम्पूर्ण खाद्य शृंखला (food web) का आधार भी हैं। पौधों से भोजन के मुख्य स्रोत अनाज, दालें, फल, वनस्पति (vegetables), तेल, चीनी, मसाले, चाय, कॉफी आदि हैं। कुछ पौधे अपने बीजों में भोजन एकत्र करते हैं। हम इन पौधों के बीजों को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, दालें, सरसों, मूँगफली आदि। मनुष्य अपनी कैलोरी का 85% पौधों की 20 प्रजातियों से प्राप्त करता है और 60% सिर्फ तीन प्रजातियों से प्राप्त करता है। ये हैं—गेहूँ (*Triticum aestivum*), चावल (*Oryza sativa*) और मक्का (*Zea mays*)। भोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले दानों या बीजों को खाद्यान्न (cereals) या अनाज (food grains) कहा जाता है। घास कुल (grass family)—पोएसी (Poaceae) के अन्तर्गत सभी अनाज प्रदान करने वाले पौधे आते हैं। लेग्यूम (legumes) के बीज, दालें (pulses) कहलाती हैं। कभी-कभी इन्हें "Grain legumes" भी कहते हैं। दालों

संजय
साहित्य भवन

31165

समाजशास्त्रीय निबन्ध



डॉ. जी. के. अग्रवाल

SBPD
PUBLISHING HOUSE

विषय-वस्तु

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

1. भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 3—38
(SOCIAL BACKGROUND OF INDIAN NATIONALISM)
[राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद का अर्थ; राष्ट्रवाद के तत्व; विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का विकास; भारतीय राष्ट्रवाद का उदय तथा विकास; भारत में ब्रिटिश शासन तथा राष्ट्रवाद में इसकी भूमिका; सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन एवं राष्ट्रवाद; भारतीय राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय आन्दोलन की भूमिका—प्रारम्भिक अवस्था, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना तथा राष्ट्रवाद में इसकी भूमिका; राष्ट्रीय आन्दोलन एवं समाजशास्त्रीय तथ्य—शिक्षा, साम्प्रदायिकता तथा जातिगत भेदभावों की भूमिका।]
2. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 39—50
(PARTICIPATION OF WOMEN IN INDIAN POLITICS)
[राजनीतिक भागीदारी का अर्थ; राजनीतिक भागीदारी की कसौटियाँ; राजनीति में महिला भागीदारी का आरम्भ; भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी—स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात्; महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधाएँ; एक मूल्यांकन; राजनीति में महिला भागीदारी के लिए सुझाव।]
3. आधुनिकीकरण की अवधारणा एवं आयाम 51—63
(CONCEPT AND DIMENSIONS OF MODERNIZATION)
[आधुनिकीकरण का अर्थ; आधुनिकीकरण की विशेषताएँ अथवा आधार; परम्परा तथा आधुनिकीकरण में अन्तर एवं सम्बन्ध; भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव; आधुनिकीकरण के अवरोध।]
4. नगरीकरण की समस्या 64—76
(PROBLEM OF URBANIZATION)
[नगरीकरण का अर्थ एवं विशेषताएँ; भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया; नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारक; भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव; नगरीकरण की प्रमुख समस्याएँ; नगर नियोजन का अर्थ तथा सरकार के प्रयत्न।]
5. औद्योगिकीकरण की समस्या 77—87
(PROBLEM OF INDUSTRIALIZATION)
[औद्योगिकीकरण का अर्थ तथा प्रकृति; भारत में औद्योगिकीकरण तथा इसके कारण; भारत में औद्योगिकीकरण की आवश्यकता; औद्योगिकीकरण के प्रभाव तथा सम्बन्धित समस्याएँ; औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण संयुक्त प्रक्रियाओं के रूप में।]

किसी भी देश में स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से एक विशेष सामाजिक संरचना में स्त्रियों की प्रस्थिति से सम्बन्धित होता है। जब हम स्त्रियों की प्रस्थिति की बात करते हैं, तब सबसे पहले उन आधारों को समझना आवश्यक हो जाता है जिनके आधार पर स्त्रियों की प्रस्थिति की माप की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी समाज में एक विशेष वर्ग अथवा समूह की प्रस्थिति को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक समझा जाता है कि उस समाज की व्यावसायिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा तथा परिवार आदि में उसे कितने अधिकार, सम्मान तथा शक्ति मिली हुई है। साथ ही प्रस्थिति का निर्धारण इस बात से भी होता है कि किसी वर्ग को कानूनों अथवा सामाजिक नियमों के द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं, उनका उस वर्ग के द्वारा किस सीमा तक उपयोग किया जाता है।

संसार का प्रत्येक समाज लैंगिक आधार पर स्त्रियों और पुरुषों जैसे दो समान वर्गों में विभाजित है। इस दशा में स्त्रियों और पुरुषों की प्रस्थिति को एक-दूसरे की तुलना के आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपने शोध-पत्र में एस्. आनन्द लक्ष्मी ने लिखा है कि समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भूमिका का सम्बन्ध इस तथ्य से है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की प्रस्थिति तथा साधनों तथा राजनीतिक शक्ति की कितनी सुविधाएँ प्राप्त हैं एवं अपने जीवन से सम्बन्धित विभिन्न निर्णय लेने के लिए उन्हें अपने वैयक्तिक जीवन में कितनी स्वतन्त्रता मिली हुई है। आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के वर्तमान युग में यह आवश्यक नहीं है कि जो देश आर्थिक रूप से जितना सम्पन्न हो, उसमें स्त्रियों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी भी उतनी ही अधिक हो। अनेक विकासशील और सम्पन्न समाजों में आज भी स्त्रियों की आर्थिक और राजनीतिक चेतना का स्तर काफी निम्न है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनजातीय समाजों में अपने जीवन से सम्बन्धित विभिन्न निर्णय लेने के लिए स्त्रियाँ तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक स्वतन्त्र हैं। स्पष्ट है कि समाज के नियमों और कानूनों द्वारा स्त्रियों को दी जाने वाली स्वतन्त्रता, शक्ति और सुविधाएँ ही उनकी प्रस्थिति के मूल्यांकन का वास्तविक आधार नहीं हैं। व्यवहार में स्त्रियों द्वारा अपने अधिकारों के उपयोग तथा स्वतन्त्र निर्णय लेने की क्षमता को ही उनकी प्रस्थिति-निर्धारण का वास्तविक आधार माना जा सकता है।

विभिन्न समाजों में स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी का सम्बन्ध एक ऐसी जटिल सामाजिक संरचना से रहा है जिसकी प्रकृति एक लम्बे समय से पितृसत्तात्मक रही है। इस व्यवस्था से सम्बन्धित मनोवृत्ति को ही हम 'पुरुषवाद' कहते हैं। पितृ-सत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यवहार के नियमों को इस तरह विकसित किया जाता है जिससे स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हो सकें। पितृसत्तात्मक व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि जन्म से ही पुरुषों की शक्ति स्त्रियों से अधिक होती है तथा स्त्रियाँ घरेलू कामों और बच्चों के पालन-पोषण के लिए ही अधिक योग्य होती हैं। इस व्यवस्था के अनुसार परिवार से बाहर के कार्यों का सम्बन्ध पुरुषों के जीवन से है जबकि स्त्रियों का कार्य परिवार के अन्दर पुरुषों के आदेशों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करना है। इसी मान्यता के आधार पर संसार के लगभग सभी समाजों में एक लम्बे समय तक स्त्रियों को आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख कर एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विभिन्न वर्गों की स्वतन्त्रता, अधिकारों और शक्तियों का निर्धारण किया जाता रहा।

INDIAN SOCIETY : ISSUES AND PROBLEMS

भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्याएँ

डॉ. धर्मवीर महाजन

डॉ. कमलेश महाजन



VIVEK
PRAKASHAN

विषय सूची

अध्याय सं.	अध्याय का विवरण	पृष्ठ सं.
□ 1.	भारतीय समाज में संरचनात्मक मुद्दे एवं समस्याएँ (Structural Issues and Problems in Indian Society)	1
	संरचना 1 सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषाएँ, सामाजिक संरचना के तत्त्व भारत में निर्धनता 8 अर्थ एवं परिभाषाएँ, भारत में निर्धनता की समस्या का परिमाण, भारत में निर्धनता के कारण, निर्धनता के परिणाम, निर्धनता-उन्मूलन के लिए किए गए उपाय, निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन भारत में जाति सम्बन्धी असमता 20 अर्थ एवं परिभाषाएँ, जाति व्यवस्था के लक्षण, अस्पृश्यता-अर्थ एवं परिभाषाएँ, अस्पृश्यों की नियोग्ताएँ, नियोग्ताओं के परिणाम, भारत में अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता-निवारण के सुझाव, जातिवाद-अर्थ, भारत में जातिवाद के विकास के कारण, भारत में जातिवाद के परिणाम, भारत में जातिवाद के निराकरण हेतु सुझाव, भारत में जाति और राजनीति, आरक्षण-जातीय समता की ओर प्रयास भारत में लिंग सम्बन्धी असमता 39 अर्थ, लैंगिक असमता के प्रकार, भारत में लैंगिक असमता, भारत में लैंगिक असमता को कम करने हेतु सुझाव भारत में असंगति 54 भारत में असंगति के कारण, भारत में धार्मिक असंगति, साम्प्रदायिकता का अर्थ, साम्प्रदायिकता के कारणों की खोज, साम्प्रदायिक हिंसा का समाजशास्त्र, साम्प्रदायिकता को रोकने के उपाय, भारत में नृजातीय असंगति, प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषाएँ, प्रजातिकी विशेषताएँ, प्रजाति के तत्त्व, प्रजातीय लक्षण, प्रजातियों का वर्गीकरण, भारत का प्रजातीय इतिहास, भारत की प्रमुख प्रजातियाँ, उत्तरी भारत	

(vi)

में प्रजातीय तत्व

क्षेत्रवाद 74

अर्थ, क्षेत्रवाद के उद्देश्य, भारत में क्षेत्रवाद के विकास के कारण, क्षेत्रवाद एवं भारतीय राजनीति, भारत में क्षेत्रवाद के निराकरण हेतु सुझाव

भारत में अल्पसंख्यक 78

भारत में पिछड़े वर्ग 88

अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएँ, अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति सरकारी नीति

भारत में दलित 92

दलित का आशय, दलितों की समस्याएँ, 21 सूत्रीय दलित एजेण्डा अथवा भोपाल घोषणा पत्र, दलित समस्याओं का समाधान, दलितों के उत्थान के लिए सुझाव

□ 2. **भारतीय समाज में पारिवारिक मुद्दे एवं समस्याएँ 113**
(Familial Issues and Problems in Indian Society)

भारत में पारिवारिक विघटन 113

अर्थ एवं परिभाषाएँ, पारिवारिक विघटन के कारण, क्या भारत में पारिवारिक विघटन हो रहा है? परिवार की संरचना में परिवर्तन, परिवार के कार्यों में परिवर्तन, भारत में पारिवारिक विघटन के कारण, पारिवारिक विघटन की रोकथाम

★ **भारत में दहेज 127**

अर्थ एवं परिभाषाएँ, दहेज प्रथा के कारण, दहेज प्रथास के दोष या कुप्रभाव, दहेज प्रथा को समाप्त करने के सुझाव, दहेज निरोधक अधिनियम, 1961

★ **भारत में घरेलू हिंसा 131**

अर्थ, घरेलू हिंसा का उपचार

★ **भारत में तलाक 139**

अर्थ एवं परिभाषाएँ, तलाक के कारण, तलाक के परिणाम, हिन्दुओं में तलाक, मुसलमानों में तलाक, ईसाइयों में तलाक, जनजातियों में तलाक

★ **भारत में अन्तरा एवं अन्तर-पीढ़ी संघर्ष 152**

अर्थ, अन्तरा-पीढ़ी एवं अन्तर-पीढ़ी संघर्ष के कारण, अन्तरा-पीढ़ी एवं अन्तर-पीढ़ी संघर्ष के

परिणाम, अन्तरा-पीढ़ी एवं अन्तर-पीढ़ी संघर्ष को दूर करने के उपाय

भारत में वृद्धों की समस्याएँ 160

भारतीय समाज में संरचनात्मक मुद्दे एवं समस्याएँ (Structural Issues and Problems in Indian Society)

समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं (सामाजिक मुद्दों एवं समस्याओं सहित) का अध्ययन किया जाता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह, इसमें भी घटनाओं का अध्ययन मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में किया जाता है। प्रत्येक विषय की अपनी अवधारणाएँ होती हैं जोकि किन्हीं मूर्त घटनाओं का भाववाचक रूप होती हैं अर्थात् घटनाओं को समझने में सहायता देती हैं। अवधारणा को हम एक तार्किक रचना (Logical construct) कह सकते हैं जिसके सन्दर्भ में एक अनुसन्धानकर्ता आँकड़ों का संकलन करता है तथा इन्हें व्यवस्थित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि 'अवधारणा' वह शब्द है जिसे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान किया गया है और जिसका प्रयोग घटनाओं की व्याख्या एवं सिद्धान्तों के निर्माण के लिए आधार स्तम्भों के रूप में किया जाता है। समाजशास्त्र में आज हम अनेक अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं जिनमें से 'सामाजिक संरचना' एक प्रमुख अवधारणा है।

मानव जीवन की एक विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों के परस्पर सम्पर्क कम या अधिक अंश में 'संरचित' हैं। हमारे जीवन की दैनिक एवं क्रमिक घटनाएँ मानवीय समाज की संरचना का बोध कराती हैं। उदाहरणार्थ, समाजशास्त्रीय दृष्टि से निरुद्देश्य अथवा अनुपम घटनाएँ मानव जीवन का महत्वपूर्ण पहलू नहीं हैं अपितु प्रतिमानित व्यवहार का विशेष महत्व है। मानव अनेक प्रतिमानित कार्य करता है जिनकी व्याख्या की जा सकती है तथा जिनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह अमुक परिस्थिति में अमुक कार्य करेगा। समाजशास्त्री का कार्य इन्हीं प्रतिमानित व्यवहारों का अध्ययन करना है जिससे कि उनकी 'सामाजिक संरचना' का पता चल सके तथा अमूर्त समाज में रहने वाले व्यक्तियों की जीवन-पद्धति का अनुमान हो सके।

प्रस्तुत अध्याय में पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा तथा इसके तत्वों अथवा भागों को समझाने का प्रयास किया गया है तथा तत्पश्चात् भारतीय समाज के प्रमुख संरचनात्मक मुद्दों एवं समस्याओं; जैसे—निर्धनता, जाति एवं लिंग पर आधारित असमता, असंगति (धार्मिक, नृजातीय एवं क्षेत्रीय), अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा दलितों जैसे वंचित समूहों की विवेचना करने का प्रयास किया गया है।

संरचना का अर्थ (Meaning of Structure)

'संरचना' शब्द से हमें किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास होता है जैसे कि भवन, इमारत इत्यादि अथवा इससे किसी ठोस एवं स्थायी वस्तु का बोध होता है जिसे मनुष्य अपनी ज्ञानेन्द्रियों से पहचान सकता है। सामान्यतः 'संरचना' शब्द का प्रयोग हम पहले अर्थ अर्थात् किसी भी वस्तु के निश्चित क्रम के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, एक भवन की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे भवन निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं के क्रम का ज्ञान होता है अर्थात् केवल ईंट, पत्थर, ग्रेट, सीमेंट, लकड़ी आदि के अलग-अलग ढेरों को हम भवन की संज्ञा नहीं देते अपितु जब इन्हें एक निश्चित क्रम में निर्धारित विधि द्वारा लगाया जाता है तभी इनसे भवन का

परन्तु अनेक विद्वान् ऐसे भी हैं जिन्होंने जाति की राजनीति व प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। उदाहरणार्थ, रूडोल्फ (Rudolph) के अनुसार जाति जैसी परम्परागत संस्था ने भारत में अशिक्षित लोगों को राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया है। जाति ने प्रजातन्त्र को सुदृढ़ किया है तथा राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ यह आधुनिकीकरण में भी सहायक रही है। इसीलिए अनेक विद्वानों का यह विचार कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगी, सत्य सिद्ध नहीं हो पाया है।

डी० आर० गाडगिल (D. R. Gadgil) जैसे विद्वानों ने जाति को 'राजनीति का केन्सर' कहा है तथा इसे राष्ट्र-निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण व आधुनिकीकरण में बाधक माना है।

आरक्षण : जातीय समता की ओर प्रयास (Reservation : Effort towards Caste Equality)

भारत विभिन्न वर्गों, जातियों तथा धर्मों का देश है, ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग में यह भय रहता है कि कहीं बहुसंख्यक वर्ग अपने बहुमत के आधार पर सत्ता प्राप्त करके अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को आघात न पहुँचा दे। इसके अतिरिक्त भारत में हिन्दू धर्म के अनुयायी परम्परागत रूप से दो वर्गों में विभाजित रहे हैं—प्रथम, सवर्ण हिन्दू अर्थात् उच्च जातियाँ तथा द्वितीय, निम्न जातियाँ। सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा तथाकथित निम्न जातियों का सैकड़ों वर्षों से शोषण किया जाता रहा है तथा सवर्ण हिन्दुओं के एक बड़े भाग में यह विचार भी प्रचलित रहा है कि निम्न जातियों के ये व्यक्ति स्पर्श के योग्य नहीं हैं अर्थात् अपवित्र हैं और यदि उनका स्पर्श हो गया तो हमें अपनी शुद्धता करनी पड़ेगी। हिन्दुओं की इन तथाकथित निम्न जातियों को संविधान में 'अनुसूचित जातियों' का नाम दिया गया है।

भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार जाति है; वह जाति जो सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। हिन्दुओं को अग्रणी जाति (सामान्य जाति), पिछड़ी जाति (OBC), अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में विभक्त किया गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है तथा वह उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। केन्द्र सरकार को अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सूची अलग है तथा राज्यों की सूचियाँ अलग-अलग हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए जाने के बाद उन राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया, जिन राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए अब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सहित लगभग सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। जातीय आधार पर किया जाने वाला यह आरक्षण जातीय असमता को दूर करने का एक सर्वमान्य कदम माना जाता है। यदि निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो शिक्षा एवं अन्य पहलुओं में भी आशातीत प्रगति सम्भव है।

भारत में लिंग सम्बन्धी असमता [INEQUALITY OF GENDER IN INDIA]

वर्तमान समय में लिंग असमता (लैंगिक असमता) सम्बन्धी अध्ययन किसी एक राष्ट्र की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सम्मिलित विषय नहीं रहा है, वरन् यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय हो गया है क्योंकि आधुनिक समय में विश्व का आकार लघु होता जा रहा है। वैश्वीकरण (Globalization) एवं उदारीकरण (Liberalization) की प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं

भारतीय समाज में पारिवारिक मुद्दे एवं समस्याएँ (Familial Issues and Problems in Indian Society)

परिवार मानव समाज की पूर्णतः मौलिक एवं सावैश्विक इकाई है। यह एक प्राथमिक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। रॉल्फ लिन्टन (Ralph Linton) ने कहा है कि माता-पिता और बच्चे का प्राचीन त्रित्व (Trinity) किसी अन्य मानव सम्बन्ध की अपेक्षा अधिकाधिक उतार-चढ़ावों के बावजूद विद्यमान रहा है। यह अन्य सभी संरचनाओं का आधार स्तम्भ है। यद्यपि अधिक विस्तृत परिवार के प्रतिमान बाह्य रूप से टूट सकते हैं अथवा अपने स्वयं के भार से भी विघ्न हो सकते हैं तथापि परिवार का अस्तित्व बना रहता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—(i) प्राथमिक आवश्यकताएँ—ऐसी आवश्यकताएँ जो उसके जीवन-यापन के लिए प्रमुख हैं, तथा (ii) द्वितीयक आवश्यकताएँ—ऐसी आवश्यकताएँ जो उसके जीवन-यापन के लिए प्रमुख तो नहीं, परन्तु वे भी अपना महत्व रखती हैं। परिवार इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज के अस्तित्व व निरन्तरता के लिए आवश्यक है कि नए सदस्य आएँ तथा वे सामाजिक गुणों से पूर्ण हों। इस कार्य को परिवार प्रजनन तथा समाजीकरण के आधार पर करता है। इसी सन्दर्भ में लुण्डबर्ग (Lundberg) का कथन है कि यदि सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत पुनरोत्पादन की क्रिया बन्द हो जाए, यदि बच्चों का पालन-पोषण न हो और वे अपने विचारों से आने वाली पीढ़ी को संचरित करना तथा परस्पर सहयोग करना न सीखें तो समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मानव समाज में परिवार की केन्द्रीय स्थिति होती है क्योंकि यह मनुष्य की जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति पूरे उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यनिष्ठा से करता है। भारत में पारिवारिक मुद्दे एवं समस्याएँ किसी-न-किसी रूप में पारिवारिक विघटन से सम्बन्धित हैं।

भारत में पारिवारिक विघटन

[FAMILY DISORGANIZATION IN INDIA]

जिस प्रकार सामाजिक संगठन की अवधारणा इकाइयों की प्रस्थिति और कार्यों पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार पारिवारिक संगठन भी परिवार के सदस्यों की प्रस्थिति और कार्यों के सन्तुलन पर आधारित है। बर्गस (Burgess) ने परिवार की परिभाषा में कहा है कि यह व्यक्तियों की अन्तःक्रियात्मक एकता पर आधारित है अर्थात् परिवार का अस्तित्व सदस्यों की एकता पर निर्भर करता है। इसके अभाव में परिवार टूट जाता है। इलियट एवं मैरिल (Elliott and Merrill)¹ के अनुसार परिवार के चार प्रमुख आधार हैं जिससे उसका संगठन बना रहता है। ये चार आधार क्रमशः उद्देश्यों में एकता, समूह कल्याण की भावना, रुचियों या हितों में समानता एवं भावात्मक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी विघटन का आधार बनती है। इन आधारों को निम्नवर्णित प्रकार से समझा जा सकता है—

(1) उद्देश्यों में एकता (Unity in objectives)—प्रत्येक संगठित परिवार में सदस्यों के उद्देश्यों में समानता होती है और इसी के आधार पर परिवार के सभी सदस्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के

1. See, M. A. Elliott and F. E. Merrill, *Social Disorganization*, p. 330.

भारत में दहेज की समस्या [PROBLEM OF DOWRY IN INDIA]

हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याओं में दहेज प्रथा एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। यह आजकल काफी गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। हिन्दुओं में जीवन साथी के चयन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित रहा है। इसके कारण कई बार वर मिलने में कठिनाई होती है। इतना ही नहीं, कुलीन विवाह (Hypergamy) के कारण ऊँचे कुल में लड़कों की अत्यधिक कमी होती रही है। इनके कारण वर-मूल्य की प्रथा प्रारम्भ हुई जो आज दहेज के नाम से जानी जाती है। आज तो यह समस्या इतनी गम्भीर हो गई है कि लड़का क्या करता है, इसके आधार पर विवाह से पहले उसकी कीमत लगाई जाती है। लड़की वालों से सौदा तय हो जाने के बाद ही विवाह सम्भव हो पाता है। दहेज न लाने के कारण अनेक नवविवाहित स्त्रियों को जला देने के समाचार आए दिन समाचारपत्रों में आते रहते हैं। इसके लिए उन्हें पति, सास-ससुर तथा वर पक्ष के बाकी लोगों से अनेक बातें (ताने) सुननी पड़ती हैं। उनका जीवन नरक बन कर रह जाता है। अतः आज दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार या जागरूक नागरिक विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। परन्तु इस दिशा में अभी काफी कुछ करना बाकी है। प्रस्तुत अध्याय में दहेज प्रथा की सविस्तार विवेचना की गई है।

दहेज का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Dowry)

दहेज का अर्थ सामान्यतः उस राशि, वस्तुओं या सम्पत्ति से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करता है। अंग्रेजी भाषा के नवीन वेबस्टर शब्दकोश में इसे इसी अर्थ में परिभाषित किया गया है, अर्थात्—“दहेज वह धन, वस्तुएँ अथवा सम्पत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है।”⁶ नवीन इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी दहेज को “वह सम्पत्ति बताया गया है जो एक स्त्री अपने पति के लिए विवाह के समय लाती है।”⁷ चार्ल्स विनिक (Charles Winick) तथा मैक्स रेडिन (Max Radin) ने भी दहेज की परिभाषा उन बहुमूल्य वस्तुओं या सम्पत्ति के रूप में दी है जो वर पक्ष विवाह के समय कन्या पक्ष से प्राप्त करता है। परन्तु ये दहेज के सही अर्थ नहीं हैं। अगर माता-पिता धार्मिक परम्पराओं से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपनी कन्या व वर पक्ष को कुछ धन या मूल्यवान वस्तुएँ प्रदान करते हैं तो उसे दहेज नहीं कहा जा सकता। दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 में दहेज को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है—“दहेज का अर्थ कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान निधि से है जो (अ) विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक ने दूसरे पक्ष को, अथवा (ब) विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह के बाद विवाह की शर्त के रूप में दी हो या देना मन्जूर किया हो।”

अतः कानूनी रूप से दहेज का अर्थ किसी भी ऐसी सम्पत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं से है जिसे विवाह की एक शर्त के रूप में विवाह से पहले, विवाह के समय, या बाद में एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए देना आवश्यक होता है। दहेज को वर मूल्य (Bridegroom price) भी कहा जाता है। यह

6. “The money (goods, or estate) which a woman brings to her husband in marriage.”
—New Webster's Dictionary of the English Language, p. 299.

7. “A term denoting the property that a wife brings to her husband in marriage.”
—The New Encyclopaedia Britannica, Vol. III, p. 649.

6.	यौन शोषण	8054	8858	11024	24.5
7.	लड़कियों का आयात	146	1	64	6300.0
8.	सती निरोधक एक्ट	0	0	0	—
9.	अनैतिक व्यापार एक्ट	8695	9363	9515	1.6
10.	नारी का अश्लील प्रदर्शन (निरोधक) एक्ट	190	222	662	198.2
11.	दहेज निरोधक एक्ट	3578	3064	2876	-6.1
कुल		131475	135771	141373	4.1

Source : Crime in India : 2000, p. 196.

राम आहुजा (Ram Ahuja)⁸ ने स्त्री के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है—(अ) अपराधिक हिंसा (Criminal Violence), घरेलू हिंसा (Domestic Violence) तथा सामाजिक हिंसा (Social Violence)। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जोकि पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति अपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं। बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी में परिवारों में स्त्री के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है। दहेज हत्याएँ, पत्नी को पीटना तथा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की है जिसमें पत्नी/बहू को भ्रूणहत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, युवा विधवाओं को 'सती' के लिए विवश करने, स्त्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा न देने, बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक हिंसा को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में भी देखा जा सकता है।

घरेलू हिंसा का अर्थ

(Meaning of Domestic Violence)

आज स्त्री के प्रति अपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर-गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय स्त्री सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति व आत्म-उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित स्त्रियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मार-पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अँधेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं जहाँ उनकी चीख-पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दुःख तो यह है कि ऐसी मार-पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच एक निजी मामला समझा जाता है। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाएँ तो वहाँ भी पुरुष प्रधान संस्कृति में पले पुलिस अधिकारी पहले स्त्री का ही मजाक उड़ाते हैं और रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करते हैं। पुरुष को पत्नी की पिटाई का निरपेक्ष अधिकार है और आम आदमी यह मानकर चलता है कि स्त्री पिटने लायक ही होगी अतः पिटेगी ही। दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शांत और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में, जहाँ पति-पत्नी दोनों शिक्षित और

8. Ram Ahuja, *Social Problems in India*, pp. 213-228. Also see his book, *Crime Against Women*, Jaipur : Rawat Publications, 1987.

औद्योगिक समाज शास्त्र



राजहंस प्रेस, मेरठ

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	विषय प्रवेश—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समाजशास्त्र की शाखायें, औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ, औद्योगिक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति, औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व, भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व।	१
२.	औद्योगिक समाजशास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञान—औद्योगिक समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक औषधि, औद्योगिक समाजशास्त्र और भूगोल, औद्योगिक समाजशास्त्र और अपराधशास्त्र।	३४
३.	औद्योगिक समाजशास्त्र की विधियाँ—निरीक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार करना।	४६
४.	औद्योगिक समाजशास्त्र के आधार—मनोवैज्ञानिक आधार, आर्थिक आधार, सामाजिक आधार।	७२
५.	उद्योग और समाज—औद्योगिकी क्या है, औद्योगिकी का विकास, औद्योगिक कारक, औद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, औद्योगीकरण और समाज, विवाह पर औद्योगीकरण के प्रभाव, परिवार पर औद्योगीकरण के प्रभाव, वर्ग पर औद्योगीकरण के प्रभाव, जाति व्यवस्था पर औद्योगीकरण के प्रभाव, धर्म पर प्रभाव, नैतिकता पर प्रभाव, मनोरंजन पर प्रभाव।	८५
६.	औद्योगिक समाज और नगरीय समाज—नगरीय समाज का सांस्कृतिक पहलू, नगरीय समाज का सामाजिक पहलू, नगरीय समाज का राजनैतिक पहलू।	१०५
७.	औद्योगिक विकास का इतिहास—प्राचीन उद्योगवाद, मध्यकालीन उद्योगवाद, आधुनिक उद्योगवाद, भारत में औद्योगिक विकास, आधुनिक भारत में प्रमुख उद्योग, ग्राम तथा लघु उद्योग।	११८
८.	कार्य और उसका परिवेश—कार्य क्या है, कार्य की भौतिक दशायें, मनोवैज्ञानिक परिवेश, पदोन्नति के अवसर।	१५७
९.	उद्योग में निपुणता—निपुणता क्या है, निपुणता की बाह्य दशायें, निपुणता के आन्तरिक निर्णायक।	१६६
१०.	उद्योग में नीतिमत्ता और कार्य सन्तोष—नीतिमत्ता क्या है, उच्च और निम्न नीतिमत्ता, नीतिमत्ता के पहलू, नीतिमत्ता और मनः	

विषय-सूची

अध्याय

विषय

पृष्ठ

- कारखाना अधिनियम, १९३४ का कारखाना अधिनियम, १९४८ का कारखाना अधिनियम, भारतीय खान अधिनियम, १९२३ व १९५२, चाय जिलों का प्रवासी श्रमिक अधिनियम, बागीचा श्रमिक अधिनियम १९५१, भारतीय रेलवे अधिनियम १८९०, व्यापारिक जहाज अधिनियम १९२३, डाक कर्मचारी अधिनियम १९४८, १९७४ व ७५ के श्रम विधान, भारत में श्रमिकों की असन्तोषजनक दशा । ४७८
३१. श्रम कल्याण—श्रम कल्याण की परिभाषा, श्रम कल्याण कार्य, श्रम कल्याण से मालिकों को लाभ, भारत में श्रम कल्याण के महत्व के कारण, भारत में श्रम कल्याण । ४९१
३२. बाल और स्त्री श्रमिकों का कल्याण—भारत में बाल श्रमिक कल्याण, बाल श्रमिकों की समस्याएँ, बालकों की रक्षा के उपाय, स्त्री श्रमिक कल्याण, स्त्री श्रमिकों की समस्याएँ, स्त्री श्रमिकों की रक्षा के उपाय । ५०८
३३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा—सामाजिक सुरक्षा का अर्थ भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा में अन्तर, भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि, काम की शर्तें और कल्याण, बागान मजदूर, श्रम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, श्रमवीर पुरस्कार । ५१४
- BIBLIOGRAPHY** ५३१

औद्योगिक समाजशास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञान

(Industrial Sociology and Other Social Sciences)

औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक क्षेत्र में उपस्थित सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है। औद्योगिक संस्थानों में मनुष्यों के औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन होते हैं। इन्हीं संगठनों के औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्बन्धों का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। मानवीय सम्बन्ध सदैव ही जटिल एवं बहुपक्षीय होते हैं अतः यह निर्धारित कर पाना कठिन है कि कौन से सम्बन्ध शुद्ध औद्योगिक हैं और कौन से आर्थिक या सामाजिक हैं। इसी कारण से विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में परस्पर सम्बन्ध होता है। भिन्न-भिन्न सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र एक-दूसरे की सीमा का उल्लंघन किया करते हैं। इसी कारण कहा जा सकता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध है। औद्योगिक समाजशास्त्र मुख्य रूप से वर्तमान औद्योगिक व्याख्या के फलस्वरूप विकसित हुए सामाजिक सम्बन्धों और इनके प्रभावों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी प्रकार के सम्बन्धों का अध्ययन थोड़े-बहुत भिन्न प्रकार से अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आदि विज्ञान भी करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सब विज्ञानों का औद्योगिक समाजशास्त्र से सम्बन्ध है। निम्न विवेचन से यह सम्बन्ध एवं इनके मध्य का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा।

औद्योगिक समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र (Industrial Sociology and Sociology)

औद्योगिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र में सम्बन्ध :

जैसा कि औद्योगिक समाजशास्त्र के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, समाजशास्त्र और औद्योगिक समाजशास्त्र में घनिष्ठ और पर्याप्त समानता है। औद्योगिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है और समाजशास्त्र का अध्ययन भी वैज्ञानिक होता है। दोनों ही मानवीय सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं। प्रायः दोनों विज्ञानों की अध्ययन विधियाँ और प्रविधियाँ भी समान होती हैं। दोनों ही निरीक्षण, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों, साक्षात्कार आदि के द्वारा विषय का अध्ययन करते हैं। इन दोनों की विषय-सामग्री भी समान होती है। दोनों द्वारा प्राप्त किये गए निष्कर्ष एवं परिणाम लगभग सही होते हैं। दोनों ही शास्त्र भविष्यवाणी करने की शक्ति प्राकृतिक विज्ञानों से कम रखते हैं। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के अंश भी दोनों में बराबर

औद्योगिक समाजशास्त्र के आधार (FOUNDATIONS OF INDUSTRIAL SOCIOLOGY)

आधुनिक औद्योगिक समाजशास्त्र के विकास का अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि उसके आधार मूल रूप से समाजशास्त्रीय है। ऐसा कहने से यह तात्पर्य नहीं है कि समाजशास्त्रीय आधार ही औद्योगिक समाजशास्त्र का एकमात्र आधार है। वास्तव में समाजशास्त्र के अतिरिक्त औद्योगिक समाजशास्त्र के आधार आर्थिक और मनोवैज्ञानिक भी हैं। किन्तु चूंकि समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक परिस्थितियों में मानव सम्बन्धों का अध्ययन है इसलिए उसके आधारों में समाजवैज्ञानिक आधार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। यहाँ हर हम औद्योगिक समाजशास्त्र के विभिन्न आधारों का संक्षिप्त विवेचन करेंगे।

औद्योगिक समाजशास्त्र के मनोवैज्ञानिक आधार

(Psychological Foundations of Industrial Sociology)

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मनोविज्ञान का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इतना अधिक प्रयोग होने लगा कि उसके व्यावहारिक प्रयोग के आधार पर उसकी अनेक नई महत्वपूर्ण शाखाओं का उदय हुआ। प्रगतिशील देशों में उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष विकास होने के साथ-साथ मनोविज्ञान का इन क्षेत्रों में प्रयोग भी बढ़ने लगा। इस प्रयोग के आधार पर मनोविज्ञान की नवीन शाखा औद्योगिक मनोविज्ञान की स्थापना हुई। उसमें मूल रूप से उन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन प्रारम्भ किया गया जो उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। विभिन्न उद्योगों ने मनोवैज्ञानिकों को उद्योग में सहायता देने के लिए नियुक्त किया। इन मनोवैज्ञानिकों ने उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औद्योगिक मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन निम्नलिखित तीन पहलुओं में विशेष रूप से किया जा सकता है—

(१) उद्योग में मनोविज्ञान (Psychology in Industry)—व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में अनेक कार्य ऐसे हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक की सहायता विशेष रूप से अपेक्षित होती है। उदाहरण के लिये विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट कर्मचारियों का चुनाव करने के लिये मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता हो जाती है। इसी प्रकार कार्य करने की भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ कैसी हों, इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक सुझाव महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। भौतिक परिस्थितियों में प्रकाश, तापमान और वायु का संचार, संगीत, काम और आराम के घण्टे इत्यादि

बाल और स्त्री श्रमिकों का कल्याण

(WELFARE OF CHILD AND WOMEN LABOURERS)

श्रम-कल्याण में बाल और स्त्री श्रमिकों के कल्याण का विशेष महत्व है। अतः उसका वर्णन इस पृथक् अध्याय में किया जायेगा।

भारत में बाल श्रमिक-कल्याण

(Welfare of Child Labour in India)

भारत में बाल श्रमिकों की संख्या

भारत में चाय बगीचों तथा अन्य उद्योगों में पर्याप्त संख्या में बालकों को काम पर लगाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि बालकों को कम वेतन देना पड़ता है। उनके झगड़ा करने का प्रश्न नहीं उठता इसलिए उनसे कितना भी काम लिया जा सकता है। दूसरी ओर निर्धन माता-पिता बाध्य होकर अपने बालकों को उद्योगों में काम करने भेजते हैं। निम्न आँकड़ों से भारतीय उद्योगों में बाल श्रमिकों की संख्या का कुछ अनुमान होगा—

बीड़ी उद्योग	२५,००० बालक
खान उद्योग	१० से ३० प्रतिशत बालक
फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग	६,००० बालक
आसाम के चाय बगीचे	१,३६,२६४ बालक
देश के कुल चाय के बगीचे	२,००,००० बालक

बाल श्रमिकों को हानियाँ

उद्योगों में बाल श्रमिकों को लगाने से माता-पिता को कुछ आर्थिक लाभ अवश्य हो जाता है परन्तु इससे स्वयं बालकों की बड़ी हानि होती है। न उनकी शिक्षा-दीक्षा हो पाती है और न उनका स्वास्थ्य बन पाता है। शुरू से ही पैसा कमाने की चिन्ता में पड़कर उनको व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता। इससे देश की भारी हानि होती है। जाँच करने से मालूम हुआ है कि बचपन से ही काम पर लगने वाले बालक बालिकाओं में चोरी आदि तथा यौन अपराधों की संख्या अन्य बालकों के अनुपात से अधिक पाई जाती है। इस प्रकार कारखानों में काम करना बालकों के लिए किसी प्रकार से भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

भूआकृति विज्ञान का स्वरूप

सविन्द्र सिंह

प्रयाग पुस्तक भवन
इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

(Contents)

अध्याय 1 : भूआकृति विज्ञान का स्वरूप		1-28
भूकृति विज्ञान : अवधारणा तथा परिभाषा	1	आधुनिक काल (19वीं सदी) 8
भूआकृति विज्ञान : विषय-क्षेत्र	2	आधुनिक काल (20वीं सदी) 11
भ्वाकृतिक चिन्तन का ऐतिहासिक विकास	4	अभिनव प्रवृत्तियाँ 12
प्राचीन चिन्तकों का काल	5	तंत्र संकल्पना 14
अन्य युग	6	भ्वाकृतिक मॉडल 15
आकास्मिकवाद काल	6	भ्वाकृतिक चिन्तन के विकास में भारतीय योगदान 17
जलीय अपरदन की अवधारणा का अभ्युदय काल	7	स्थलरूपों के अध्ययन की विधियाँ एवं उपागम 20
एकरूपतावाद का काल	7	महत्वपूर्ण परिभाषायें 27
अध्याय 2 : भ्वाकृतिक संकल्पनायें		29-62
एकरूपतावाद की संकल्पना	29	भ्वाकृतिक मापक की संकल्पना 50
शैलिकी की संकल्पना	30	भ्वाकृतिक समीकरण 55
भौमिकीय संरचना की संकल्पना	34	स्थलरूप प्रकारिकी की संकल्पना 57
भ्वाकृतिक प्रक्रम की संकल्पना	43	स्थलाकृतिक इतिहास की संकल्पना 59
अवस्था की संकल्पना	48	महत्वपूर्ण परिभाषायें 60
अध्याय 3 : स्थलरूपों के विकास के सिद्धान्त		63-96
सर्वमान्य सिद्धान्त का अभाव	63	किंग का भ्वाकृतिक सिद्धान्त 80
भ्वाकृतिक सिद्धान्त का महत्व तथा उद्देश्य	64	हैक का भ्वाकृतिक सिद्धान्त 81
भ्वाकृतिक सिद्धान्त : ऐतिहासिक परिवेश	64	डेविस, पेंक तथा हैक के प्रतिरूपों (मॉडलों) की अनुरूपता 84
भ्वाकृतिक सिद्धान्तों के आधार तथा प्रकार	65	पामक्विस्ट का संमिश्र मॉडल 86
गिलबर्ट का भ्वाकृतिक सिद्धान्त	68	मोरिसावा का विवर्तन-भ्वाकृतिक मॉडल 87
डेविस का भ्वाकृतिक सिद्धान्त/मॉडल	69	शूम का खण्डकालिक अपरदन सिद्धान्त 90
पेंक का भ्वाकृतिक सिद्धान्त/मॉडल	76	महत्वपूर्ण परिभाषायें 95
अध्याय 4 : जलवायु भूआकारिकी तथा आकारजनक प्रदेश		97-110
सामान्य परिचय	97	जलवायु का अप्रत्यक्ष प्रभाव 101
जलवायुजनित स्थलरूप : जलवायु भूआकारिकी की प्रमुख पहचान	97	आकारजनक प्रदेश 105
भ्वाकृतिक प्रक्रम और जलवायु नियंत्रण	98	ट्रिकार्ट तथा कैल्यू के आकार जलवायु प्रदेश 106
जलवायु का आकारजनक प्रक्रमों पर प्रत्यक्ष प्रभाव	100	चोर्ले, शूम तथा सागडेन के आकारजनक प्रदेश 109
		महत्वपूर्ण परिभाषायें 109

THE CHERRY TREE

Ruskin Bond

Introduction

Ruskin Bond was born in Kasauli, Himachal Pradesh, on 19th May, 1934. But he grew up in Shimla, Jamnagar, Dehradun and Mussoorie. He is an award winning Indian author of British descent, much renowned for his role in promoting children's literature in India. A prolific writer, he has written over 500 short stories, essays and novels. His popular novel 'The Blue Umbrella' was made into a Hindi film of the same name which was awarded the National Film Award for Best Children's Film, in 2007. He is also the author of more than 50 books for children and two volumes of autobiography. Born as the son of a British couple when India was under colonial rule, he spent his early childhood in Jamnagar and Shimla. His childhood was marred by his parents' separation and his father's death. He sought solace in reading and writing, and wrote one of his first short stories at the age of 16. He then moved to the U.K. in search of better prospects, but returned to India after some years. He earned his living by freelancing as a young man, writing short stories and poems for newspapers and magazines. A few years hence he was approached by Penguin Books who published several collections of his work, helping establish him as a popular author in India. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014 he also received the Sahitya Academy Award in 1992 for 'Our Trees Still Grow in Dehra'

In The Cherry Tree by Ruskin Bond we have the theme of struggle, resilience, dedication, conflict, growth, responsibility and pride. Taken from his Collected Short Stories collection the story is narrated in the third person by an unnamed narrator and after reading the story the reader realises that Bond maybe exploring the theme of struggle. The seed that Rakesh plants incur many difficulties before it grows to become a cherry tree. The story narrates the construction of the tree and the act of patience and endurance inculcated in the child by his grandfather. The boy is rewarded as he finally gets his sweet che

3

The Axe

R.K.Narayan

Introduction:

Rasipuram Krishnaswami Ayyar Narayanaswami, or R. K. Narayan, is one of the most celebrated Indian novelists writing in English. This master storyteller was born on October 10, 1906 in Madras or present day Chennai. Most of his stories were set in the fictional South Indian town of Malgudi. His works captured the essence of ordinary life. His first novel 'Swami and Friends' was published in 1935. Besides novels, he wrote short stories, travelogues, condensed versions of Indian epics in English and his memoir. R. K. Narayan earned his bachelor's degree from the University of Mysore and went to the United States in 1956 at the invitation of the Rockefeller Foundation. His literary career began with his short stories, which appeared in 'The Hindu' newspaper. He began to work as the Mysore correspondent of 'Justice', a Madras-based newspaper. When he could not get his first novel 'Swami and Friends' published, a mutual friend showed the draft to Graham Greene who agreed to arrange for its publication. Some of his most prominent works are: Swami and Friends, The Dark Room, The English Teacher, The Guide, Malgudi Days, An Astrologer's Day and other Stories to name a few.

He won numerous awards and adulation during his lifetime. These include the Sahitya Akademi Award in 1958, the Padma Bhushan in 1964, and the A.C Benson Medal by the Royal Society of Literature in 1980, besides the Padma Vibhushan in 2000. He was nominated to the Rajya Sabha in 1989. This great storyteller passed away on May 13, 2001 at the age of 94. Narayan played an exceptional role in making India accessible to the outside world through literature.

The short story entitled "The Axe" by R. K. Narayan reveals his concern for Nature. The story revolves around Velan who lived in the ancestral village with his parents. An astrologer passing through the village predicted that Velan

Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Under Graduate Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and
Approved by the Governor of M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
Session : 2020-21

कक्षा	-	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.एच.एससी. (गृह विज्ञान), द्वितीय वर्ष (II Year)
विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (Foundation Course)
प्रश्न-पत्र	-	तृतीय (Third)
Title of Paper -		पर्यावरणीय अध्ययन
अधिकतम अंक -		Theory 25 + 50 CCE

इकाई-1 : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय अध्ययन

- (क) परिभाषा एवं महत्व
- (ख) जनभागीदारी एवं जन जागरण
- (ग) पारिस्थितिकी- प्रस्तावना
- (घ) पारिस्थितिकी तन्त्र- अवधारणा, घटक, संरचना तथा कार्यप्रणाली, ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य शृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड तथा प्रकार

इकाई-2 : पर्यावरणीय प्रदूषण तथा जनसंख्या

- (क) वायु, जल, ध्वनि, ताप एवं आणविक प्रदूषण- परिभाषा, प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं रोकथाम
- (ख) जनसंख्या- वृद्धि, राष्ट्रों के बीच अन्तर
- (ग) जनसंख्या- विस्फोट, परिवार कल्याण कार्यक्रम
- (घ) पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य
- (ङ) स्वच्छता एवं घरेलू कचरे का निष्पादन

पर्यावरणीय
अध्ययन



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

इकाई-2

पर्यावरण प्रदूषण तथा जनसंख्या

(क)

वायु, जल, ध्वनि, ताप एवं आणविक प्रदूषण

वायु प्रदूषण से आशय

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "वायु प्रदूषण में प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं द्वारा वायु को इस सीमा तक मलिन कर दिया जाता है कि वह मानवीय स्वास्थ्य, वनस्पति तथा सम्पत्ति पर हानिकारक प्रभाव डालने में पूर्णतया सक्षम हो जाती है।" वायु प्रदूषण के अंतर्गत प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रदूषक वायु में इस सीमा तक मिश्रित कर दिये जाते हैं कि उस वायु से मानव रहित विभिन्न जीवधारियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है।

वायु प्रदूषण के स्रोत या कारण—

वायु प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारणों में निम्नलिखित कारण उल्लेखनीय हैं—

दहन— मानव अपने विभिन्न क्रियाकलापों में कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। इससे वायुमण्डल में कार्बन मोनो-ऑक्साइड तथा सल्फर-डाई-ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वायुयानों, जलयानों, सड़क एवं रेल वाहनों, पेट्रोल एवं डीजल चालक मशीनों तथा कोयला जलाने वाली भट्टियों में दहन से जो धुआँ निकलता है, उससे कार्बन-डाई-ऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर-डाई-ऑक्साइड तथा ओजोन जैसी विषाक्त गैसों निकलती हैं, जो वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके अतिरिक्त अधजले हाइड्रोकार्बन (ईंधन) व नाइट्रोजन ऑक्साइड भी दहन क्रिया में निकलते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके परोक्सी एसीटाइल नाइट्रेट (P.A.N.) गैस बनाते हैं, इससे वायु के सर्वप्रथम प्रदूषणों में से एक माना जाता है।

वाहन आधुनिक जीवन की आवश्यकता होने के साथ ही नगरीय

(घ) पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उत्पन्न हुए पर्यावरण के विश्वव्यापी गंभीर संकट से विश्व के अन्य देशों के साथ भारत में भी पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास के प्रति चेतना का सूत्रपात हुआ। सन् 1976 में भारत के संविधान की धारा 48-ए लागू की गई, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार का मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का है।

वास्तव में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विश्व स्तर पर जो सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विकास हुआ है उससे अनेक पर्यावरणीय संकट ही नहीं हुए वरन् इनसे मानवीय स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। आज विश्व जनसंख्या का एक बड़ा भाग पर्यावरण प्रदूषण जनित बीमारियों की चपेट में है।

वायु प्रदूषण एवं मानवीय स्वास्थ्य

पर्यावरण की समस्याओं में वायु प्रदूषण प्राथमिक महत्व का है क्योंकि वायु की गुणवत्ता के हास या वायु प्रदूषण से मानव ही नहीं वरन् भू पटल के समस्त जैव अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में औसतन 20 हजार बार साँस लेता है तथा एक दिन में लगभग 16 किलोग्राम वायु मानव द्वारा अंदर खींची जाती है।

चूँकि वायु एक सर्वत्र सुलभ संसाधन है, जिसके शुद्धिकरण कार्य अपेक्षाकृत कठिन तथा महँगा होता है, अतः सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वायु प्रदूषण अन्य सभी प्रदूषणों से अधिक हानिकारक होता है। साथ ही इसके प्रभाव भी अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्रों में अनुभव किये जाते हैं।


विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अनेक बड़े नगरों में वायु प्रदूषण सेहत के लिये

विषय-सूची

अध्याय क्र.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	उद्यमिता की अवधारणा (<i>Concept of Entrepreneurship</i>)	1-13
2.	उद्यमी : परिभाषा एवं उद्यमी वर्ग का उद्भव (<i>Entrepreneur : Definition and Emergence of Entrepreneurial Class</i>)	14-31
3.	उद्यमिता के सिद्धान्त (विचारधाराएँ) (<i>Theories of Entrepreneurship</i>)	32-44
4.	सामाजिक-आर्थिक वातावरण एवं उद्यमी (<i>Socio-Economic Environment and Entrepreneur</i>)	45-50
5.	साहसी (उद्यमी) के लिये प्रवर्तन : नवीन इकाई की स्थापना (<i>Promotion of a Venture : Establishment of a New Unit</i>)	51-68
6.	परियोजना अवसर का चयन (<i>Selection of Project Idea</i>)	69-77
7.	अवसर विश्लेषण (<i>Opportunity Analysis</i>)	78-81
8.	बाह्य पर्यावरणीय (वातावरणीय) शक्तियाँ (<i>External Environmental Forces</i>)	82-91
9.	उद्यमी व्यवहार (<i>Entrepreneurial Behaviour</i>)	92-105
10.	नवाचार (नवप्रवर्तन) (<i>Innovation</i>)	106-113
11.	उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व (<i>Social Responsibility of Entrepreneur</i>)	114-132
12.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम (<i>Entrepreneurial Development Programme</i>)	133-140

उद्यमिता कौशल विकास

डॉ. मिलिन्द कोठारी



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

सामाजिक-आर्थिक वातावरण एवं उद्यमी (Socio-Economic Environment and Entrepreneur)

उद्यमिता के विकास में सामाजिक-आर्थिक वातावरण की विशेष भूमिका होती है। विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने अध्ययन के बाद यह बतलाने का प्रयास किया है कि उद्यमिता आर्थिक अवसरों एवं प्रेरणाओं का परिणाम होने के साथ-साथ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से गहन रूप से प्रभावित होती है। यदि मनोवैज्ञानिक लक्षण एवं ऊर्जा उद्यमिता का मूल स्रोत है तो सामाजिक-आर्थिक वातावरण इसके प्रकटीकरण का मूल आधार है। गायकवाड़ का मत है कि "समाज में उद्यमिता को अपिब्यक्ति हिमरील के अग्रभाग की भाँति है जिसका दस में से नौवाँ भाग सामाजिक समस्याओं, सांस्कृतिक अपिब्यक्तियों, व्यवहारों एवं मूल्यों में डूबा रहता है।"

वातावरण : अर्थ एवं परिभाषा (Environment : Meaning and Definitions)

सामान्य अर्थ में, वातावरण से आशय आस-पास की परिस्थितियों या निकटवर्ती दशाओं से है, जो मानव जीवन को भौगोलिक एवं प्राकृतिक दशाओं तथा सामाजिक रीति-नीति एवं प्रथाओं के रूप में घेरे में रहती है। वातावरण में वे सभी शक्तियाँ, तत्व या कारक सम्मिलित हैं, जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। उद्यमी इसी वातावरण में फलता है और बढ़ा होता है।

विभिन्न विद्वानों ने 'वातावरण' को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

वेबस्टर शब्दकोश (Webster's Dictionary) के अनुसार "वातावरण से तात्पर्य उन घेरे रखने वाली दशाओं, प्रभावों एवं परिस्थितियों से है जो सभी व्यक्तियों या जीवित प्राणियों के जीवन को प्रभावित करती हैं।"

हेलरीगेल के अनुसार "वातावरण से आशय उन समस्त बाह्य परिस्थितियों एवं प्रभावों से है जो लोगों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं।"

गिलबर्ट के अनुसार, "वातावरण उस समग्रता का नाम है, जो किसी वस्तु को घेरे रहती है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।"

हर्म्सकोविट्ज के अनुसार, "वातावरण उन समस्त बाह्य दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि "वातावरण से तात्पर्य उन सभी बाह्य परिस्थितियों, दशाओं तथा प्रभावकारी घटकों से है जो किसी व्यक्ति, संस्था, कार्य-प्रणाली, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं तथा उनमें से किसी भी घटक पर उस व्यक्ति या संस्था का नियन्त्रण नहीं होता है।"

उद्यमिता
विकास

ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT

17242

17242

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

अनुक्रमणिका
सेमिस्टर-1

क्रं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	उद्यमिता [Entrepreneurship]	3
2.	लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा [Achievement Motivation]	22
3.	परियोजना प्रतिवेदन [Project Report]	35
4.	उत्पादन प्रबन्धन [Production Management]	93
5.	नियामक संस्थाओं की भूमिका [Role of Regulatory Bodies]	135

सेमिस्टर-II

क्रं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	उद्यमिता से आशय [Meaning of Entrepreneurship]	171
2.	उद्यमिता के प्रकार व महत्व [Types and Importance of Entrepreneurship]	176
3.	लघु औद्योगिक परियोजनाएँ एवं सरकार की भूमिका [Small Industrial Projects and Role of the Government]	190
4.	अच्छे उद्यमी के कार्य [Functions of a Good Entrepreneur]	212
5.	लघु उद्यमियों की समस्याएँ [Problems of Small Entrepreneurs]	225

2

उद्यमिता के प्रकार व महत्व

(TYPES AND IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP)

जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक समाज विज्ञान और अर्थव्यवस्था की देन है। 'रॉल्फ हॉरविज' ने कहा है, "दृष्टि के बिना व्यक्ति नष्ट हो जाता है और उद्यमिता के बिना अर्थव्यवस्था और व्यवसाय जड़ हो जाते हैं।" उद्यमिता साहस और पुरुषार्थ का पर्याय है, लेकिन साहस से किया गया प्रत्येक कार्य पुरुषार्थ नहीं होता। समाज विरुद्ध और अनैतिक तरीके से यदि धन अर्जित किया जाता है, तो वह उद्यमिता के अंतर्गत नहीं आता। उद्यमिता से आशय उन समस्त आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध सृजन से तो है पर उसमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों का समावेश भी निश्चित रूप से होता है।

उद्यमिता के प्रकार

(Types of Entrepreneurship)

प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। साथ ही उसकी आर्थिक व सामाजिक दिशाएँ तथा विकास का स्तर भी भिन्न-भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक देश में व्यवसाय के प्रति व्यक्तियों की दृष्टि, विचार और चिंतन भिन्न-भिन्न हो सकता है। इस कारण उद्यमिता के स्वरूप में भी भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न आधारों पर उद्यमिता के स्वरूप इस प्रकार हैं—

उद्यमिता के लिए पूँजी एक आवश्यक तत्व है। पूँजी के स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता के स्वरूप इस प्रकार हैं—

(1) **निजी उद्यमिता (Private Entrepreneurship)**—जब व्यक्तियों द्वारा स्वयं व्यवसाय प्रारम्भ किया जाता है, तब इसमें पूँजी भी स्वयं की होती है तथा खतरे या जोखिम भी स्वयं वहन करने पड़ते हैं। निजी साहस मुख्यतः व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने की भावना से कार्य करता है। इस प्रकार की उद्यमिता को हम निजी उद्यमिता कहते हैं। पूँजीवादी राष्ट्रों जैसे—अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि के उद्योगों का विकास निजी साहस के कारण ही हुआ है।

(2) **राज्य अथवा सार्वजनिक उद्यमिता (Public Entrepreneurship)**—आधुनिक सरकारें भी अब उद्यमी के रूप में कार्य करती हैं। जब सरकार जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिक उपक्रम प्रारम्भ करती है तथा जोखिम उठाती है, तो वह सार्वजनिक उद्यमिता कहलाती है। पूर्व के साम्यवादी और समाजवादी देशों जैसे—रूस, चीन, यूगोस्लाविया आदि में साहसवादिता का यही स्वरूप अस्तित्व में है। आजादी के पश्चात् भारत ने भी सार्वजनिक उद्यमिता को तेजी से अपनाया है।

(3) **संयुक्त उद्यमिता (Joint Entrepreneurship)**—इस उद्यमिता में निजी और सार्वजनिक उद्यमिता का मिला-जुला रूप होता है। यानी यह निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व की साझेदारी का स्वरूप है। संयुक्त साहस की स्थिति में सरकार निजी उद्यमियों और जनता के साथ मिलकर एक निश्चित अनुपात में धन का विनियोजन करती है। इस उद्यमिता में व्यक्ति से ज्यादा सरकार की भूमिका प्रभावी होती है। हमारे देश में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने, योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने, पिछड़े क्षेत्रों

3

लघु औद्योगिक परियोजनाएँ एवं सरकार की भूमिका

(SMALL INDUSTRIAL PROJECTS AND ROLE OF THE
GOVERNMENT)

लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 14 अक्टूबर 1999 को स्थापित किया गया था। आगे चलकर सितम्बर, 2001 से दो पृथक्-पृथक् मंत्रालय-लघु उद्योग मंत्रालय एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय अस्तित्व में आए। लघु उद्योग मंत्रालय का कार्य लघु उद्योगों के संवर्द्धन और विकास की नीतियों को अपने क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से लागू करना है। हालाँकि लघु उद्योगों का विकास मुख्य तौर पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, किन्तु केन्द्र सरकार ने एकीकृत आधारभूत विकास, प्रौद्योगिकी उत्पन्न, विपणन और उद्योगिता विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को लागू करके इनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के कई उपाय किए हैं।

प्रशासनिक संरचना तथा सहायता (Administrative Structure & Assistance)— भारत सरकार का लघु उद्योग विभाग लघु उद्योगों की उत्थिति और विकास के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करता है। वह इस क्षेत्र की प्रगति और उसके निष्पादन की निगरानी करता है और उसका मूल्यांकन करता है तथा उपयुक्त नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन करता है।

विकास आयुक्त लघु उद्योग विकास संगठन (Development Commissioner of Small Industry Development Organisation)— वह लघु, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। वह लघु उद्योगों की उत्थिति और विकास की नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने, उनके समन्वयन और निगरानी के लिए एक शीर्ष निकाय तथा प्रमुख (नोडल) एजेंसी है।

वह लघु उद्योग इकाइयों को व्यापक सेवाएँ भी प्रदान करता है जिनमें तकनीकी, आर्थिक तथा प्रबन्धकीय पहलुओं में परामर्श, प्रशिक्षण, परीक्षण तथा औजार सुविधाएँ, विपणन सहायता आदि से संबंधित सेवाएँ शामिल हैं। ये सेवाएँ संस्थाओं के एक नेटवर्क तथा विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए गठित सहायक एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

लघु उद्योग सेवा संस्थान— राज्यों की राजधानियों में और पूरे देश के अन्य भागों में 28 लघु उद्योग सेवा संस्थान एवं 30 लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखाएँ हैं।

कार्य

(Functions)

केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता करना।

तकनीकी सहायता सेवाएँ।

उद्योग विकास कार्यक्रम।

- ① योग से राशीरिड, मानसिड एवं महायामिड लाभ हो रहा है।
- ② योग के माहयाम से हमारे उर्ध्व उदरे की समस्या में वृद्धि हो रही है।
- ③ योग के माहयाम से उमरी- उमरी होने वाली समस्याएँ जैसे, उमर र्द, गर्दन र्द, स्निह र्द इत्यादि में लाभ मिल रहा है।
- ④ हयान के माहयाम से मानसिड लाभ हो रहा है।
- ⑤ हाता- हातामौ की ओर भी योग के माहयाम से राशीरिड एवं मानसिड लाभ मिल रहा है।

Pooja

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन
स्नातक कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
सत्र - 2019-20

बी.ए. संस्कृत (अनिवार्य)

प्रथम प्रश्न-पत्र

प्रश्न-पत्र - वेद, व्याकरण एवं भाषा नैपुण्य

अधिकतम अंक- 40

- | | | |
|--------|--|---|
| इकाई-1 | वैदिक संहिताओं का परिचय, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की विशेषताएँ | 8 |
| इकाई-2 | वेद ✓
(क) ऋग्वेद-अग्निसूक्त- 1.1
(ख) यजुर्वेद- शिवसंकल्पसूक्त - २२१
(ग) अथर्ववेद-विजयसूक्त- 1.2 २२१ | 8 |
| इकाई-3 | शब्द रूप एवं धातु रूप
शब्द रूप- राम, कवि, भानु, पितृ, लता, नदी, वधू, मातृ, फल, वरि, आत्मन्, वाक्, सर्व, तत्, एतत्, यत्, इदम्, अस्मत् तथा युष्मत्
धातु रूप- पठ्, भू, कृ, अस्, रूध्, क्री, चूर् तथा सेव्
केवल पाँच लकार- लट्, लोट्, विधिलिङ्, लङ्, लृट् | 8 |
| इकाई-4 | लघुसिद्धान्तकौमुदी-प्रत्याहार, संज्ञा, एवं सन्धि | 8 |
| इकाई-5 | विभक्त्यर्थ एवं अनुवाद
संस्कृत से हिन्दी एवं हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद | 8 |

विषय-सूची

प्रथम प्रश्न-पत्र वेद, व्याकरण एवं भाषा नैपुण्य

इकाई - एक	वैदिक संहिताओं का परिचय, वैदिक वं लौकिक संस्कृत की विशेषताएँ	1
इकाई - दो	वेद	14
इकाई - तीन	शब्द रूप एवं धातु रूप	23
इकाई - चार	लघुसिद्धान्तकौमुदी	40
इकाई - पाँच	विभक्त्यर्थ एवं अनुवाद	107

द्वितीय प्रश्न-पत्र आर्षकाव्य एवं लौकिक काव्य

इकाई - एक	वाल्मीकि रामायण - सुन्दर काण्ड	129
इकाई - दो	महाभारत - शान्तिपर्व	162
इकाई - तीन	रघुवंशम् - प्रथम सर्ग	186
इकाई - चार	स्वप्नवासवदत्तम् (प्रथम एवं षष्ठ अंक)	230
इकाई - पाँच	लघुत्रयी एवं बृहत्त्रयी का सामान्य परिचय एवं मेघदूत (पूर्व मेघ) 1-30 पद्य, व्याख्या	328

Imp महाभारत परिचय

(रामायण तथा महाभारत ये दोनों ग्रंथ भारतीय संस्कृति और साहित्य के सर्वस्व कहे जा सकते हैं। महाभारत ते अपने विशाल कलेवर के कारण विश्व साहित्य में सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। महाभारत यह संज्ञा इसकी महत्ता तथा दीर्घ कलेवर के कारण प्रसिद्ध हुई होगी। स्वयं महाभारत में महाभारत नामकरण का कारण बताया है -)

महत्त्वाद् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते ।

(महत्त्व और भार (आकार की विशालता) के कारण यह ग्रंथ महाभारत कहा गया है।)

महाभारत के प्रणेता - (भारतीय परम्परा महर्षि व्यास को महाभारत का रचियता मानती है, एक द्वीप में जन्म लेने के कारण ये द्वैपायन व्यास भी कहे जाते हैं, तथा कृष्णवर्ण का होने के कारण कृष्णद्वैपायन व्यास यह दूसरा नाम इनका प्रसिद्ध है। वेदों का विभाजन करने के कारण इन्हीं को वेदव्यास भी कहा जाता है। भारतीय परम्परा व्यास मुनि को ही महाभारत के साथ अठारह पुराणों का भी कर्ता मानती है। ये पराशर ऋषि तथा सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती चेदि राजा वसु की पुत्री थी, जिसे मल्लाहों के स्वामी दासराज ने पाला था।) महाभारत की कथावस्तु में ये ही व्यास एक पात्र भी हैं। धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर इन्हीं की नियोगजन्य संताने हैं। महाभारत में महामति व्यास की महिमामय मेधा सर्वत्र प्रतिबिंबित है। इस कृति की संपूर्ण परिकल्पना उन्हीं की है, यह संभव है कि इसमें क्षेपक या प्रक्षिप्त अंश बाद के कवियों के द्वारा जोड़े जाते रहे हों और इससे इसका आकार बढ़ता गया हो। पश्चात्य विद्वानों का मत है कि महाभारत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती। मैक्समूलर, विंटरनिट्स, मैकडॉनल, बेवर आदि का यही विचार है तथा कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया। दूसरी ओर महाभारत में ही यह कहा गया है कि कृष्णद्वैपायन मुनि ने तीन वर्षों तक निरंतर जागते रहकर महाभारत नामक इस आख्यान का प्रणयन किया :-

जाकर खड़े हो जाएँ, जहाँ संकीर्णता न हो। बिना माँगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए, उतनी ही स्वीकार करे। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिंसा से सर्वथा दूर रहें ॥ 3 ॥

भवति चात्र श्लोक :-

इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध हैं :-

✓ अभयं सर्व सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः ।
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते क्वचित् ॥ 4 ॥

अन्वय - यः मुनिः सर्वभूतेभ्यः अभयं दत्त्वा चरते, तस्य सर्वभूतेभ्यः क्वचित् भयं न उत्पद्यते ॥ 1 ॥

व्याख्या - यः = यो । मुनिः = ऋषिः । सर्वभूतेभ्यः = सर्वप्राणिभ्यः अभयं = निर्भयं, भयरहितं इत्यर्थः । दत्त्वा = प्रदाय । चरते = विचरति । तस्य = तस्य ऋषेः । सर्वभूतेभ्यः = सर्व प्राणिभ्यः । क्वचित् = किञ्चिद् । भयं = भीतिः । न उत्पद्यते = न जायते ।

भावार्थः - यः ऋषिः सर्वप्राणिभ्यः भयरहितजीवनं कृत्वा विचरति, तस्मै सर्वभूतेभ्यः कश्चिदपि भयः न भवति इति भावः ।

अनुवाद - जो मुनि सब प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको सम्पूर्ण प्राणियों में किसी से भी भय प्राप्त नहीं होता है ।

कृत्वाग्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थं

शारीररमग्निं स्वमुखे जुहोति ।

विप्रस्तु भैक्ष्योपगतैर्हविर्भि

श्चिताग्निनां स ब्रजते हि लोकम् ॥ 5 ॥

अन्वयः - विप्रः तु अग्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थं कृत्वा शरीरं अग्निं स्वमुखे भैक्ष्योपगतैर्हविर्भिः जुहोति स हि चिताग्निनां लोकम् ब्रजते ।

व्याख्या - विप्रः = ब्राह्मणः द्विजः वा । अग्निहोत्रं = अग्निहोत्रनामकं यज्ञं । स्वशरीरसंस्थं = निजकायसंस्थाप्य स्वरीरेसंस्थाप्य इत्यर्थः । कृत्वा = विधाय । शारीरं = शरीरिकं । अग्निं = वहिनं । स्वमुखे = निजानने । भैक्ष्योपगतैर्हविर्भिः = भैक्ष्यं, भिक्षां उपगतः = प्राप्तः, हविर्भिः = हव्यद्रव्यैः । जुहोति = हवनं करोति । स हि = सः ब्राह्मणः हि । चिताग्निनां = सञ्चिताग्निनां, अग्निहोत्रिणां इत्यर्थः । लोकम् = एतत् नामकं लोकम् । ब्रजते = गच्छति ।

भावार्थः — भरद्वाजमुनेरुवाच अस्मात् मृत्युलोकात् अपरः लोकः श्रेष्ठः इति श्रूयते किन्तु न दृश्यते अतएव अहं तं लोकं ज्ञातुं इच्छामि तद् भवान् (भृगु) कथयितुं समर्थोऽस्तीति भावः ।

अनुवाद — भरद्वाज ने पूछा! ब्रह्मन् ! इस लोक से कोई श्रेष्ठ लोक सुना जाता है, किन्तु वह देखने में नहीं आता। मैं उसे जानना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें ॥ 7 ॥

भृगुरुवाच

उत्तरे हिमवत्पार्श्वे पुण्ये सर्वगुणान्विते ।

पुष्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते ॥ 8 ॥

अन्वयः — (मुने !) उत्तरे हिमवत्पार्श्वे सर्वगुणान्विते पुण्ये परो लोक उच्यते सः पुष्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च ।

व्याख्याः — (हे ऋषिः) उत्तरे = उत्तरस्यां दिशि। हिमवत् पार्श्वे = हिमालयस्यसमीपे। सर्वगुणान्विते = सकलगुणयुक्तेः, पुण्ये = पवित्रे, पावनप्रदेशे। परः = अपरः। लोकः = श्रेष्ठलोकः। (अस्ति) सः = तत् । पुष्यः = पावनीयः, क्षेम्यश्च = कमनीयश्च। काम्यश्च = वाञ्छनीयश्च अस्तीति भावः ।

भावार्थः — भृगुरुवाच हे मुने ! उत्तरस्यां दिशि हिमालयसमीपे समस्तगुणसम्पन्नैः अपरः पुण्यः प्रदेशोऽस्ति । सः पावनीयो कमनीयो वाञ्छनीयश्चास्ति ।

अनुवाद — भृगुजी ने कहा — हे मुने ! उत्तरदिशा में हिमालय के पार्श्वभाग में, जो सर्वगुण सम्पन्न एवं पुण्यमय प्रदेश हैं, वहाँ के भू-भाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है, वह पवित्र कल्याणकारी और कमनीय लोक है ॥ 8 ॥

तत्र ह्यपापकर्माणः शुचयोऽत्यन्तनिर्मलाः ।

लोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरुपद्रवाः ॥ 9 ॥

अन्वयः — तत्र हि अपापकर्माणः शुचयः अत्यन्तनिर्मलाः लोभमोहपरित्यक्ता निरुपद्रवाः मानवाः (सन्ति)

व्याख्याः — तत्र = हिमालयस्यसमीपे उत्तरस्यां दिशि। हि = निश्चयेन । अपापकर्माणः = निष्पापकर्माणः । शुचयः = पवित्राः । अत्यन्त = अत्यधिक शुद्धाः । लोभमोहपरित्यक्ताः = लोभमोहादिदोषरहिताः । निरुपद्रवाः = सकंठमुक्ताः । मानवाः = मनुष्याः जनाश्च वा । सन्ति = निवासं कुर्वन्ति इत्यर्थः ।

भावार्थः — हिमालयस्यपार्श्वे उत्तरभागे निष्पापाः, पवित्राः, अत्यन्तशुद्धाः

लोभमोहत्यक्ता, संकटमुक्ताश्च जनाः निवसन्ति ।

अनुवाद - वहाँ पापकर्म से रहित, पवित्र, अत्यन्त निर्मल, लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रवों से रहित मानव निवास करते हैं ।

स स्वर्गसदृशो देशस्तत्र ह्ययुक्ताः शुभा गुणाः ।

काले मृत्युः प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च ॥ 10 ॥

अन्वयः - सः देशः स्वर्गसदृशः तत्र हि शुभा गुणाः उक्ताः, काले मृत्युः प्रभवति न च व्याधयः स्पृशन्ति ।

व्याख्या - सः = तत् । देशः = स्थानः प्रदेशः लोकः इत्याशयः । (स्वर्गः = दिवः । सदृशः = तुल्यः) स्वर्गसदृशः = बैकुण्ठतुल्यः । तत्र = तस्मिन् स्थाने । हि = निश्चये । शुभा = शुभाः । गुणाः = उदात्तादिगुणाः । उक्ताः कथिताः । काले = समये । मृत्युः = मरणं । प्रभवति = आगच्छति । न च = नहि च । व्याधयः = रोगाः । स्पृशन्ति = स्पर्शं कुर्वन्ति ।

भावार्थः - सः लोकः स्वर्गतुल्यः अस्ति । तत्र उदात्तादिशुभागुणाः कथिताः सन्ति । तस्मिन् लोक काले मृत्युरागच्छति, व्याधयः केषांचिदपि न स्पृशन्ति ।

अनुवाद - वह देश स्वर्ग के तुल्य है । वहाँ सभी शुभ गुणों की स्थिति बतायी गई है । वहाँ समय पर ही मृत्यु होती है । रोग व्याधि किसी का स्पर्श नहीं करते हैं ।

न लोभः परदारेषु स्वदारनिरतो जनः ।

नान्योन्यं वध्यते तत्र द्रव्येषु च न विस्मयः ।

परो ह्यधर्मो नैवास्ति संदेहो नापि जायते ॥ 11 ॥

अन्वयः - तत्र परदारेषु न लोभः स्वदारनिरतः जनः धनार्थम् अन्योन्यं न वध्यते न च विस्मयः, अधर्मः हि पर न एव अस्ति, संदेहः अपि न जायते ।

व्याख्या - तत्र = तस्मिन् देशे । परदारेषु = परभार्योसु न = नहि । लोभः = काम्क्षा । (वर्तते) स्वदारनिरतः = निजपत्नी अनुरक्तः । जनः = मनुष्यः । अन्योन्यं = परस्परं । न = नहि । वध्यते = हन्यते । न च विस्मयः = न च आश्चर्यः । अधर्मः = अकर्तव्यः । हि = निश्चयेन । परः = भिन्नः । न एव अस्ति = नैव भवति । संदेहः = शङ्का । अपि = च । जायते = न उत्पद्यते ।

भावार्थः - तस्मिन् देशे कस्मिन्नपि मनसि परदारेषु लोभः न भवति सर्वे स्वस्त्री अनुरक्ताः । धनार्थं जनाः वधं न कुर्वन्ति । तेभ्यो महान् आश्चर्यो न । अधर्मस्तु तत्र नाममात्रम् मपि नास्ति । केषांचित् मनसि सन्देहोऽपि न जायते ।

व्याख्या - इह = अस्मिन् देशे । धर्माधर्मस्य = कर्तव्याकर्तव्यस्य कारिणः ।
= कर्तारः । बहुविधाः = अनेकाः । वार्ताः = कथाः । (श्रूयते) य = जनः । प्राज्ञः
= विद्वान् । तद् = बहुविधा वार्ताः, उभयं = द्वयोः । वेद = परिणामं जानाति । सः
जनः । पाप्मना = पापेन । न = नहि । लिप्यते । लिप्तः भवति ।

भावार्थः - अस्मिन् देशे कर्तव्याकर्तव्यस्य कर्तारः जनानां कृते बहुविधा
कथाः श्रूयन्ते किन्तु यो प्राज्ञः धर्मं अधर्मं च उभयं परिणामं जानाति स पापे न लिप्तः
भवति इति भावः ।

अनुवाद - इस देश में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्यों के विषय में नाना
प्रकार की बातें सुनी जाती हैं, जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है,
वह विद्वान् पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है ।

सोपधं निकृतिः स्तेयं परीवादो ह्यसूयिता ।

परोपघातो हिंसा च पैशुन्यमनृतं तथा ॥ 17 ॥

एतान् आसेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते ।

यस्त्वेतान् नाचरेद् विद्वांस्तपस्य तस्य प्रवर्धते ॥ 18 ॥

अन्वयः - यः तु सोपधं, निकृतिः, स्तेयं परिवादः असूयिता हि परोपघातः
हिंसा च पैशुनं अनृतं तथा, च एतान् आसेवते तस्य तपः प्रहीयते, यः विद्वान् एतान्
न आचरेद् तस्य तपः प्रवर्धते ॥ 17-18 ॥

व्याख्या - यः तु = योजनः तु । सोपधं = कपटं । निकृतिः = वञ्चनं ।
स्तेयं = चौर्यं । परिवादः = दोषारोपः । असूयिता = असूयनम् । हि = निश्चयेन ।
परोपघातः = अन्योपघातः । हिंसा = हिंसनम् । पैशुनं = पिशुनता । अनृतं =
असत्यं तथाच = तथैव च । एतान् आसेवते = एतान् आचरति । तस्य = जनस्य
तपः = तपस्या तपश्चर्या वा । प्रहीयते = क्षीयते । यः विद्वान् = यो प्राज्ञः । एतान्
न आचरेद् = एतान् न आचरति । तस्य = जनस्य प्राज्ञस्य इत्यर्थः । तपः = तपस्या ।
प्रवर्धते = वृद्धिं प्राप्नोति ।

भावार्थः - यः मनुष्यः कपटं, वञ्चनं, चौर्यं, दोषारोपः, असूयनम्, अन्योपघातः,
हिंसनम् पिशुनता । असत्यं च एतान् दुर्गुणान् आचरति तस्य तपः क्षीयते एव । किन्तु
यो प्राज्ञो एतान् दुर्गुणान् न आचरति तस्य तपस्तु वर्धतैव इति भावः ।

अनुवाद - जो कपट, शठता, चोरी, निन्दा ईर्ष्या, दूसरों के दोष देखना,
दूसरों को हानि पहुंचाना, प्राणियों की हिंसा न करना, चुगली खाना और झूठ बोलना
इन दुर्गुणों का सेवन करता है, उसकी तपस्या क्षीण होती है और जो विद्वान् इन

को को कभी अपने आचरण में नहीं लाता, उसकी तपस्या बढ़ती रहती है ॥ 17-18 ॥

इह चिन्ता बहुविधा धर्माधर्मस्य कर्मणः ।

कर्मभूमिरियं लोके इह कृत्वा शुभाशुभम् ।

शुभैः शुभमवाप्नोति तथाशुभमथान्यथा ॥ 19 ॥

अन्वयः - इह धर्माधर्मस्य कर्मणः बहुविधा चिन्ता, इयं कर्मभूमिः इह लोके शुभाशुभम् कृत्वा शुभैः शुभमवाप्नोति तथा अशुभम् अथ अन्यथा ।

व्याख्या - इह = अस्मिन् लोके । धर्माधर्मस्य = कर्तव्याकर्तव्यस्य कर्मणः । बहुविधा = अनेकप्रकाराः । चिन्ता = चिन्तनं भवति इति भावः । इयं = एषा । कर्मभूमिः = कर्तव्यभूमिः । इहलोके = अस्मिन् जगति । शुभाशुभं कृत्वा पुण्यापुण्यं कृत्वा (जनः = मनुष्यः) शुभैः = शुभकर्मैः । शुभमवाप्नोति = पुण्यमवाप्नोति तथा च = तथैव च । अन्यथा = अशुभकर्मैः । अशुभम् = अपुण्यम् (प्राप्नोति) ।

भावार्थः - अत्र पुण्यापुण्येविषये बहुविधाः वार्ताः श्रूयन्ते । एषा तु कर्मभूमिः अस्ति । अतएव अस्मिन् जगति शुभाशुभं कृत्वा शुभकर्मैः शुभं फलं तथा च अशुभकर्मैः अशुभफलम् प्राप्नोति जनः ।

अनुवाद - इस लोक में पुण्य और पापकर्म के संबंध में अनेक प्रकार के विचार होते रहते हैं। यह कर्मभूमि है। इस जगत में शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभफल पाता है और अशुभ कर्मों का अशुभ फल भोगता है।

इह प्रजापतिः पूर्वं देवाः सर्षिगणास्तथा ।

इष्ट्वेष्टतपसः पूता ब्रह्मलोकमुपाश्रिताः ॥ 20 ॥

अन्वयः - पूर्वं इह प्रजापतिः देवाः सर्षिगणास्तथा इष्ट्वेष्टतपसः पूताः ब्रह्मलोकम् उपाश्रिताः ।

व्याख्या - पूर्वं = पुरा । इह = अत्रैव । प्रजापतिः = ब्रह्मा देवाः = सुराः । सर्षिगणाः = समुनिगणाः । इष्ट्वेष्टतपसः = इष्टः = यज्ञः । अभिष्टः = तपः च । पूता = पावनाः (भूत्वा) ब्रह्मलोकं = एतदनामकं लोकं । उपाश्रिताः = प्राप्नुवन्तः इत्यर्थः ।

भावार्थः - पुरा अत्रैव ब्रह्मा देवता ऋषिगणाश्च यज्ञाः अभिष्टतपाश्च कृत्वा पूता भूत्वा ब्रह्मलोकं प्राप्नुवन्तः इत्यर्थः ।

अनुवाद - पूर्वकाल में यही प्रजापति, देवता तथा ऋषियों ने यज्ञ और अभिष्ट तपस्या करके पवित्र हो, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया।

अन्वयः - ये लोभ मोह समन्विताः, अन्योन्यभक्षणासक्ताः ते इहैव परिवर्तन्ते, उत्तर दिशम् न यान्ति ।

व्याख्या - ये = जनः, लोभमोहसमन्विताः = लोभमोहयुक्ताः । अन्योन्यभक्षणासक्ताः = परस्परभक्षणयुक्ताः । ते = ते जनाः । इहैव = अस्मिन् जगति एव । परिवर्तन्ते = आवागमनं कुर्वन्ति । उत्तरां = उत्तरस्याम् । दिशम् = दिशिम् । न यान्ति = न गच्छन्ति ।

भावार्थः - ये जनाः लोभमोहयुक्ताः सन्तः अन्योन्यं भक्षणार्थं उद्यताः सन्ति ते अस्मिन् जगत्येव आवागमनं कुर्वन्ति, कदापि उत्तरस्यांदिशि स्थिते सर्वोत्कृष्टलोकं न गच्छन्ति ।

अनुवाद - जो लोभ और मोह से युक्त हो एक दूसरे में खा जाने के लिये उद्यत रहते हैं, वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं, उत्तर दिशा के उत्कृष्ट लोक में नहीं जाने पाते हैं ।

ये गुरुन् पर्युपासन्ते नियता ब्रह्म चारिणः ।

पन्थानं सर्वलोकानां विजानन्ति मनीषिणः ॥ 24 ॥

अन्वयः - ये नियता ब्रह्मचारिणः गुरुन् पर्युपासन्ते ते मनीषिणः सर्वलोकानां पन्थानं विजानन्ति ॥ 24 ॥

व्याख्या - ये = मानवाः । नियता = इन्द्रियग्रामनिग्रहाः, आत्मसंयमिभूत्वा वा । ब्रह्मचारिणः = ब्रह्मचारिणः । गुरुन् = आचार्यान् । पर्युपासन्ते = उपासनां कुर्वन्ति । ते मनीषिणः = ते विद्वांसः । सर्वलोकानां = सकललोकानां । पन्थानं = पथि, विजानन्ति = अवगच्छन्ति ।

भावार्थः - ये ब्रह्मचारिणः आत्मसंयमिभूत्वा आचार्यान् उपासनां कुर्वन्ति ते (मनीषिणः) सकललोकानां मार्गं अवगच्छन्ति इति भावः ।

अनुवाद - जो मन और इन्द्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की उपासना करते हैं, वे मनीषी पुरुष सभी लोकों के मार्ग को जानते हैं ।

इत्युक्तोऽयं मया धर्मः संक्षिप्तो ब्रह्मनिर्मितः ।

धर्माधर्मो हि लोकस्य यो वै वेत्ति स बुद्धिमान् ॥ 25 ॥

अन्वयः - इति मया अत्र ब्रह्मनिर्मितः अयं धर्मः उक्तः, यो वै लोकस्य धर्माधर्मो हि वेत्ति स बुद्धिमान् ।

यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम् ।

यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ॥ 6 ॥

अन्वय :- यथाविधिहुताग्नीनां, यथाकामार्चितार्थिनां, यथाऽपराधदण्डानां, यथाकालप्र बोधिनाम् ॥

संस्कृत व्याख्या :- कालिदासः दिशति ते (रघुशंस्यनृपाः) खलु प्रतिदनं वेदोक्तविधिना यज्ञे होमं कृतवन्तः । यथेच्छ याचितवस्तुदानेन अतिथिनां सम्मानं कृतवन्तः । अपराधानुसारं अपराधिषु दण्डं प्रणीतवन्तः । ब्राह्मे मुहूर्ते शयनादुत्थाय सकलानि कर्माणि सम्पादितवन्तः । अथवा आत्मोन्नत्यै राष्ट्ररक्षणायच ते सदा जागरूकाः आसन् ।

हिन्दी व्याख्या :- कालिदास, रघुवंशियों के धार्मिक कृत्यों की चर्चा करते हुये कहते हैं कि वे लोग विधिपूर्वक यज्ञ सम्पन्न करने अग्नि में हवन करते थे, याचकों को इच्छित वस्तुएँ दान में देते थे, और अपराध करने वाले को वे अपराधनुसार नियत दण्ड देते थे । और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे यथोचित समय पर सदा जागृत रहते थे । अर्थात् आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा हेतु सजग प्रहरी की भांति सचेत और सावधान रहते थे ।


त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् ।

यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् ॥ 7 ॥

अन्वय :- त्यागाय सम्भृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् ॥

संस्कृत व्याख्या :- रघुवंशे जाता राजानः सत्पात्रेभ्यः दातुम् एव अर्थसंग्रहं कृतवन्तः । सत्यस्य रक्षार्थं ते मितभाषिणः जाताः । धर्मविजयेन पुण्यकीर्तिलाभाय ते दिग्विजयं कृतवन्तः । संयमपूर्णाः ते दारपरिग्रहं कामोपभोगायन कृतवन्तः अपितु सन्तानप्राप्त्यर्थम् अकुर्वन् ।

हिन्दी व्याख्या :- रघुवंशियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कालिदास बताते हैं कि वे लोग धन का संग्रह इसलिये करते थे कि प्रजा पालनार्थ उन्हें दान देना है और कम इसलिये बोलते थे कि कहीं उनके मुख से कोई झूठ न निकल जावे अर्थात् मिथ्याप्रलाप से बचने के लिये मित बोलना उनका स्वभाव होता था । राष्ट्र की रक्षा और सदा विजय की अभिलाषा उनकी इसलिये रहती थी कि चहुँ ओर उनकी कीर्ति व्याप्त रहे । वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश इसलिये करते थे कि अविच्छिन्न रूप से उनका वंश चलाने के लिये सन्तति उत्पन्न होती रहे । वे भोग विलास के लिये गृहस्थ नहीं बनते थे अपितु सन्तान प्राप्ति के लिये इस आश्रम में



चतुष्टयी




वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल



उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन

स्नातक स्तर पर वार्षिक परीक्षा पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित तथा म.प्र. के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

सत्र 2018-2019 से प्रभावशील

कक्षा	:	बी.ए.	अधिकतम अंक - 42½
प्रश्न-पत्र	:	प्रथम	
विषय	:	संस्कृत	
शीर्षक	:	गद्य, दर्शन एवं व्याकरण	
इकाई-एक	✓	शुकनासोपदेशः - बाणभट्ट विरचित 'कादम्बरी' से (व्याख्या एवं समालोचनात्मक प्रश्न)	8½
इकाई-दो	✓	आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन (सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय)	8½
इकाई-तीन		षोडश संस्कारों का परिचय (विधान एवं महत्त्व ज्ञान अपेक्षित है)	8½
इकाई-चार		वाच्य परिवर्तन- कर्तृ, कर्म एवं भाव वाच्य (नियम तथा उदाहरण अपेक्षित है)	
इकाई-पाँच		समास (लघुसिद्धान्त कौमुदी से) (विग्रह एवं समास का ज्ञान अपेक्षित है)	8½

नोट- स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए 50 अंकों का प्रश्न-पत्र होगा। प्रत्येक इकाई 20 अंकों की होगी।

सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा

खण्ड-अ	वस्तुनिष्ठ प्रश्न - प्रत्येक इकाई से दो-दो प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न ½ अंक का होगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएँगे।	$10 \times \frac{1}{2} = 5$ अंक
खण्ड-ब	लघुउत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न विकल्प के साथ पूछे जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 2½ अंक का होगा। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएँगे।	$5 \times 2\frac{1}{2} = 12\frac{1}{2}$ अंक
खण्ड-स	दीर्घउत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएँगे।	$5 \times 5 = 25$ अंक

खण्ड-ब एवं खण्ड-स के सभी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ पूछे जाएँगे। सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र में अधिकतम अंक/पूर्णांक-42½ होंगे।

उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
स्नातक स्तर पर वार्षिक परीक्षा पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम केन्द्रीय अध्ययन मंडल
अनुशंसित तथा म.प्र. के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

सत्र 2018-2019 से प्रभावशील

अधिकतम अंक - 40

कक्षा	:	बी.ए.	
प्रश्न-पत्र	:	द्वितीय	
विषय	:	संस्कृत	
शीर्षक	:	महाकाव्य एवं नाटक	
इकाई-एक	✓	रघुवंशम् - द्वितीय सर्ग (व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न)	8%
इकाई-दो		नाट्यशास्त्रम् (प्रथम अध्याय) नाट्योत्पत्ति एवं नाट्यप्रयोजन मात्र, पाठ्यांश की व्याख्या भी अपेक्षित है)	8%
इकाई-तीन		नाट्यशास्त्र के पारिभाषिक शब्द (प्रस्तावना, नान्दी, सूत्रधार विष्कम्भक, प्रवेशक, विदूषक, प्रकाश, स्वगत एवं भरतवाक्य)	8%
इकाई-चार	✓	अभिज्ञानशाकुन्तलम् (प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम अंक) (पाठ्यांश की व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न)	10%
इकाई-पाँच		संस्कृत के प्रतिनिधि नाट्यकार एवं उनकी कृतियाँ (भास, कालिदास, भवभूति एवं भट्टनारायण)	8%

नोट- स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए 50 अंकों का प्रश्न-पत्र होगा। प्रत्येक इकाई 20 अंकों की होगी।

सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा

खण्ड-अ	वस्तुनिष्ठ प्रश्न - प्रत्येक इकाई से तीन-तीन प्रश्न लिए जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 1/2 अंक का होगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएँगे। $10 \times \frac{1}{2} = 5$ अंकों का होगा।
खण्ड-ब	लघुउत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 2 1/2 अंक का होगा। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। $5 \times 2\frac{1}{2} = 12\frac{1}{2}$ अंकों का होगा।
खण्ड-स	दीर्घउत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। $5 \times 5 = 25$ अंकों का होगा।

खण्ड-ब एवं खण्ड-स के सभी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ पूछे जाएँगे। सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र में अधिकतम अंक/पूर्णांक-42 1/2 होंगे।

सर्ववन्दन-यनितारनयति विषय कृती विष के सम्भोग से उत्पन्न हुआ मोह ऐसा विषम होता है कि वह जड़ी-बूटी और मन्त्रों से नहीं उतरता, अत एव वह मोह सर्वदा ही कठिन है। विषयासक्ति कृती मलका लेश ऐसा प्रबल होता है कि वह नित्य स्नान और शुद्धता से भी नहीं विनष्ट होता। एवं राज्य सुखानुभवस्वरूपसन्निपात-निद्रा ऐसी भयंकर होती है कि रात्रिका शेष होने पर भी उससे कभी घेतनता नहीं होती, इन सब कारणों से मैं तुमसे थोड़ा विस्तारपूर्वक कहता हूँ-

नैवेद्यस्य नैवेद्यस्य नैवेद्यस्य- प्रतिनक्षत्रवन्दनानुपराकितार्थं प्रति मङ्गलीयं खल्वनर्थात्परमं सर्वा। अदिनयान्नेकैकमयेयानायतनम्, किमुत समयाय। यौवनान्ने व प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालननिर्मलानि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः। अनुदितयदलताणि सर्वापि भवति यूनां दृष्टिः। अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्रतटाजोत्रन्तिर। तिरुत्नात्नेच्छया यौवनसमये पुत्रार्थं प्रकृतिः। इन्द्रियहरिणहरिणी च सततदुरन्तैर्युगल भोगभृगुतृणिका- नवयौवनकथायितात्मनश्च सलिलानीदं तान्यैव विषयस्वरुपाग्यात्वाद्य मानानि मधुराग्यान्तन्ति मनसः। नाशयति च दिहमोह इवोन्मार्गप्रवर्तकः पुरुषमत्यासङ्गो विषयेषु। मदादृशा एव भवन्ति भाजनाभ्युदयानाम्।

बाल्यकालयधि धनसम्पत्ति, नव यौवन, निकम्पन सौन्दर्य एवं अमानुषी शारीरिक शक्ति ये सब निरचय ही विपत्ति के गुरुतर कारणसमूह हैं। इन सबों के बीच में एक-एक अलग-अलग भी सनी प्रकार के दोषों का स्थान है, और यदि समष्टि रूप से ये सब एकत्र हो जायें तो कहना ही क्या है? यौवन के आरम्भ में मनुष्यों की बुद्धि शास्त्र कृती जल से धुल जाने के कारण निर्मल होने पर भी प्रायशः कलुषता (नालिन्य) प्राप्त होकर ही रहती है। सुदकों की दृष्टि, धवलता त्याग नहीं करने पर भी रणान्वित ही (रक्तवर्ण ही, सानुराग ही) होकर रहती है। यौवन समय में राजोगुणवश मनुष्य के स्वभाव में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उस समय प्रबल वायु (औंधी) जिस प्रकार धूल उड़ा-उड़ाकर रुखों पत्तों को बहुत दूर ले जाता है उसी प्रकार वह स्वभाव मनुष्य को इच्छानुसार से बहुत दूर (अगम्य स्थान में) खींच ले जाता है। और सर्वदा अत्यन्त दुःखदायिनी यह सम्भोगेच्छाकर भृगुतृणिका, मनुष्य के इन्द्रिय-कृती हरिणों का आकर्षण (हरण) कर लेती है। कषायरस युक्त जिह्वा से जल वैसा मधुर नहीं होने पर भी जिस प्रकार अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, उसी

इकाई - दो

आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन

भारतीय दर्शन परिचय

दर्शन शब्द 'देखना' अर्थ वाली 'दृश्' धातु से 'ल्युट्' (अन) प्रत्यय के योग से निष्पन्न है, अतः दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है - 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्' 'अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाये' या 'ज्ञान प्राप्त किया जाये' वह दर्शन है। तपोनिष्ठ ऋषियों की आन्तरिक दृष्टि से देखे गये तत्त्वों का ज्ञान, दर्शन है तथा इसका विषय बाह्य नहीं है अपितु परमतत्त्व (आत्मा) है। आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक दुःखों से पीड़ित मनुष्यों के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति परमतत्त्व के ज्ञान से होती है।

परिवर्तनशील पदार्थों के मूल में विद्यमान एकता का ज्ञान करना, वैदिक ऋषियों की दर्शनशास्त्र को महत्वपूर्ण देन है। जिस प्रकार परिवर्तनशील ब्रह्माण्ड के भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्त्व - ब्रह्म नियामक सत्ता के रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्त्व (आत्मा) नियामक सत्ता के रूप में विद्यमान है। प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड का ऐक्य स्वीकार करके ब्रह्म तथा जीव की एकता प्रतिपादित की है कि ब्रह्म कोई अलभ्य पदार्थ नहीं है अपितु प्रत्येक प्राणी अपने भीतर नियामक (अन्तर्यामी) आत्मा के रूप में उसी की सत्ता का अनुभव करता रहता है। अतः आत्मा को पहिचानना ही तत्त्व-ज्ञान है अर्थात् दुःख की निवृत्ति का उपाय है। संसार तथा आत्मा का ज्ञान होने पर दुःखों से मुक्ति हो जाती है।

दुःख की व्यावहारिक सत्ता की व्याख्या तथा उसका निराकरण करने के लिये साधन-मार्ग की भिन्नता के कारण भारतीय दर्शन की अनेक शाखायें प्रचलित हुई जिन्हें 'आस्तिक' तथा 'नास्तिक' - इन दो विभागों में विभक्त किया गया। सामान्यतः ईश्वर की सत्ता मानने वाले को 'आस्तिक' तथा ईश्वर की सत्ता का निषेध करने वाले को 'नास्तिक' कहते हैं परन्तु भारतीय दर्शन में इन शब्दों का प्रयोग, इन प्रचलित अर्थों में नहीं किया गया है। दर्शनशास्त्र में 'आस्तिक' वह है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करे तथा 'नास्तिक' वह है जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करे। मनु ने वेदनिन्दक को नास्तिक माना

संस्कार

संस्कार शब्द 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से भाव और करण में 'घञ्' प्रत्यय करके भूषण अर्थ में 'सुद्' का आगम करने पर निष्पन्न होता है। मण्डित, भूषित, अलंकृत करने अथवा सुन्दर व्यवस्थित, गुणवान् एवं शुद्ध बनाने अथवा दोषों को दूर करके गुणों का आधान करने के लिये किया जाने वाला कर्म, क्रिया विधि, पद्धति, सरणि या कार्य 'संस्कार' कहलाता है। आचार्य 'चरक' कहते हैं - 'संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते' (चरकसंहिता विमान १/२७) अर्थात् दुर्गुणों (दोषों) का परिहार तथा नये गुणों का आधान करने का नाम 'संस्कार' है।

मीमांसादर्शन में जैमिनी सूत्र ३/१/३ की व्याख्या में शबर स्वामी ने 'संस्कार' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है- संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य अर्थात् संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता है। तत्ववार्तिक के अनुसार 'योग्यतां चादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यन्ते अर्थात् संस्कार वे क्रियायें तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। संस्कारों से नवीन गुणों की प्राप्ति तथा पापों का मार्जन और परिष्कार होता है। संस्कार व्यक्तित्व के निर्माण का वैज्ञानिक माध्यम है। इससे व्यक्तित्व में सकारात्मक चिन्तन और नैतिक एवं आध्यात्मिक सद्गुणों का संयोजन, विकास एवं संवर्धन होता है। संस्कार का उद्देश्य केवल औपचारिक देह-संस्कार करना ही नहीं अपितु सत्प्रवृत्तियों का संयोजन करके व्यक्तित्व को निर्मल तथा परमार्थ परायण बनाना है।

वेदों में संस्कार शब्द प्राप्त नहीं होता है किन्तु गर्भाधान, विवाह तथा अन्त्येष्टि के मन्त्र अवश्य प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में भी संस्कार-विषयक वर्णन उपलब्ध है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में उपनयन संस्कार तथा ब्रह्मचर्य से सम्बद्ध प्रसंग प्राप्त होते हैं। संस्कार गृह्यसूत्रों का प्रधान विषय है। पारस्कर गृह्यसूत्र, आश्वलायन

इकाई - एक

रघुवंशम् - द्वितीय सर्ग

महाकवि कालिदास : संक्षिप्त परिचय

प्रस्तावना : कविताकामिनीकान्त कविकुलकमलदिवाकर महाकवि कालिदास सरस्वती के वरदपुत्र के रूप में भारत में अवतरित हुए थे। इनकी रचनाएँ काव्य, खण्डकाव्य तथा नाटक के रूप में गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम की भाँति भारतीय साहित्य को आध्यात्मिक बल प्रदान करती रहती हैं। यही कारण है कि इनकी प्रसिद्धि विश्व के समस्त देशों में महाकवि के रूप में है और उन-उन देशों के विद्वानों ने इनकी रचनाओं का अपनी भाषाओं में रूपान्तर करके इनका सदा प्रचार एवं प्रसार किया है। ऐसा स्नेह अन्य किसी कवि की रचनाओं को प्राप्त नहीं हुआ। लाक्षणिक आचार्यों ने काव्य के जिन लक्षणों का उल्लेख अपने लक्षणग्रन्थों में किया है उन सबका समानरूपेण अस्तित्व कालिदास के काव्य-नाटकों में निहित है, केवल मेघदूत को छोड़कर।

जन्मभूमि : यशस्वी व्यक्ति से अपना सम्बन्ध जोड़ने की लालसा सबके हृदय में रहती है, यही स्थिति कालिदास की जन्मभूमि-निर्णय के सम्बन्ध में भारतीय विद्वानों की रही है। रघुवंश इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें वर्णित रघु की दिग्विजय-यात्रा विद्वानों को इनके जन्मभूमि-विवेचन के लिए प्रेरित करती है। उक्त यात्राप्रसंग में इन्होंने जिन-जिन स्थलों का सूक्ष्म परिचय प्रस्तुत किया है, विद्वानों की दृष्टियाँ वहाँ-वहाँ टिक जाती हैं। परन्तु यह सम्भव नहीं है कि एक व्यक्ति इतने स्थानों का मूल निवासी हो। इस प्रसंग में प्रमुख रूप से बंगाल और कश्मीर के नाम लिये जाते हैं। इसके अनन्तर मेघदूत, जो खण्डकाव्य के रूप में अथवा निरंकुश काव्य के रूप में रचित इनकी कृति है, इसमें कवि ने यक्ष को अपनी विरहिणी पत्नी के नाम सन्देश

त्र परिचय (पहचान) के लिए (अर्थात् यदि मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो मुझे अपनी अँगूठी देखकर सारी बातें याद आ जायेंगी) दी गयी अँगूठी का सम्बन्ध शकुन्तला से होने के कारण इस नाटक का नाम अभिज्ञानशाकुन्तल रखा गया।

इसमें विपरीत कालिदासीय ग्रन्थों का एक रचनाक्रम यह भी देखा जाता है, जो इस प्रकार है -

- (1) ऋतुसंहार, (2) रघुवंश, (3) कुमारसम्भव, (4) मेघदूत, (5) अभिज्ञानशाकुन्तल, (6) मालविकाग्निमित्र, (7) विक्रमोर्वशीय।

रघुवंश द्वितीय सर्ग

✓ अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्।

वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच ॥१॥

अन्वयः - अथ यशोधनः प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्यां पीतप्रतिबद्धवत्सां ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच।

भावार्थ- रात्रि के बीत जाने पर यश के धनी, प्रजापालक, राजा दिलीप ने प्रातःकाल सुदक्षिणा द्वारा दी हुई गन्धमाला को ग्रहण करने वाली, दूध पीकर बँधे हुए बछड़े वाली, महर्षि वसिष्ठ की नन्दिनी गौ को वन में चराने के लिए खोल दिया।

तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कीर्तनीया।

मार्ग मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत् ॥२॥

अन्वयः - अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वरधर्मपत्नी तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसुं मार्ग स्मृतिः श्रुतेः अर्थम् इव अन्वगच्छत्।

भावार्थ- पतिव्रताओं में अग्रगण्य, राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा उस नन्दिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूलिवाले मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे स्मृति के समान चली।

निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरमेयीं सुरभिर्यशोभिः।

पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोप गोरुपधरामिवोर्वीम् ॥३॥

अन्वयः - दयालुः यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां निवर्त्य

अभिज्ञानशाकुन्तलम् (प्रथम अंक, चतुर्थ एवं पंचम अंक)

या सृष्टिः सष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
 ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् ।
 यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
 प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥१॥ नान्द्यन्ते
 सूत्रधारः— अलमतिविस्तरेण । (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) आर्ये! यदि
 नेपथ्यविधानमवसितम्, इतस्तावदागम्यताम् ।

नटी— अज्जउत्त इयं म्हि ॥ आणवेदु अज्जो को णिओओ
 अणुचिदिटअदुत्ति । (आर्यपुत्र! इयमस्मि । आज्ञापयतु आर्यः को
 नियोगोऽनुष्ठीयतामिति ।)

भगवान् शिव उस जल के रूप में हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं,
 जिसे ब्रह्मा ने सबसे पहले बनाया था। वे उस अग्नि के रूप में दिखलाई
 देते हैं, जो विधि के साथ दी हुई हवन-सामग्री को ग्रहण करती है।
 वे उस होता के रूप में दिखलाई देते हैं, जिसे यज्ञ करने का काम
 मिला हुआ है। वे उन चन्द्र और सूर्य में दिखलाई देते हैं, जिसका गुण
 शब्द है और जो संसार भर में रमा हुआ है। वे शिव उस पृथ्वी के
 रूप में दिखलाई देते हैं, जो सब बीजों को उत्पन्न करने वाली बतलाई
 जाती है। और वे उस वायु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, जिसके कारण
 सब जीव जीते हैं। इन जल, अग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी
 और वायु के आठ रूपों में जो भगवान् शिव सबको प्रत्यक्ष दीखते हैं,
 वे आप सबका कल्याण करें।

सूत्रधारः - बस, इतना ही बहुत है। (नेपथ्य की ओर देखकर)
 आर्ये! यदि शृङ्गार का काम पूर्ण हो चुका हों तो यहाँ आओ।

वैखानसः - (हस्तमुद्यम्य) राजन् ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न

हन्तव्यः ।

न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः ।
क्व बत हरिणकानां जीवितञ्चातिलालं
क्व च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते ॥10

तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहरं सायकम् ।
आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि ॥11॥

राजा- एष प्रतिसंहतः । (इति यथोक्तं करोति)

वैखानसः - सदृशमेतत्पुरुवंशप्रदीपस्य भवतः ।
(नेपथ्य में)

हे राजन् यह आश्रम का मृग है। इसे न मारिए, न मारिए।

सारथी- (सुन और देखकर) आयुष्मन् ! जिस काले हरिण पर
आप बाण चलाना चाह रहे हैं, उसके बीच में ये तपस्वी लोग आ खड़े
हुए हैं।

राजा- (घबराकर) तो रोक दो घोड़ों को।

सारथी- अच्छा । (रथ खड़ा कर लेता)

(दो शिष्यों के साथ वैखानस नामक तपस्वी का प्रवेश)

वैखानस- (हाथ उठाकर) राजन् ! यह आश्रम का मृग है। इसे
मत मारिए, मत मारिए।

इस पर कदापि बाण न चलाइएगा। आपका बाण इसके कोमल
शरीर के लिए वैसा ही भयंकर है, जैसे रुई की राशि के लिए अग्नि।
बतलाइए, कहाँ तो बेचारे हिरण के अतिशय कोमल प्राण और कहाँ वज्र
के समान कठोर आपके नुकीले बाण।

अतएव यह जो आपने बाण चढ़ाकर धनुष ताना है, इसे उतार
लीजिए। क्योंकि आप लोगों के शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं,
न कि निरपराधों को मारने के लिए।

राजा- लीजिए, उतार लिया। (बाण उतारता है)

वैखानस- आप जैसे पुरुवंश के दीपक राजा को यही शोभा देता
है।

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः।
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥21॥
तथापि तत्त्वत एवैनामुपलप्स्ये।

शकुन्तला— (ससम्भ्रमम्) अम्मो! सलिलसेअसंभमुग्गदो णोमालिअं उज्झिअ वअणं मे महुअरो अहिवट्टइ। (अम्मो ! सलिलसेकसम्भ्रमोदगतो नवमालिकामुज्झित्वा वदनं मे मधुकरोऽभिवर्तते।)

(इति भ्रमरबाधां रूपयति)

राजा— (सस्पृहम्)

चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकवरः।

करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमघरं

वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर! हतास्त्वं खलु कृती ॥22॥

अनसूया— नहीं, मैं तो नहीं जानती सखी ! तू ही बता दे।

प्रियंवदा— देख, यह सोच रही है कि जैसे इस वनज्योत्स्ना को अपने योग्य वृक्ष मिल गया है, वैसे ही मुझे भी मेरे योग्य वर प्राप्त हो जाय।

शकुन्तला— यह तू अपने मन की बात कह रही है।

(घड़े का जल थाले में छोड़ती है)

राजा— यह ऋषि की कन्या कहीं दूसरे वर्ण की स्त्री से तो नहीं उत्पन्न हुई है ? परन्तु यह सन्देह व्यर्थ है। क्योंकि -

जब मेरा शुद्ध मन भी इस पर रीझ उठा है, तब यह निश्चित है कि इसका विवाह ~~क्षत्रिय~~ से हो सकता है। क्योंकि सज्जनों के मन में जिस बात पर शंका हो, वहाँ जो उनका मन गवाही दे, वही ठीक मान लेना उचित होता है।

फिर भी मैं इसका ठीक-ठीक पता लगाता हूँ।

शकुन्तला— (घबराकर) अरे रे रे ! जल पड़ने से घबराकर उड़ा हुआ यह भौंरा नई चमेली को छोड़कर बार-बार मेरे ही मुँह पर मँडराने लगा। (भौंरों से पीड़ित होने का अभिनय करती है)

राजा— (ललचाता हुआ) - अरे भौंरे ! तुम सचमुच बड़े भाग्यवान हो। हम तो सच्ची बात का पता लगाने में ही लुट गये और तुम, इस

3

सम्प्रेषण के साधन : शाब्दिक सम्प्रेषण

[MEANS OF COMMUNICATION : VERBAL COMMUNICATION]

सम्प्रेषण के साधन

(MEANS OF COMMUNICATION)

सम्प्रेषण की सहायता से व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा वह अपनी क्षमता से अपने कार्यों को सम्पन्न कर सकता है। मौखिक सम्प्रेषण मानवीय सम्बन्धों के लिए महत्वपूर्ण होता है तथा इसका महत्व सामाजिक संगठनों में भी बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी भी अपनी भावनाओं को एक-दूसरे को बताते हैं, वह अपने विचारों को एक-दूसरे को हस्तांतरित करते तथा इनके अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हैं। विश्व में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने विचारों से जनता को प्रभावित करते हैं। मौखिक सम्प्रेषण उपयोगी होते हैं जोकि कुछ संदेशों को स्पष्ट करते हैं। बातचीत करने का स्वयं का अपना महत्व होता है और वह दूसरे व्यक्तियों की चुप्पी को समाप्त करता है। हम अपने अनेक कारणों व उद्देश्यों के आधार पर दूसरे व्यक्तियों से बातें करते हैं। अधिकांश व्यवसायों में मौखिक सम्प्रेषण का अधिक महत्व रहता है। व्यवसाय की सफलता मौखिक, लिखित व अन्य साधनों के सम्प्रेषण पर निर्भर करते हैं। इसी कारण व्यवसायियों के मध्य मौखिक सम्प्रेषण का महत्व बढ़ता जा रहा है।

सम्प्रेषण के साधनों से तात्पर्य उन साधनों से है जिनके द्वारा सन्देश भेजा जाता है। सम्प्रेषण साधनों का चुनाव बहुत से तत्वों पर आधारित होता है; जैसे तीव्र गति, सूचना की मात्रा और लागत इत्यादि। सम्प्रेषण में बहुत से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं; जैसे आमने-समाने बातचीत, टेलीफोन, टेली-कॉन्फ्रेंसिंग (Tele-conferencing), ई-मेल एवं फैक्स (E-mail and Fax) इत्यादि। इनके साथ-साथ मौखिक, अमौखिक, जैसे चेहरे के आव-भाव (Expressions), शारीरिक भाषा (Body language) इत्यादि सम्प्रेषण की विधियां उपलब्ध हैं। किन्तु अमौखिक (Non-verbal) सम्प्रेषण का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता। सम्प्रेषण के साधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट कर विवेचन किया जाता है :

- (1) मौखिक सम्प्रेषण
- (2) लिखित सम्प्रेषण।

मौखिक सम्प्रेषण

(ORAL COMMUNICATION)

मौखिक सम्प्रेषण व्यापार, सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठनों के द्वारा आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है। चाहे यह किसी भी प्रारूप में क्यों न हो यह शब्दों में बोलकर किया जाता है; जैसे आमने-समाने बोलकर अथवा किसी विद्युत माध्यम से जैसे फोन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग (Tele-conferencing) और जनता को सम्बोधित करके इत्यादि।

प्रभावी मौखिक सम्प्रेषण (Effective Oral Communication)

यह चाहे किसी भी प्रारूप में क्यों न हो निम्नलिखित सिद्धान्त सबसे लिए एकसमान हैं :

1. उच्चारण (Pronunciation)—सभी शब्द स्पष्ट और ठीक रूप से उच्चारित किए जाने चाहिए। गलत उच्चारण सुनने वाले के मन पर बुरा प्रभाव डालता है।

द्वितीय प्रश्न-पत्र
व्यावसायिक सम्प्रेषण
(BUSINESS COMMUNICATIONS)

- इकाई-1 परिचय—परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, प्रबन्धकों के लिए सम्प्रेषण का महत्व, सम्प्रेषण के तत्व, प्रतिपुष्टि।
- Unit-1 Introduction—Definition, Nature, Objects, Importance of Communication to Managers, Elements of Communication, Feedback.
- इकाई-2 सम्प्रेषण के आयाम और दिशाएं, सम्प्रेषण माध्यम—शाब्दिक सम्प्रेषण, स्वॉट विश्लेषण।
- Unit-2 Dimension and Directions of Communication, Means of Communication—Verbal Communication, SWOT Analysis.
- इकाई-3 अशाब्दिक सम्प्रेषण, दैहिक भाषा, पार्श्व भाषा, संकेत भाषा, सम्प्रेषण शृंखलाएं, गलत संचार (बाधाएं)।
- Unit-3 Non-Verbal Communication, Body Language, Paralanguage, Sign Language, Visual and Audio Communication, Channel of Communication, Barriers in Communication.
- इकाई-4 लिखित व्यावसायिक सम्प्रेषण—अवधारणा, लाभ, हानियां, महत्व। व्यावसायिक पत्रों की आवश्यकता एवं प्रकार, प्रभावी व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं।
- Unit-4 Written Business Communication—Concept, Advantages, Disadvantages, Importance, Need of Business Letter and Kinds of Business Letter, Essentials of an Effective Business Letter.
- इकाई-5 आधुनिक सम्प्रेषण के रूप—फैक्स, ई-मेल, दृश्य परिचर्चा। भूमण्डलीय व्यवसाय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रेषण।
- Unit-5 Modern Forms of Communication—Fax, E-mail, Video Conferencing, International Communication for Global Business.

5

सांकेतिक सम्प्रेषण

[NON-VERBAL COMMUNICATION]

सांकेतिक सम्प्रेषण, सम्प्रेषण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण व व्यावहारिक सम्प्रेषण है। इसके अन्तर्गत विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों के स्थान पर संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाव-भाव (Postures), भाव भंगिमा (Gestures) इत्यादि। प्रत्येक देश और समूह में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है।

यह सम्प्रेषण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संकेतों, इशारों तथा हाव-भावों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में सम्प्रेषण की प्रक्रिया के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि एक व्यक्ति अपने विभिन्न आन्तरिक मनोभावों के द्वारा सूचनाओं का प्रयोग कर सकता है।

सांकेतिक सम्प्रेषण प्रणाली अपनाने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक शीघ्रतापूर्वक तथा मितव्ययतापूर्वक भेज सकते हैं। इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति के भावों को देखकर यह पता चल जाता है कि वह क्या सोच रहा है तथा क्या कहना चाह रहा है।

सांकेतिक सम्प्रेषण के अन्तर्गत खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना या मुस्कुराना या हाथों से इशारा करना आते हैं, जबकि नाराजगी व्यक्त करने के लिए मुंह बनाना या माथे पर सलवटें पड़ना आदि आता है।

सांकेतिक सम्प्रेषण प्रक्रिया के कार्य

(FUNCTIONS OF NON-VERBAL COMMUNICATION)

सांकेतिक सम्प्रेषण प्रक्रिया के अन्तर्गत मनुष्य को अपनी बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये बोलने एवं शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि इसके स्थान पर वह अपनी शारीरिक भाषा या इशारों या संकेतों का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा के अनेक कार्य हैं जो निम्नलिखित हैं :

- (1) **सूचना देना (To Provide Information)**—सांकेतिक भाषा के द्वारा व्यक्ति अपनी बात विभिन्न हाव-भावों तथा इशारों द्वारा दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा कर सूचना उपलब्ध करता है।
- (2) **कार्यों को सरल करना (Easy to Work)**—सांकेतिक सन्देशों के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में संकेतों द्वारा बताता है कि कार्य को किस प्रकार करने से अधिकतम कार्य किया जा सकता है जिससे कार्य करना अति सरल हो जाता है।
- (3) **भावनाओं को व्यक्त करना (To Express Feelings)**—सम्प्रेषण की प्रक्रिया के अन्तर्गत एक व्यक्ति, दूसरों को सन्देश के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है।
- (4) **सन्देश के प्रवाह को नियन्त्रित करना (To Control flow of Message)**—सम्प्रेषण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सन्देश भेजने वाले व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के हावभावों व विभिन्न मुद्राओं तथा इशारों द्वारा सन्देश के प्रवाह को नियन्त्रित किया जाता है जिससे सन्देश प्राप्त करने वाला व्यक्ति सन्देश को उसी अर्थ में ले, जो सन्देश भेजने के समय प्रेषक का था।
- (5) **शाब्दिक सन्देश को पूरा करना (To Complete Verbal Message)**—कई बार शाब्दिक सन्देश देने के पश्चात् भी सन्देशवाहन पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि जब तक सन्देश प्राप्तकर्ता द्वारा सन्देश के अनुसार कार्य करने के पश्चात् प्रेषक की भावनाओं की अभिव्यक्ति न हो।

6

सम्प्रेषण शृंखला

[CHANNELS OF COMMUNICATION]

सम्प्रेषण शृंखला के मार्ग

(CHANNELS OF COMMUNICATION)

प्रत्येक सम्प्रेषण का एक मार्ग होता है। सम्प्रेषण संगठन संरचना के जिन विभिन्न स्तरों, पदों एवं स्थितियों से होकर गुजरता है, उसको ही सम्प्रेषण मार्ग कहा जाता है। सम्प्रेषण मार्ग का निर्धारण संगठनात्मक सम्बन्धों के द्वारा निर्धारित होता है। जिस प्रकार संगठनात्मक सम्बन्ध को औपचारिक एवं अनौपचारिक दो वर्गों में बांटा गया है, उसी प्रकार सम्प्रेषण मार्ग को भी दो भागों में बांटा जाता है। औपचारिक सम्प्रेषण संगठन के आकार (Size), रूप (Form) एवं संरचना (Structure) के अनुसार स्थापित अन्तर्सम्बन्धों की पाइपलाइन (Pipe Line) के मार्ग द्वारा प्रवाहित होता है।

सम्प्रेषण मार्ग के प्रकार

(TYPES OF COMMUNICATION CHANNELS)

1. औपचारिक सम्प्रेषण (Formal Communication)

स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों की शृंखला पर आधारित प्रत्येक संगठन में औपचारिक संरचना या सम्बन्धों का एक मार्ग होता है। इस मार्ग की रचना कम्पनी के नियन्त्रणों, नियमों, नीतियों, पद्धतियों द्वारा की जाती है। औपचारिक संगठन ढांचों द्वारा समर्थित सम्बन्धों के ज्ञान मार्ग द्वारा सम्प्रेषण के प्रवाह को ही औपचारिक सम्प्रेषण कहते हैं। कम्पनी के पत्र-व्यवहार, आवेदन-प्रत्यावेदन एवं लिखित सम्प्रेषण औपचारिक सम्प्रेषण के अन्तर्गत आते हैं। औपचारिक सम्प्रेषण की प्रकृति तथा प्रवाह की जानकारी संगठन के संरचनात्मक ढांचे से प्राप्त की जा सकती है। औपचारिक सम्प्रेषण का सूत्र वाक्य 'उचित मार्ग द्वारा' (Through Proper Channel) है। अधिकांश औपचारिक सम्प्रेषण उपरिमुखी (Upward) या अधोमुखी (Downward) सम्प्रेषित होते हैं। उच्चाधिकारी के निर्देश ऊपर से नीचे की ओर तथा अधीनस्थों के संदेश नीचे से ऊपर की ओर निश्चित एवं निर्धारित क्रम एवं स्तर के मार्ग द्वारा सम्प्रेषित किए जाते हैं।

सम्प्रेषण मार्ग की विशेषताएं (Characteristics of Communication Channel)

औपचारिक सम्प्रेषण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- (1) औपचारिक सम्प्रेषण का प्रवाह संगठन संरचना के चार्टों के अनुसार होता है।
- (2) औपचारिक सम्प्रेषण अधिकांशतः लिखित होते हैं।
- (3) औपचारिक सम्प्रेषण में अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के केन्द्रों का क्रम एवं व्यवस्था निश्चित होती है।
- (4) औपचारिक सम्प्रेषण मुख्यतः रेखीय एवं लम्बवत होता है।
- (5) औपचारिक सम्प्रेषण संगठन के संचालन की मूल आवश्यकता है।
- (6) औपचारिक सम्प्रेषण व्यक्तिगत स्वभाव का होता है।
- (7) औपचारिक सम्प्रेषण निश्चित, अधिकारपूर्ण तथा प्रत्यक्ष होता है।

औपचारिक सम्प्रेषण का महत्व (Importance of Formal Communication)

औपचारिक सम्प्रेषण संगठन के लिए अपरिहार्य होता है। औपचारिक सम्प्रेषण की प्रभावी व्यवस्था से ही सम्पूर्ण सम्प्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है।

व्यावसायिक संगठन एवं सम्प्रेषण

बी.कॉम. प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) एकल प्रश्न पत्र प्रणाली

बुक बैंक

28867

B28867

106



• डॉ. सुरेश चन्द्र जैन



मध्यप्रदेश

हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
------	--------	--------------

12. संयंत्र अभिन्यास (कारखाना विन्यास) 12.1 -12.12
 (Plant layout) :
 (अर्थ, परिभाषाएँ, उद्देश्य, घटक, सिद्धान्त एवं प्रकार)
13. व्यावसायिक संयोजन : 13.1 -13.28
 (Business combination)
 (प्रारम्भिक, अर्थ, विशेषताएँ, आन्दोलन के कारण/घटक एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन)

इकाई (Unit)-3.

14. सम्प्रेषण : एक परिचय : 14.1 -14.12
 (Communication : An Introduction)
 (आशय, परिभाषा, विशेषताएँ, प्रकृति, उद्देश्य महत्व एवं क्षेत्र)
15. सम्प्रेषण के तत्व, प्रतिपुष्टि एवं प्रकार : 15.1 -15.10
 (Elements of Communicatiion, Feedback and types)
 (सम्प्रेषण प्रक्रिया, विधियाँ, महत्व, सुझाव तथा क्षेत्र)
16. सम्प्रेषण की दिशाएँ एवं आयाम (माप) : 16.1 -16.10
 (Dimensions and Direction of communication)
 (औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्प्रेषण)
17. सम्प्रेषण के माध्यम : शाब्दिक (मौखिक एवं लिखित) 17.1 -17.06
 (Media of Communication : Verbal (Oral and written))

इकाई (Unit)-4.

18. अशाब्दिक सम्प्रेषण : 18.1 -18.10
 (Non—verbal Communication)
 (प्रकार- दैहिक, पार्श्व एवं संकेत (दृश्य एवं श्रव्य संकेत भाषा))
19. सम्प्रेषण शृंखलाएँ/मार्ग या पथ : 19.1 -19.08
 (Channel of Communication)
 (माध्यम एवं प्रकार)
20. सम्प्रेषण के अवरोधक तत्व : 20.1 -20.08
 (Barriers of Communication) :
 (प्रमुख बाधाएँ- भाषागत, दृष्टिकोणात्मक, संगठनात्मक, व्यक्तिगत एवं अन्य बाधाएँ तथा सुझाव)
21. लिखित व्यावसायिक सम्प्रेषण : 21.1 -21.06
 (Written Businss Commuication)
 (आशय, आवश्यकता, लाभ, दोष, महत्व एवं सुझाव)
22. लिखित व्यावसायिक सम्प्रेषण : माध्यम पत्र-व्यवहार 22.1 -22.26
 (Written Business communicatiion, Media—Correspondence)
 (पत्रों की आवश्यकता, उद्देश्य, पत्रों के प्रकार, लेखक के गुण, पत्रों की संरचना या स्वरूप तथा आवश्यक तत्व)

इकाई (Unit)-5.

23. सम्प्रेषण के आधुनिक स्वरूप/साधन 23.1 -23.10
 (Modern forms of Communication)
 (प्रमुख साधन- पेजर, सेल्यूलर फोन, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक/ई-मेल एवं इन्टरनेट)
24. वैश्विक या भू-मण्डलीय व्यवसाय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रेषण 24.1 -24.07
 (International Communication Addopting to Global Business)
 (ई-कॉमर्स का उद्भव एवं विकास, लाभ, प्रकार बाधाएँ एवं भविष्य)

(4) इसके कनेक्शन तार से जुड़े नहीं होते यह सैलन कॉशिकाओं से जुड़े होते हैं।

सेल्युलर फोन के लाभ (Advantages) निम्न हैं—

1. सेल्युलर फोन का प्रयोग वाहन अथवा यात्रा करते समय या सुदूर क्षेत्रों में सेल्युलर फोनधारक द्वारा आसानी से किया जा सकता है।
2. सेल्युलर फोन का प्रयोग दूसरे सेल्युलर फोन अथवा परम्परागत तारों पर आधारित टेलीफोन पर वार्ता सम्भव होती है।
3. सेल्युलर फोन प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब भूकम्प या बाढ़ के कारण हमारी तारों पर आधारित सामान्य संचार प्रणाली खराब हो जाती है, अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।
4. सेल्युलर फोन किसी देश के गाँवों के क्षेत्रीय विस्तार के कारण अधिक महत्वपूर्ण है।
5. सेल्युलर फोन 'समय प्रबन्धन' हेतु महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा समय प्रबन्धन कर अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकता है।

सीमाएँ (Demerits) निम्न हैं—

- (1) सेल्युलर फोन पर सन्देश प्राप्त करने या भेजने दोनों पर शुल्क लगता है और वह भी सामान्य टेलीफोन से अधिक। अतः यह महँगा होता है।
- (2) सामान्य टेलीफोन से सेल्युलर फोन का नम्बर भी काफी लम्बा होता है जिसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है।
- (3) यह फोन बहुत ही छोटा होता है और आसानी से जेब में रखा जा सकता है जिससे खो जाने चोरी होने का भय बना रहता है।
- (4) सेल्युलर फोन का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, इसी वजह से बहुत से अधिक से व्यक्ति वाहन चलाते समय भी इसका प्रयोग करने से नहीं चूकते। अतः दुर्घटनाएँ होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

(3) फैक्स (Fax)

सम्प्रेषण का यह मुद्रित (छपा हुआ) साधन होता है। सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण खोज है इसका प्रयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भेजने हेतु किया जाता है जिसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित/मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल ऐसे भेजा जाता है जैसे हम किसी दस्तावेज की फोटोस्टेट मशीन से प्रतिलिपि प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली का उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच दूरी अधिक हो और सूचना भेजने का समय भी कम हो अर्थात् यह प्रणाली त्वरित व सस्ती भी होती है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के 'फेसिमिली' शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से सम्बद्ध है जिसका अभिप्राय 'फेस' अर्थात् 'बनाना' तथा 'सिमिली' अर्थात् 'उसी के समान' से है जिसका पूर्ण अर्थ मूल प्रतिलिपि/दस्तावेज के समान ही प्रतिलिपि बनाना।

आविष्कार (Invention)— फैक्स प्रणाली का विकास सर्वप्रथम स्कॉटलैण्ड के वैज्ञानिक एलेक्जेंडर सेन द्वारा प्रथमतः सन् 1842 में किया गया। सन् 1850 में इंग्लैण्ड के फ्रेडरिक बैकवेल द्वारा लेन के तन्त्र से मिलता-जुलता एक सम्बन्धित तन्त्र विकसित किया। फ्रांस में सन् 1865 में एक चक्रीय ड्रम का प्रयोग कर फैक्स तन्त्र बनाया गया। सन् 1866 में इटली में भौतिकविद जिमोवानी केसेती ने फैक्स मशीन पैटेंटी ग्राफ का आविष्कार किया। सन् 1875 में न्यूयार्क के विलियम सेम्पर द्वारा इस उपकरण को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। इसमें ड्रम के साथ एक क्लच व एक मोटर का इस्तेमाल किया गया। सन् 1900 के प्रारम्भ में जर्मनी के आर्थर कार्न द्वारा फैक्स तन्त्र को विकसित किया। सन् 1902 में उन्होंने चित्रों के प्रेषण व अभिमुद्रण (Receiving) के लिए प्रथम फोटो इलेक्ट्रिक फैक्स तन्त्र का प्रयोग किया। 1907 में इन्होंने एक व्यावसायिक फोटो इलेक्ट्रिक फैक्स तन्त्र विकसित किया जो प्रारम्भ में जर्मनी तक सीमित था। सन् 1910 में इसमें बर्लिन को लन्दन व पेरिस से जोड़ा।

सन् 1922 में कार्न द्वारा रेडियो के माध्यम से अमेरिका के लिए एक चित्रण प्रेषित किया गया। यह चित्र उसी दिन वहाँ के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ। इन फैक्स मशीनों में निरन्तर सुधार करते हुए सन्

इसमें डॉ. ए. टी. वल्लभ ने II paper. उद्दि नजम निगा
में डा. मोहम्मद इकबाल और चकबस्ता बृज नारायण चकबस्ता
का नजम निगार में देश प्रेम का शायरी, देश से
लगाव, अपने देश को जगहों पर नजम लिखना
और उनके अपना नजमों में जमाह देना

1. हिमालय पर्वत पर इकबाल का नजम
2. नया शिवाला (मो. इकबाल)
- (3) चकबस्ता का रामायण का सोन
माँ के नाम एक रक्ता

3. सुब वतन
यानी वतन से मोहब्बत, माँ से प्रेम, और
रामायण जैसे एपिक पर अपना नजम लिखना
किराव
ने लन्हाई पर अपना नजम लिखना है।
और जमाने में होने वाले हादसों को मौजूद बनाना

अर्थशास्त्र

बी.ए.- तृतीय वर्ष



डॉ. पी.डी. माहेश्वरी
डॉ. शीलचन्द्र गुप्ता

Syllabus

प्रथम प्रश्न-पत्र : विकास एवं पर्यावरण का अर्थशास्त्र (Economics of Development & Environment)

- UNIT-1** आर्थिक वृद्धि और विकास : अवधारणा, विकासशील देशों की विशेषताएँ, आर्थिक वृद्धि और विकास के तत्व— पूँजी, भौतिक और मानव संसाधन, अनुसंधान और विकास एवं तकनीक।
Economic Growth and Development : Concept, Characteristics of Developing Countries, Factors of Economic Development and Growth-Capital, Physical and Human Resources, Research & Development and Technology.
- UNIT-2** आर्थिक विकास के सिद्धांत : एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और शुम्पीटर। आर्थिक विकास की अवस्थाएँ। आर्थिक विकास के निवेश मापदण्ड। पूँजी-उत्पाद अनुपात, पूँजी-श्रम अनुपात। मानव संसाधन विकास।
Theories of Economic Development : Adam Smith, Karl Marx and Schumpeter, Stages of Economic Growth, investment Criteria of Economic Development, Capital – Output Ratio, Capital – Labour Ratio and Human Resource Development.
- UNIT-3** संतुलित बनाम असंतुलित विकास : रोडन, ए. लुईस, हर्षमैन, लीबिंसटीन, गुन्नार मिर्डल, हैरोड-डोमर।
Balance V/s Unbalance growth - Theories of Rodan, A. Lewis, Hershman, Liebenstein, Gunnar Myrdal, Harrod-Domar.
- UNIT-4** आर्थिक विकास और लैंगिक समानता। महिला सशक्तिकरण, विकास की तकनीकें - पूँजी प्रधान एवं श्रम प्रधान तकनीकें। मानव विकास सूचकांक।
Economic Development and Gender Equality. Women Empowerment, Techniques of Development - Capital intensive and Labour intensive techniques. Human Development Index.
- UNIT-5** पर्यावरण : अर्थव्यवस्था अंतर्सम्बन्ध, आवश्यकता और विलासिता के रूप में पर्यावरण, जनसंख्या— पर्यावरण अंतर्सम्बन्ध, बाजार विफलता के रूप में पर्यावरणीय वस्तु, सामान्य समस्याएँ, धारणीय विकास की अवधारणा, पर्यावरणीय क्षति का आंकलन— भूमि, जल, वायु और वन। प्रदूषण में कमी, नियंत्रण और रोकथाम।
Environment-Economy Linkage, Environment as necessity and luxury, Population- Environment linkage, Market Failure for Environment Goods, The Common Problems, Concept of Sustainable Development, Valuation of Environmental Damages : Land, Water, Air and Forest. Prevention, Control and Abatement of Pollution.

पर्यावरणीय अर्थशास्त्र - अर्थ एवं क्षेत्र (ENVIRONMENTAL ECONOMICS-MEANING AND SCOPE)

भूमिका (Introduction)

पर्यावरण उस समूची भौतिक और जैविक व्यवस्था से संबंधित है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते-पलते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। पर्यावरण के अन्तर्गत जल, वायु और भूमि को तथा जल, भूमि मानव एवं अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति में पाये जाने वाले अन्तर्सम्बन्ध को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय परम्परा के अनुसार वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव-जन्तु परस्पर सम्बद्ध एवं परस्पर आश्रित हैं। इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ होने पर दूसरों में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है, अतः पर्यावरणीय सन्तुलन अर्थात् इनके बीच सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है।

विश्व की सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध पुस्तक ऋग्वेद की प्रारम्भिक ऋचाओं में ही पवन (वायु), सूर्य, पृथ्वी, वनस्पतियों को वन्दनीय बताया गया है। इस संबंध में यह तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है कि वैदिक आचार्य पृथ्वी, नदी और वनस्पतियों को माँ और पुत्री की तरह सम्मान देते हैं। अथर्ववेद का ऋषि वनस्पतियों को सुपूजित मानता है। मनुस्मृति का आचार्य नृपों को पर्यावरणीय संरक्षण का निर्देश देता है। उपनिषद्, पुराण और मानस में पृथ्वी, जल, वायु और आकाश से जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। जैन धर्म में हरे वृक्ष में लगे फल-फूल तोड़ना भी निषिद्ध माना गया है। इस्लाम में भी जल को गन्दा करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अतः यह स्वयंसिद्ध है कि शुद्ध पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक है और पर्यावरण के सन्तुलित होने से ही जीव विकास सम्भव है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि युगों पूर्व पर्यावरण के मौलिक तत्व जल, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइ-ऑक्साइड, सल्फर डाइ-ऑक्साइड तथा पिघले हुए खनिज पदार्थों के मध्य उच्च तापमान पर रासायनिक क्रिया हुई जिसके फलस्वरूप जल से जीवों की उत्पत्ति हुई जिसका करोड़ों वर्ष पूर्व जैविकीय विकास हुआ। परिवर्तित पर्यावरण के अनुरूप जीवों की संख्या और आकार फैलता और सिकुड़ता गया।

ज्ञात शोधों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस नीले ग्रह (पृथ्वी) पर ही जीवन है। इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर्यावरण कुछ इस ढंग से सन्तुलित हुआ जिससे जीवों का उद्भव व विकास हो सका, किन्तु वर्तमान में औद्योगिक विकास वैज्ञानिक अनुसन्धान और आर्थिक प्रगति के नाम पर युगों से सन्तुलित पर्यावरण, औद्योगिक क्रान्ति के बाद विगत कुछ समय में ही पर्यावरण अवनयन, संसाधन ह्रास, पारिस्थितिकी असन्तुलन से पर्यावरणीय समस्याएँ एवं संकट उत्पन्न हो रहे हैं। प्रकृति में ही परिवर्तन होता तो सहनीय है किन्तु मनुष्यों के कार्यकलापों से प्रकृति में किये गये हस्तक्षेप से जीवन के अस्तित्व पर संकट आ पहुँचा है। पर्यावरण अवनयन विश्व की प्रमुख समस्याओं में से एक है। एकमात्र जीवन्त गृह की जीवन्त समस्या पर्यावरण अवनयन है। पर्यावरण ह्रास की यही गति रही तो मानव जीवन पर भयंकर संकट उपस्थित हो सकता है।

पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की अवधारणा (Concept of Environmental Economics)

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध होता है। पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण ही आर्थिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध

बुक बँक

29443


राजनय

एवं

मानवाधिकार

B29443

351



डॉ. रामदेव भारद्वाज

Human rights
is in the hands of all
our citizens in all our communities."
Eleanor Roosevelt

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

13. मानव अधिकार - अवधारणा, उत्पत्ति एवं विकास :
परिचय, यूनानी एवं स्टोइक दर्शन में मानवाधिकार, भारतीय 370-400
धर्मग्रंथों में मानवाधिकार, अधिकारों की अवधारणा का विकास,
पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार, ब्रिटेन और मानवाधिकार,
अमरीका और मानवाधिकार, फ्रांस और मानवाधिकार, जर्मनी
और मानवाधिकार, कनाडा और मानवाधिकार, साम्यवादी परिप्रेक्ष्य
में मानवाधिकार, भारत और मानवाधिकार
14. मानव अधिकार - वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिदृश्य :
(अ) अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य - अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, 401-419
(ब) अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य - मानव एवं समुदाय के अधिकारों
पर अफ्रीकी समझौता, अमरीकी मानवाधिकार समझौता, यूरोपीय
सामाजिक घोषणा पत्र, दक्षिण एशिया में मानवाधिकार रक्षा,
(स) राष्ट्रीय परिदृश्य - मानवाधिकारों का क्रियान्वयन,
मानवाधिकारों का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन
15. संयुक्त राष्ट्र एवं मानवाधिकार :
परिचय, रूजवेल्ट की चार स्वतंत्रताएँ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 420-423
मानवाधिकार
16. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा :
परिचय, घोषणा-पत्र का मूल पाठ, विविध अनुच्छेद एवं व्याख्या, 424-440
घोषणा-पत्र का महत्त्व, घोषणा की त्रुटियाँ
17. मानवाधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण :
परिचय, मानवतावादी हस्तक्षेप की घोषणा, अन्तर्राष्ट्रीय 441-449
मानवतावादी कानून, दासप्रथा की समाप्ति, लीग ऑफ नेशन्स
एवं अल्पसंख्यक सुरक्षा, मानवाधिकारों का क्रियान्वयन, यूरोपियन
अभिसमय, अमरीकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी मानवाधिकार
चार्टर, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, आसियान सार्क, अमनेस्टी
इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वाच, मानवाधिकारों का लोक
व्यापीकरण
18. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार :
परिचय, नागरिक-राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 450-459
नागरिक-राजनीतिक अधिकारों की सीमाएँ, कार्यान्वयन और
मानवाधिकार समिति, नागरिक-राजनीतिक अधिकारों का महत्त्व
9. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार :
परिचय, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर 460-472
अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, अधिकारों की सीमाएँ, आई.सी.ई.एस.सी.
आर. का क्रियान्वयन, आई.सी.ई.एस.सी.आर. के अन्तर्गत राज्यों

के कर्तव्य, आई.सी.ई.एस.सी.आर. के अन्तर्गत राज्यों के उत्तरदायित्व, आई.सी.ई.एस.सी.आर. और वैश्विक परिदृश्य

20. सामूहिक अधिकार :

(I) अल्पसंख्यकों के अधिकार—अल्पसंख्यक अधिकार घोषणा पत्र, राज्यों के दायित्व, अल्पसंख्यकों के लिए अन्य प्रावधान, 473-56

अधिकारों के अनुपालन का निरीक्षण, अल्पसंख्यकों की वस्तुस्थिति, (II) शरणार्थियों के अधिकार—शरणार्थियों के हक में घोषणा, शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त,

(III) प्रवासी श्रमिकों के अधिकार—प्रवासी अधिकार अभिसमय, प्रवासी श्रमिकों का यथार्थ,

(IV) मूल निवासियों के अधिकार—मूल निवासी कौन, मूल निवासी अधिकार और संयुक्त राष्ट्र, मूल निवासी अधिकारों पर अभिसमय एवं प्रसंविदा, मूल निवासी अधिकार और क्षेत्रीय घोषणापत्र,

(V) महिलाओं के अधिकार—महिलाओं की स्थिति, महिला अधिकारों पर अभिसमय, भेदभाव उन्मूलन अभिसमय 1979, महिला अधिकारों पर विविध सम्मेलन,

(VI) बाल अधिकार—बाल अधिकार स्वरूप, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, सामान्य सिद्धान्त, अभिसमय में प्रावधान, अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ

21. आत्मनिर्णय के आधार तथा मानव अधिकार :

परिचय, आत्म निर्णय का अर्थ, एलफ्रेड कोवाल, ईयान ब्राऊलली तथा कॅल्सन की धारणा, बाह्य आत्मनिर्णय, आन्तरिक आत्मनिर्णय, संयुक्त राष्ट्र और आत्म निर्णय के अधिकार, मानव अधिकार प्रापत्र और आत्म निर्णय का अधिकार 507-515

22. मानवाधिकार—समस्याएँ एवं समाधान :

परिचय, गरीबों में कुण्ठित होते मानवाधिकार की समस्या, भूमण्डलीकरण और मानवाधिकार के यथार्थ की समस्या, सरकार से अधिकारों के हस्तांतरण की समस्या, पूँजी-श्रम के मध्य विषमता और मानवाधिकार की समस्या, बाजार समुदाय में विभेद और मानवाधिकार की समस्या, बौद्धिक सम्पदा और स्वामित्व अधिकारों के विस्तार की समस्या, मानवाधिकार एवं सामाजिक समस्याएँ, प्रजातीय एवं धार्मिक संघर्ष की समस्या, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार की समस्या 516-528

अध्याय-19

आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार (Economic-Social & Cultural Rights)

वैश्विक स्तर पर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) को अपनाने के पश्चात् 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नागरिक - राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on civil and Political Rights; ICCPR) तथा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) को अपनाया। मानवाधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को दो अलग-अलग प्रसंविदाओं में बाँटने के निर्णय का अर्थ दो पूर्णतः भिन्न मसौदा अपनाना नहीं था। मानवाधिकारों की इस तरह व्याख्या करना कि वे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों की दो अलग धाराओं में बँटे हुए हैं, उनकी भ्रामक व्याख्या करना होगा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक अधिकार दूसरे अधिकार से जुड़ा हुआ है और सभी अधिकार एक सम्पूर्ण समग्रता का निर्माण करते हैं। यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि वे किसी आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और भौतिक सुरक्षा अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के राजनीतिक अधिकार, संघ बनाने और उन्हें संचालित करने के अधिकार, समानता के अधिकार और कानून की विधिसंगत प्रक्रिया का संरक्षण करते हैं। यहाँ मुख्य जोर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बहुआयामी व्यवस्था पर है। एक महत्वपूर्ण और स्वतः सिद्ध और स्पष्ट बात यह है कि ये अधिकार अपने आपमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के कुछ पहलुओं को भी समेटे हुए हैं।

आर्थिक सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून द्वारा पूर्ण मान्यता है, हालाँकि मानव अधिकार

विश्व बैंक परिचालन निर्देश (1991) -

यह परिचालन निर्देश विश्व बैंक की मूल निवासी की परिभाषा तथा उनके प्रति इसकी रुचि रेखांकित करता है। यह मूल निवासियों के सांस्कृतिक मुद्दों (तकनीकी सहायता तथा निवेश रचनातंत्र) की चर्चा करता है। बैंक की 'मूल निवासी' की संकुचित परिभाषा तथा आर्थिक विकास में इसकी भूमिका में असमंजसता के परिणाम स्वरूप मूल निवासियों के मानव अधिकार समर्थकों की आलोचना का शिकार रही है। अतः विश्व बैंक अब इसमें संशोधन करने में लगा हुआ है।

महिलाओं के अधिकार

महिलाओं की स्थिति के प्रश्न पर 20वीं शताब्दी में विशेष महत्व दिया गया। कई देशों ने ऐसे कानूनों का निर्माण किया है जो महिलाओं के समान समुदाय होने के अधिकार, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने तथा वोट के अधिकार को मान्यता देते हैं जिन्हें कभी परम्परागत प्रजातांत्रिक राज्यों में भी अस्वीकार किया जाता था। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा मानव अधिकारों के सर्वव्यापी घोषणा-पत्र को स्वीकार किये जाने के पश्चात् महिलाओं को समानता से वंचित करना तथा उनके अधिकारों को मान्यता देने जैसे मुद्दों को विशेष बल मिला। आने वाले वर्षों में महिलाओं की अवस्थिति पर आयोग (Commission on the Status of the Women) द्वारा महिलाओं के अधिकारों पर कुछ मानदण्ड तैयार किये गये जिन्हें आमसभा ने स्वीकृति प्रदान की। जैसा कि उपरोक्त इकाइयों में स्पष्ट किया गया है, मानव अधिकार प्रापत्रों के अधिकतर सिद्धांतों का निर्माण संयुक्त राष्ट्र के चार्टर तथा मानव अधिकारों के सर्वव्यापी घोषणा-पत्र पर आधारित हैं जिनके अनुसार सभी मानव अधिकार बिना किसी भेदभाव जैसे नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग सभी को गारंटी किए जाएँगे। वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र सदैव यह दोहराता रहा है कि महिलाओं के अधिकार मौलिक अधिकार हैं तथा राजनीतिक, समुदाय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में समानता के आधार पर इन्हें सम्पूर्ण भागेदारी मिलनी चाहिए तथा सभी प्रकार के लिंग संबंधित भेदभावों को समाप्त करना अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन पर आधारित संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत की गई कुछ अभिसमय निम्नलिखित हैं -

महिला अधिकारों पर अभिसमय

(1) महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय -

महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय (Convention on the Political Rights of Women) को आमसभा ने 20 दिसम्बर 1952 को स्वीकार किया। अभिसमय ने इन तत्वों को मान्यता देते हुए कि i) प्रत्येक पुरुष/महिला को अपने देश की सरकार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है, अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच का अधिकार है, तथा राजनीतिक अधिकारों के उपभोग तथा प्रयोग में पुरुष और

मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित तथा संरक्षित करे। प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य का सार्वभौमिक कर्तव्य है। प्रापत्र के भाग II में डॉचीय समायोजन नीतियों के महिलाओं पर प्रभाव तथा औद्योगिक विकासशील देशों द्वारा भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण समझौतावादी भाषा का प्रयोग किया गया जिसने इसे - "डॉचीय समायोजन कार्यक्रमों की अनुपयुक्त परिकल्पना" का स्वरूप दिया।

बाल अधिकार


बाल अधिकारों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता बढ़ने लगी है। बच्चे समाज का असहाय समूह होने के कारण सबसे अधिक प्रतिकूलता का साक्षात्कार करते हैं। यद्यपि ICCPR तथा ICESCR के अनुच्छेद 10 में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों के अधिकारों की मान्यता प्रदान की गई है फिर भी बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (Convention on the Rights of the Child : CRC) बाल अधिकारों को व्यापक स्वरूप एवं आधार प्रदान कराता है।

लीग ऑफ नेशन्स ने 1924 में एक बाल अधिकार घोषणा-पत्र अपनाया। इस घोषणा-पत्र में पहली बार किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के बाल अधिकार का वर्णन किया। इसने सेव दी चिल्ड्रन इन्टरनेशनल यूनियन (Save the Children International Union) 1923 द्वारा जारी एक ऐसे ही घोषणा-पत्र का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप कालान्तर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 अगस्त 1959 को एक बाल अधिकार घोषणा-पत्र अपनाया। इसके अनुसार क्योंकि बच्चों को मानव जाति के भविष्य के रूप में देखा जाता है अतः इनकी देखभाल करते समय समाज वस्तुतः अपने भविष्य में निवेश कर रहा होता है। 1978 में पोलैण्ड ने अभिसमय के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया जो काफी हद तक 1959 के घोषणा-पत्र पर आधारित था। पोलैण्ड के प्रो. एडम लोपाक्ता की अध्यक्षता में एक मुक्त कार्यकारी समूह (Open Ended Working Group) ने बच्चों के अधिकार पर एक मसौदा तैयार किया। 1978 से 1985 तक बैठकें होती रहीं और 1988 में बाल अधिकार पर मसौदा संयुक्त राष्ट्र महासभा को भेज दिया। पाण्डुलेखन प्रक्रिया प्रजातांत्रिक थी इसमें 43 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के सलाहकार के रूप में विभिन्न राज्यों अन्तर-राजकीय संस्थाओं तथा NGOs ने भाग लिया। विकासशील देशों में अल्जीरिया, अर्जेन्टाइना, सेनेगल, वेन्जुअला ने सक्रियता दिखाई। बाल अधिकार अभिसमय की पाण्डुलेखन प्रक्रिया के दौरान कई विवादास्पद मुद्दे भी उठे। इनमें तीन मुद्दे काफी महत्वपूर्ण थे।

असहमति का पहला मुद्दा बच्चों की न्यूनतम आयु की परिभाषा का था। इसमें दो विरोधी समूह थे जिनके विचार इस विषय पर भिन्न थे कि बचपन कब आरम्भ होता है - गर्भधारण के समय अथवा जन्म के समय। दोनों समूहों में इस बात को लेकर सहमति नहीं हो पाई कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इसकी क्या परिभाषा हो सकती थी। इसका मूल कारण गर्भपात का मुद्दा था। अन्त में कार्यकारी समूह इस सर्वसहमत निष्कर्ष पर पहुँचा कि घोषणा-पत्र न्यूनतम आयु के निर्माण के बारे

WINGS OF FIRE

An Autobiography
A.P.J. Abdul Kalam with Arun Tiwari

 Universities Press

Over
1 million
copies sold

Contents

<i>Preface</i>	ix
<i>Acknowledgements</i>	xi
<i>Introduction</i>	xiii
ORIENTATION	1
CREATION	35
PROPITIATION	107
CONTEMPLATION	157
Epilogue	179


Preface

I have worked under Dr APJ Abdul Kalam for over a decade. This might seem to disqualify me as his biographer, and I certainly had no notion of being one. One day, while speaking to him, I asked him if he had a message for young Indians. His message fascinated me. Later, I mustered the courage to ask him about his recollections so that I could pen them down before they were buried irretrievably under the sands of time.

We had a long series of sittings late into the night and early under the fading stars of dawn—all somehow stolen from his very busy schedule of eighteen hours a day. The profundity and range of his ideas mesmerized me. He had tremendous vitality and obviously received immense pleasure from the world of ideas. His conversation was not always easy to follow, but was always fresh and stimulating. There were complexities, subtleties, and intriguing metaphors and subplots in his narrative, but gradually the unfolding of his brilliant mind took the form of a continuous discourse.

When I sat down to write this book, I felt that it required greater skills than I possessed. But realising the importance of this task

AN ANTHOLOGY OF
ENGLISH LITERATURE



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Under Graduate Unified Syllabus for
B.A. Three Year Degree Course
As recommended by Central Board of Studies and
approved by the Governor of M.P.
Session 2020-21

Class	-	B.A., Part-II
Paper	-	Second
Subject	-	English Literature
Title of Paper	-	Fiction
Maximum Marks	-	40

The scheme of examination and the allotment of marks shall be as under-

SYLLABUS

Section-A

Objective Type Questions 1 × 5 = 5 Marks
(At least one question to
be set from each unit)

Section-B

Short Answer Type Questions 2 × 5 = 10 Marks
Two questions to be set from
each unit and one from each
unit to be attempted

Section-C

Long Answer Type Questions 5 × 5 = 5 Marks
Two questions to be set from
each unit and one from each
unit to be attempted

Unit-I

Henry Fielding
Tom Jones

Unit-II

Jane Austen
Pride and Prejudice

Unit-III

Charles Dickens
Hard Times

Unit-IV

Thomas Hardy
Tess of the d'Urbervilles

Unit-V

Virginia Woolf
Mrs. Dalloway

PRIDE AND PREJUDICE : Jane Austen

Jane Austen's Age

Jane Austen stands apart, a solitary figure in her age. She is unaffected by turmoil and dreams of her times. Unlike her contemporaries she makes no mention of French revolution and Napoleonic wars in her novels. She is called 'the unromantic' in 'Romantic' age. Her novels are classic if compared with the Waverly novels. She is not more imaginative than even Fielding and Richardson. She remains thoroughly untouched by the slogan 'return to nature'. She displays no feelings for Nature that 'never did betray the heart that loved her'. She was very fond of country but scenery plays no great part in her works. She is closer to Cowper and Crabbe than to Wordsworth and Shelley. She writes of man and manners, of tea tables and tete-a-tete. She does not write of human nature in its primitive form. She does not describe kids and displays nothing about 'trailing clouds of glory'. She knows nothing of romantic idea that civilization is fall of man from paradise. To her common sense and taste are the standards of good civilization. She gains nothing from Romantic era except the opportunity to laugh at Gothic novels. Her sympathies lie with Pope and Johnson.

Jane Austen's Life

The seventh child and second daughter of Cassandra and George Austen Jane Austen was born on December 16, 1775 in Stevenson, Hampshire, England. Her parents were respected community members and her father worked as Oxford Educated Rector for a nearby Anglican Parish. The family members were close to each other and children grew up in an environment that stressed learning and creative thinking. When young, Jane and her siblings read from the extensive library of their father. They also authored and put on plays and charades. Jane was close to her father and elder sister, Cassandra. Indeed, she and

An Anthology of English Literature



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

Unit-II **Francis Bacon**
Of Studies

Of Travel

Of Love

Of Revenge

Unit-III **Joseph Addison**

Sir Roger at Church

Sir Roger at Home

The Spectator's Account of Himself

Adventures of a Shilling

Unit-IV **Charles Lamb**

A Bachelor's Complaint of the Behaviour of
Married People

All Fool's Day

E.V. Lucas

On Finding Things

Unbirthday and Other Presents

Unit-V **A.G. Gardiner**

On Saying Please

H.G. Wells

The Stolen Bacillus

INDEX

Paper-I

Unit-I	Metaphysical Poetry, Epic Poetry, Satire Poetry, The Romantic Movement	1
Unit-II	John Donne Canonization Death be not Proud The Good Morrow The Relic	9
Unit-III	John Milton Paradise Lost Book I First to 250 Lines	24
Unit-IV	Alexander Pope The Rape of the Lock	37
Unit-V	William Wordsworth Ode on Intimations of Immortality, Tintern Abbey	46

A.G. GARDINER

(1865 - 1946)

Introduction

Alfred George Gardiner (1865-1946), a British journalist and author, is highly regarded in the literary arena. Gardiner was born in Chelmsford. He was the son of a cabinet-maker and alcoholic. He joined the *Northern Daily Telegraph* in 1887. In 1899, he was appointed editor of the *Blackburn Weekly Telegraph*. Gardiner was the editor of *Daily News*, it became one of the foremost open-minded journals as Gardiner enhanced its exposure while campaigning against social prejudices. Gardiner contributed to *The Star* under the pseudonym Alpha of the Plough. Gardiner raised the question of morality in everyday life. He focussed on human interest. He suggested measures to overcome problems that harm society. He suggested measures to well-designed, polished and humorous. His essays are consistently capability to educate the essential facts of life in a simple and humorous manner. *The Pillars of Society*, *Pebbles on the Shore*, *Many Furrows* and *Leaves in the Wind* are some of his best known writings.

In *On Saying Please* he indicates the value of good manner in social life and highlights the importance of civility and graciousness in every day manners. His prose style is a simple, natural and anecdotal style. He believes that politeness is a very effective tool. He illustrates his ideas with concrete examples. Good Manners are of immense worth in human life. Bad manners are not an authorized crime. But everyone has an aversion to a man with bad conduct. Small courtesies win us a lot of friends. Simple words like 'please' and 'thank you' facilitate in making our life comfortable. The rule does not authorize us to strike back if we are the sufferers of bad manners. But if we are endangered with physical aggression, the law permits us some freedom of action. Bad manners generate a chain reaction. Social

JOHN MILTON

(1608-1674)

John Milton was born in London on December 9, 1608. He was educated at St. Paul's School, then at Christ's College, Cambridge, where he began to write poetry in Latin, Italian, and English. After university, he spent the next six years in his father's country home to prepare for a career as a poet. His reading included both classical and modern works of religion, science, philosophy, history, politics, and literature. In addition, Milton was proficient in Latin, Greek, Hebrew, French, Spanish, and Italian and obtained a familiarity with Old English and Dutch.

In 1642, Milton married Mary Powell and had three daughters and a son before her death in 1652. During the English Civil War, Milton wrote a series of pamphlets advocating radical political topics. Milton served as secretary for foreign languages in Cromwell's government, composing official statements defending the Commonwealth. During this time, Milton gradually lost his eyesight and was completely blind by 1651. He continued his duties, however, with the aid of Andrew Marvell and other assistants. After the Restoration of Charles II to the throne in 1660, Milton was arrested as a defender of the Commonwealth, fined, and soon released. He lived the rest of his life in seclusion in the country. He died on November 8, 1674, in Buckinghamshire, England. Milton composed a number of poems: *On the Morning of Christ's Nativity*, *On Shakespeare*, *L'Allegro*, *Il Penseroso*, and the pastoral elegy *Lycidas*. One of the greatest epic poems in world literature **Paradise Lost** (1667) which records Satan's temptation of Adam and Eve and their eviction from Eden is regarded as his masterpiece.

WILLIAM WORDSWORTH


William Wordsworth was an English Romantic poet. Born at Cockermouth in Cumberland on 7 April, 1770. He was the second of five children born to John William Wordsworth and Ann Cookson. His sister, the poet Dorothy William Wordsworth, to whom he was very close in life was born in the following year. His father was a legal representative to Sir James Lowther, who was frequently away from home on business. William was encouraged by his father in his reading works by Milton, Shakespeare and Spenser. He also spent time at his mother's parents' house in Penrith, Cumberland. Both his parents died young.

William Wordsworth attended school in Cockermouth and Penrith. After the death of his mother in 1778, he was sent to Hawkshead Grammar School in Lancashire. He made his debut as a writer in 1787 by writing a sonnet in *The European* magazine. He attended Saint John's College, Cambridge. He received his BA degree in 1791.

William Wordsworth visited the revolutionary France, Switzerland and Italy. He fell in love with a French woman, Annette Vallon and had a daughter, Caroline in 1792. The financial problems and the politically tense relation between France and Britain forced him to return alone to England in the following year. He later supported Annette and his daughter in later life. In 1802 William Wordsworth travelled to France with his sister Dorothy with the purpose to prepare Annette for his forthcoming marriage to Mary Hutchinson.

William Wordsworth met Samuel Taylor Coleridge in Somerset in 1795. The two poets developed close affinity. Together they produced *Lyrical Ballads* (1798), which was a landmark in the English Romantic Movement. William Wordsworth's famous poem "Tintern Abbey" and Coleridge's "The Rime of the Ancient Mariner" was published in

English Language



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Syllabus for Under Graduate Annual Exam Pattern As Recommended by
Central Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.

With Effect from: 2019-20

Class	:	B.A. /B.Sc. /B. Com/ B.Sc. (Home Science)/ B.A. (Mgt.) BCA
Year	:	III
Subject	:	Foundation Course
Paper Name	:	English Language
Paper	:	II
Max. Marks	:	30 + 5 (Internal assessment) = 35

Unit-I

1. Stopping by Woods on a Snowy Evening: Robert Frost
2. Cherry Tree: Ruskin Bond.
3. The Axe: R.K. Narayan.
4. The Selfish Giant: Oscar Wilde.
5. On the Rule of the Road: A.G. Gardiner.
6. The Song of Kabir: Translated by Tagore.

Unit-II

Basic Language Skills-

Confusing words, Misused words, similar words with different meanings, Proverbs, Transformation of sentences, Direct-Indirect Speech, Active-Passive Voice.

Unit III

Report Writing, Narration Skills, Narration of Events and situations.

Unit IV

Drafting of E-mails

Unit V

Drafting CV

Index

Unit - 1

1. Stopping by Woods on a Snowy Evening
2. The Cherry Tree
3. The Axe
4. The Selfish Giant
5. On The Rule of The Road
6. The Song of Kabir

Unit - 2 Basic Language Skills

Unit - 3

Unit - 4

Unit - 5

Unit 1

1

Stopping by Woods on a Snowy Evening

ROBERT FROST


Introduction

Robert Lee Frost (1874-1963) was born in San Francisco, California, where he spent his childhood. In 1885, after his father died of tuberculosis, the Frosts moved to Massachusetts. There, Robert graduated from high school. He wrote poetry but was disappointed with the scant attention his poems received. He moved with his wife to Great Britain to present his work to readers there. Publishers liked his work and printed his first book of poems, *A Boy's Will*, in 1913, and a second poetry collection, *North of Boston*, in 1914. The latter book was published in the United States in 1915.

Having established his reputation, Frost returned to the United States in 1915 and bought a small farm in Franconia, N.H. To supplement his income from the farm and his poetry, he taught at universities. Between 1916 and 1923, he published two more books of poetry—the second one, *New Hampshire*, winning the 1923 Pulitzer Prize. He went on to win three more Pulitzer Prizes and was invited to recite his poem "The Gift Outright" at President John F. Kennedy's inauguration in January 1961.

Frost died in Boston two years later in 1963. One may regard him as one of the greatest poets of his generation and one of the most popular and honored poet of America. His poems reflect his broad outlook and realistic approach. Frost does not believe in international brotherhood but is a diehard nationalist. He believes that an individual's natural relationship to society extended to his family, close friends, then home town or local community, his state and finally his family. Frost's poems create a memorable and beautiful impression by the overwhelming presence of nature. In his poetry, we find a skillful combination of outer lightness and inner gravity. Frost is of the view that a poem begins in delight and ends with a wise idea. Frost saw nature as an alien force capable of destroying man, but he also saw man's struggle with nature as a heroic battle. "Stopping by woods on a snowy evening" reveals a definite relationship between the narrator and his natural surroundings.

हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Under Graduate Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and
Approved by the Governor of M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Session : 2018-19

कक्षा	-	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.एच.एससी., द्वितीय वर्ष (B.A./B.Sc./B.Com./B.HSc., II Year)
विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (Foundation Course)
प्रश्न-पत्र	-	प्रथम (First)
Title of Paper	-	हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य
अधिकतम अंक	-	नियमित (Hindi Language- 25) + (Moral Values- 05) + CCE- 05 Total = 35 स्वाध्यायी - 35

इकाई-1 : हिन्दी भाषा

1. वह तोड़ती पत्थर (कविता) - सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
2. दिमागी गुलामी (निबंध) - राहुल सांकृत्यायन
3. वर्ण- विन्यास (स्वर- व्यंजन, वर्गीकरण, उच्चारण स्थान)- डॉ. विश्वनाथ मिश्र

इकाई-2 : हिन्दी भाषा

1. नारीत्व का अभिशाप (निबंध)- महादेवी वर्मा
2. चीफ की दावत (कहानी)- भीष्म साहनी
3. विराम चिह्न (संकलित)

इकाई-3 : हिन्दी भाषा

1. चली फगुनहट बौरै आम (ललित निबंध)- विवेकी राय
2. इन्द्रधनुष का रहस्य (वैज्ञानिक लेख)- डॉ. कपूरमल जैन
3. संधि (संकलित)

इकाई-4 : हिन्दी भाषा

1. सपनों की उड़ान (प्रेरक निबंध)- ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
2. हमारा सौर मण्डल (संकलित)
3. प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन (संकलित)
4. समास- संरचना और प्रकार (संकलित)

इकाई-5 : हिन्दी भाषा

1. शिकागो व्याख्यान (व्याख्यान)- स्वामी विवेकानंद
2. धर्म और राष्ट्रवाद (लेख)- महर्षि अरविन्द
3. सादगी (आत्मकथा)- महात्मा गांधी
4. चित्त जहाँ भयविहीन (कविता)- रवीन्द्रनाथ ठाकुर

दिमागी गुलामी (निबन्ध)

- राहुल सांकृत्यायन

लेखक परिचय- महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल, 1893 को आजमगढ़ के पन्दहा गाँव में हुआ। दृढ़ता, विनम्रता, व्यावहारिकता, गतिशीलता, कर्मठता, जीवन्तता, साहसिकता, यायावरी वृत्ति, ज्ञान-पिपासा, अनुसन्धान वृत्ति आदि गुणों से समन्वित उनके विराट व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब उनका कृतित्व हिन्दी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। सांकृत्यायन जी ने जीवन में कई रंग बदले, वे कभी साधु हुए, कभी गृहस्थ, कभी सनातनधर्मी तो कभी आर्यसमाजी, आर्यसमाज से बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से मानव धर्म की ओर उन्मुख हुए। प्रगतिविरोधी सामाजिक बंधनों को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। सांकृत्यायन जी की सृजनात्मक कृतियों ने पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और भाषाशास्त्री के रूप में उनकी पहचान करायी। वे लगभग छत्तीस भाषाएँ जानते थे। वे प्राचीन भारतीय वाङ्मय विशेषकर संस्कृत, पालि, प्राकृत भाषा के प्रबुद्ध मर्मज्ञ और बौद्ध साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान थे। राहुल जी कलम के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी व जननेता भी थे। हिन्दी के प्रबल पक्षधर राहुल जी की दृष्टि में हिन्दी का विरोध भारतीय एकता का विरोध था। वे प्रादेशिक भाषाओं के साथ आंचलिक भाषाओं की उन्नति के भी समर्थक थे। राहुल सांकृत्यायन हिन्दी विकास के दृष्टा थे। उनकी विचार-सरणि 'वोल्गा से गंगा' तक तथा ऋग्वेद से लेकर अब तक के विविध ऐतिहासिक चरणों में संचरित हुई। भारतीय साहित्य, संस्कृति व इतिहास में उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अनुकरणीय रहेगा।

जिस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उसकी मानसिक दासता के बन्धन भी उतने ही अधिक होते हैं। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो शक ही नहीं और इसलिए इसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें भी अधिक हैं। मानसिक दासता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक,

हित
से
ही

गेई
नये
तु
है,
स
द्व

न
य
त

उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

सत्र 2021-2022

आधार पाठ्यक्रम- प्रथम प्रश्न-पत्र - हिन्दी भाषा

भाग-ए - परिचय

कार्यक्रम- यूजी लेवल	कक्षा- बी.ए./बी.कॉम./	वर्ष	सत्र
प्रमाण-पत्र	बी.एस.सी./ बी.एच.एससी./ बी.सी.ए./	2021	2021-22
विषय	आधार पाठ्यक्रम		
1. कोर्स कोड	X1/FCEA1T		
2. कोर्स का शीर्षक	भाषा और संस्कृति		
3. कोर्स का प्रकार	आधार पाठ्यक्रम		
4. कोर्स अपेक्षित	कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किसी भी विषय समूह से		
5. कोर्स अधिगम उपलब्धि (लर्निंग आटकम)	1. उत्कृष्ट साहित्यिक पाठों के अध्ययन से रुचि का विकास करना। 2. सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना का विकास करना। 3. भाषा-ज्ञान 4. सामान्य शब्दावली और विशेष शब्दावली के अध्ययन द्वारा भाषा एवं संस्कृति बोध का विकास करना। 5. विशिष्ट शब्दावली (बीज शब्द/की वर्ड) से परिचित करवाते हुए बोध के स्तर को विकसित करना। 6. प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना।		
6. क्रेडिट मान	02 क्रेडिट		
7. कुल अंक	50		
8. उत्तीर्ण अंक	17		

भाग-बी - कोर्स सामग्री

यूनिट	विषय	व्याख्यान की संख्या
इकाई-एक	1. मैथिलीशरण गुप्त- परिचय पाठ- मातृभूमि (कविता)	5 घण्टे
	2. प्रेमचन्द- परिचय पाठ- शतरंज के खिलाड़ी (कहानी)	
	3. व्यंग्य- शरद जोशी- जीप पर सवार इल्लियाँ	
इकाई-दो	1. वैचारिक- भारतीय भाषाओं में राम	5 घण्टे
	2. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- परिचय पाठ- उत्साह (भावमूलक निबन्ध)	
	3. रामधारी सिंह दिनकर- परिचय पाठ- भारत एक है (संस्कृति)	
	4. आदिशंकराचार्य- जीवन व दर्शन	
इकाई-3	1. पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द (हिन्दी व्याकरण)	5 घण्टे
	2. संधि और उसके प्रकार (हिन्दी व्याकरण)	
	3. बीज शब्द- धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा उदारीकरण।	

सार बिन्दु

(की वर्ड)/टैग

सर्च करें

मैथिलीशरण मैथिलीशरण गुप्त की कविता-

गुप्त मातृभूमि

प्रेमचन्द प्रेमचन्द- शतरंज के खिलाड़ी

रामधारी सिंह भारत एक है - रामधारी सिंह दिनकर

दिनकर

उत्साह

- आचार्य रामचंद्र शुक्ल

दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद-वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुःखी और कभी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान् भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान् होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ-साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण उमंग का नाम उत्साह है। कर्म-सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं।

जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य-मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्ध-वीर, दान-वीर, दया-वीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती।

इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुटित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप, बिना हाथ-पैर हिलाये, घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना वीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत भी ले सकते हैं, जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने के निश्चय साहस में नहीं। धृति और साहस दोनों



नैतिक मूल्य और भाषा



वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Under Graduate Semesterwise Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and
Approved by the Governor of M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए सेमेस्टर अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Session : 2014-15

कक्षा	-	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.एच.एससी., प्रथम वर्ष (B.A..B.Sc./B.Com./B.HSc., I Year)
विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (Foundation Course)
प्रश्न-पत्र	-	प्रथम (First)
सेमेस्टर	-	प्रथम (First)
पेपर	-	प्रथम (First)
अधिकतम अंक	-	85 (नैतिक शिक्षा- 15, हिन्दी- 35, अँग्रेजी-35)

भाग-अ (Part-A)

इकाई-1 : नैतिक मूल्य

1. नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण- डॉ. शशि राय
2. आचरण की सभ्यता- सरदार पूर्ण सिंह

इकाई-2 : हिन्दी भाषा

1. स्वतंत्रता पुकारती (कविता)- जयशंकर प्रसाद
2. जाग तुझको दूर जाना (कविता)- महादेवी वर्मा
3. उत्साह (निबंध)- रामचन्द्र शुक्ल
4. शिरीष के फूल (ललित निबंध)- हजारी प्रसाद द्विवेदी
5. वाक्य संरचना और अशुद्धियाँ- (संकलित)

इकाई-3 : हिन्दी भाषा

1. नमक का दरोगा (कहानी)- प्रेमचंद
2. हार की जीत (कहानी)- सुदर्शन
3. भगवान बुद्ध (निबंध)- स्वामी विवेकानंद
4. लोकतंत्र एक धर्म है (निबंध)- सर्वपल्ली राधाकृष्णन
5. पर्यायवाची-विलोम शब्द, एकार्थी-अनेकार्थी शब्द, शब्दयुग्म (संकलित)

भाग-ब (Part-B)

Unit-4 : English Language

1. Jon Keats : Ode to a Nigtingale
2. Rabindranath Tagore : Where the Mind is Without Fear
3. Rajgopalachari : Preface to the Mahabharata
4. J.L. Nehru : Tryst with Destiny

Unit-5 : English Language

Comprehension / Unseen Passage

Compositon and Pararagrah writing

(Based on the expansion of an idea)

Basic Language Skills : vocabulary, synonyms, antonyms, word formation, prefixes, suffixes, confusing words, misused words, similar words with different meaning, proverbs

Basic Language Skills : Grammer and Usage, Tenses, Prepositions, determiners, countable / uncountable nouns , verbs, argicles and adverbs.

* सैद्धांतिक परीक्षा हेतु उपरोक्तानुसार 85 (15+35+35) अंक और आन्तरिक मूल्यांकन (सीसीई) हेतु पृथक से 15 (5+5+5) अंक निर्धारित हैं।

इकाई-1

नैतिक मूल्य-परिचय और वर्गीकरण

- डॉ. शशि राय

प्रस्तावना

सम्पूर्ण जीव जगत में मनुष्य जीवन को अन्य प्राणियों और वनस्पतियों से भिन्न माना जाता है। यह भी अवधारणा है कि मनुष्य जीव जगत की सर्वोच्च विकसित प्रजाति है। मनुष्य में समाजीकरण की प्रवृत्ति अधिकतम पायी जाती है इसलिये उसे एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया में मनुष्य ने अपने लिये कुछ नियम बनाये और एक संयमित जीवन के लिये स्वयं को तैयार किया। मनुष्य के जीवन में इन नियमों और संयमन का बहुत महत्त्व है। इनसे ही मनुष्य की अपनी पहचान बनती है। किसी का अच्छा या बुरा होना उसके द्वारा इन नियमों और संयमन के पालन के स्तर से निर्धारित होता है। इन्हें ही हम जीवन के मूल्य मानते हैं। मूल्य मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं और उसे अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ साबित करते हैं।

मानव जीवन बहुत जटिल है। भारत जैसे देश में सब का जीवन एक समान नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताएँ हैं। भाषा, धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य कई खेमों में बँटा हुआ है। वह अलग-अलग आस्थाओं में जीता है, परमेश्वर के भिन्न रूपों को पूजता है और अलग-अलग भाषाएँ बोलता है। उसमें एक ही बात समान रूप से लागू होती है और वे हैं उसके जीवन मूल्य जो हर परिस्थिति में एक समान हैं और जिनका निर्वहन प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसी अनुपात में आवश्यक है।

मूल्यों की व्याख्या त्रिस्तरीय की जा सकती है। व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों को निर्धारित करना और उनके निर्वहन के लिये समग्र प्रयास करना स्वस्थ समाज की मूलभूत आवश्यकता है। जीवन मूल्यों को परिभाषित करते हुए उनका विस्तार से अध्ययन करना किसी भी चिंतनशील समाज के लिये प्राथमिक कार्य होना चाहिए।

जैसे-जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, वैसे-वैसे मनुष्य की जीवनशैली बहुत अधिक प्रभावित होती है। लोगों की सोच, सामर्थ्य और दक्षताएँ